SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का देहरादून में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 5 - 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
देहरादून में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन
पर प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 5 वर्ष 2025

विषय-सूची		
अध्याय सं.	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
1	परिचय	1
2	परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन	9
3	अनुबंध प्रबंधन	47
4	वित्तीय अनियमितताएँ	73
5	शासकीय रूपरेखा	81

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	**पृष्ठ सं.**
1.1	31 मार्च 2023 तक परियोजनाओं का विवरण	1.7	95
2.1	स्मार्ट घटकों का परियोजनावार विवरण	2.3	99
2.2	डी आई सी सी सी परियोजना पर किया गया कुल व्यय	2.4.1	103
2.3	स्मार्ट रोड के 16 यातायात जंक्शनों पर आई टी उपकरणों को हटाने एवं पुनः स्थापित करने की अनुमानित लागत	2.4.1.7	104
2.4	माह जुलाई 2023 के दौरान ई-बसों में प्रत्येक फेरे में सवारियों की औसत संख्या	2.4.4	105
2.5	स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत उपयोग न की गई सामग्री का विवरण	2.4.5.2	105
3.1	स्मार्ट रोड के संरेखण में ओवरहेड अवरोधों का विवरण	3.2.1	106
3.2	अर्थदण्ड अधिरोपित करने का विवरण	3.3	106
3.3	स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत लागत वृद्धि का विवरण	3.5	107
4.1	केंद्रान्श एवं समतुल्य राज्यान्श अवमुक्त करने का विवरण	4.1	113
4.2	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज का विवरण	4.5	114
शब्दावली			115

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2017-18 से 2022-23 की अवधि को आच्छादित करते हुए "देहरादून में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित किए गए हैं।

इस रिपोर्ट में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2017-18 से 2022-23 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए; लेकिन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। आवश्यकतानुसार, 2022-23 के पश्चात् की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस सी एम) का सूत्रपात (25 जून 2015) ऐसे शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जो बुनियादी ढाँचे, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण और 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। मिशन ने सिटीज़ चैलेंज प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के 100 शहरों को क्षेत्र विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की थी। इन शहरों का चयन चार दौर में किया गया तथा देहरादून शहर का चयन (जून 2017) तीसरे दौर में किया गया।

उत्तराखण्ड में, देहरादून इस मिशन के अंतर्गत चुना गया एकमात्र शहर था। देहरादून स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड (डी एस सी एल) को देहरादून में एस सी एम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित (सितंबर 2017) किया गया।

यह लेखापरीक्षा हमने क्यों की?

एस सी एम बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रारम्भ में, एस सी एम को जून 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। एस सी एम के अंतर्गत देहरादून के लिए समान हिस्सेदारी के स्वरूप में ₹ 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान था। वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 737.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष उक्त अवधि के दौरान ₹ 634.11 करोड़ का व्यय किया गया था।

देहरादून में 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा' वर्ष 2018-23 की अवधि को आच्छादित करते हुये वर्ष 2023-24 के दौरान की गई। इस प्रतिवेदन में धरातल स्तर पर स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन का आकलन करने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो यह आकलन करता है कि क्या कार्यक्रम के क्रियाकलाप, योजना/उद्देश्य के अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-23 के दौरान कार्यान्वित सभी 22 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान, देहरादून स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड, कार्यान्वयन एजेंसियों (पी आई यू-पी डब्ल्यू डी,

पी डब्ल्यू डी, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधान विकास एवं निर्माण निगम और सिंचाई विभाग) के अभिलेखों की जाँच की गई।

इस लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सरकार को स्मार्ट सिटीज़ मिशन के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यक सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है, ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों को समयबद्ध तथा अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीर्घकालिक स्थिरता के संदर्भ में एस सी एम के कार्यान्वयन और निर्मित बुनियादी ढाँचे के संचालन एवं रख-रखाव में सुधार की गुंजाइश है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- विस्तृत परियोजना आगणन में उल्लिखित कई 'स्मार्ट समाधान' क्रियान्वयन के दौरान ही हटा दिए गए या अपर्याप्त योजना एवं कार्यान्वयन के कारण निष्क्रिय थे। दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के ई-गवर्नेंस समाधान के अंतर्गत संपूर्ण अपशिष्ट संग्रहण प्रक्रिया की वास्तविक समय पर निगरानी हेतु विकसित (मार्च 2022) बायोमेट्रिक एवं सेंसर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस डब्ल्यू एम) मॉड्यूल फरवरी 2025 तक अप्रयुक्त रहा, जिससे ₹ 4.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। स्मार्ट अपशिष्ट वाहन परियोजना के अंतर्गत ₹ 0.90 करोड़ की लागत से खरीदे गए ई-रिक्शाओं का लगभग दो वर्षों तक संचालन न होना, डी एस सी एल की सुसंगत और सक्रिय प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

  अत्यधिक बिजली बिलों का वहन करने में स्कूलों की असमर्थता के कारण स्मार्ट स्कूल परियोजना के अंतर्गत ₹ 5.91 करोड़ की लागत से देहरादून के तीन सरकारी स्कूलों में स्थापित किए गए 'स्मार्ट समाधान' अर्थात इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट, सी सी टी वी, बायोमेट्रिक उपस्थिति, अक्रियाशील रहे।

  दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ई-बस के पहल जैसी कुछ परियोजनाएं व्यवहार्य राजस्व सृजन मॉडल (व्यावसायिक विज्ञापन, स्मार्ट वाई-फाई, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों से रॉयल्टी, एवं डाटा मुद्रीकरण) की कमी के कारण स्थिरता संबंधी समस्याओं का सामना कर रही हैं।

  पर्यावरण सेंसरों पर ₹ 2.62 करोड़ एवं मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर ₹ 3.24 करोड़ के निरर्थक व्यय के प्रकरण भी पाये गए। स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत, कैरिजवे के एकसमान क्रॉस सेक्शन एवं डेडिकेटड पैदल मार्ग जैसे स्मार्ट समाधानों का क्रियान्वयन अपर्याप्त रूप से किया गया।

कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, जैसे बेहतर यातायात प्रबंधन, जन सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटना, नगर प्रशासन को सहयोग, दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत डी एस सी एल द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना, और जल आपूर्ति क्षेत्र में पहलों का सफल क्रियान्वयन, विशेष रूप से स्काडा[1]। कुल मिलाकर, एस सी एम के इच्छित उद्देश्य - मूलभूत बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना, अपने नागरिकों को सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना और 'स्मार्ट' समाधानों का अनुप्रयोग - आंशिक रूप से प्राप्त हुए। हालाँकि, कुछ 'स्मार्ट समाधान' लागू किए गए हैं और वर्तमान में चालू हैं।

- देहरादून स्मार्ट सिटीज़ लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी एम सी) को दिए जाने वाले भुगतान ढाँचे में लक्ष्य आधारित भुगतान का अभाव था, जिसके कारण अधूरी परियोजनाओं के बावजूद भुगतान किया गया; पी एम सी की जनशक्ति तैनाती अनुबंध की शर्तों के विपरीत थी, जिसके परिणामस्वरूप असत्यापित भुगतान और अमान्य भुगतान हुए, जिससे वित्तीय निष्ठा कमज़ोर हुई।

  पारिश्रमिक दावों और 'सिटीज़ इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना' के कार्यान्वयन के लिए पी एम सी भुगतान में ₹ 5.19 करोड़ की अनियमितताएँ, जिसमें अधिप्रप्ति नियमावली का उल्लंघन और बिना अभिलेखों के प्रतिपूर्ति शामिल है, जाँच और अनुबंध पालन में शिथिलता को दर्शाती है।

  डी एस सी एल, कार्यदायी संस्था को बाधा-रहित कार्य स्थल उपलब्ध नहीं करा सका, जिसके कारण आठ परियोजनाओं को पूरा करने में 19 महीने से 38 महीने तक का विलंब हुआ तथा अग्रिम राशि का समायोजन भी नहीं हो सका। डी एस सी एल ने अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यवाही नहीं की एवं परियोजना में विलम्ब के लिए प्रभावी रूप से ₹ 1.41 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नही किया। जिन मामलों में अर्थदण्ड लगाया गया, वे या तो अपर्याप्त थे या पूरी तरह से लागू नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला। डी एस सी एल कार्यदायी संस्था से ₹ 19.06 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वसूलने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.34 करोड़ की लागत वृद्धि और निविदा आमंत्रित किए बिना ₹ 2.93 करोड़ की लागत वाले कार्य निष्पादन से संबंधित प्रकरण भी पाए गए।

---

[1] सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन (स्काडा) एक सॉफ्टवेयर है, जिसे उपयुक्त संचार के माध्यम से प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर/ इंटेलिजेंट रिमोट टर्मिनल यूनिट से जोड़ा जा सकता है, ताकि सूचना को ग्राफिकल, एनिमेटेड रूप में पढ़ा एवं प्रस्तुत किया जा सके या स्वनिर्धारित रिपोर्ट बनाई जा सके तथा नियंत्रण स्टेशन पर दूरस्थ रूप से सिस्टम के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित किया जा सके।

- वित्तीय कुप्रबंधन के प्रकरण जैसे कि ₹ 6.20 करोड़ के ब्याज की हानि तथा मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 0.81 करोड़ के ब्याज की वसूली न करना, पाए गए।
- राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति में सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों तथा अन्तर्विभागीय समन्वय टास्क फोर्स के गठन के बावजूद, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, अधिकांश परियोजनाएं बाधा मुक्त परियोजना स्थलों की कमी के कारण विलंबित हो गईं। दिशानिर्देशों के उद्देशों के अनुरूप डी एस सी एल में पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति न होने के कारण विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना का विचार अप्रभावी रहा। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण में कमी से संबंधित प्रकरण भी पाए गए थे।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

1. राज्य सरकार को परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना चाहिए तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित गैर-परिचालन बुनियादी ढाँचे का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।
2. राज्य सरकार को वास्तविक और अनुमानित राजस्व के बीच अंतर को कम करने के लिए राजस्व बढ़ाने और स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित बुनियादी ढाँचे के सतत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए।
3. सार्वजनिक धन के अनियोजित और अकुशल उपयोग, जिससे दोहराव और निष्फल व्यय होता है, के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
4. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मापनीय परियोजना प्रदेय से जुड़ी भुगतान शर्तें भविष्य के अनुबंधों में शामिल की जाएं।
5. पी एम सी को भुगतान में अनियमितताओं जिसमें असत्यापित भुगतान, अमान्य भुगतान, निरर्थक व्यय, अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन एवं अनुबंध के प्रावधानों का पालन करने में विफलता आदि शामिल हैं, के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
6. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रगतिरत परियोजनाएं संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के समन्वय से शीघ्रता से पूर्ण की जाएं।
7. राज्य सरकार को कार्यदायी सस्थाओं के पास लंबित अप्रयुक्त राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

8. राज्य सरकार को अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जवाबदेही तय करनी चाहिए।

9. राज्य सरकार को अधिप्राप्ति नियमावली में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर लगाए जाने वाले ब्याज दर का प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए।

10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी एस सी एल के अधिप्राप्ति एवं वित्त जैसे संवेदनशील सम्भागों में प्रमुख पदों को संविदा कार्मिको के बजाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकारी कर्मचारियों से भरा जाए।

11. राज्य सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अधोमानक गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

12. राज्य सरकार को विधियों, विनियमों एवं नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा दल ने सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला तथा उपरोक्त उल्लिखित 12 विशिष्ट अनुशंसाएँ कीं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य विभिन्न परिचालन मुद्दों का समाधान करना तथा संगठन के भीतर अनुपालन, दक्षता एवं समग्र प्रभावशीलता जैसे पहलुओं को बढ़ाना है।

समापन गोष्ठी के दौरान, प्रबंधन ने 12 अनुशंसाओं में से प्रत्येक की समीक्षा की, उन सभी से सहमति व्यक्त की, तथा लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया कि भविष्य में इन अनुशंसाओं को लागू किया जाएगा।

अध्याय-1

परिचय

अध्याय - 1

परिचय

यह अध्याय स्मार्ट सिटीज़ मिशन, 'स्मार्ट समाधान' और स्मार्ट सिटी की विशेषताओं, स्मार्ट सिटीज़ के चयन की प्रक्रिया, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संगठनात्मक ढाँचे पर एक परिचय प्रदान करता है। इस अध्याय में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्डों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई कार्यविधि के साथ-साथ प्रतिवेदन की संरचना को भी शामिल किया गया है।

भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस सी एम) का सूत्रपात (25 जून 2015) ऐसे शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जो बुनियादी ढाँचे, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण और 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।

एस सी एम एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें प्रत्येक चयनित शहर के लिए केन्द्र द्वारा ₹ 500 करोड़ की वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की समान हिस्सेदारी होती है। हालाँकि, मई 2022 से, आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों[1] के लिए फंडिंग पैटर्न को बदलकर 90:10 कर दिया गया था।

1.1 स्मार्ट सिटी के स्मार्ट समाधान एवं विशेषताएँ

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.5 में 'स्मार्ट समाधानों' की निम्नलिखित उदाहरणात्मक सूची दी गई है। तथापि, यह सूची संपूर्ण नहीं थी, और शहर अतिरिक्त अनुप्रयोगों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र थे।

[1] हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तराखण्ड।

स्मार्ट सिटी की विशेषताओं में क्षेत्र-आधारित विकास में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, आवास और समावेशिता, पैदल चलने योग्य इलाकों का निर्माण, खुले स्थानों को संरक्षित और विकसित करना, विभिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करना, अभिशासन को नागरिक अनुकूल एवं लागत प्रभावी बनाना, शहर को एक पहचान देना और क्षेत्र-आधारित विकास में बुनियादी ढाँचे और सेवाओं के लिए 'स्मार्ट समाधान' लागू करना शामिल है।

1.2 स्मार्ट सिटीज़ के चयन की प्रक्रिया

एस सी एम दिशानिर्देशों के प्रस्तर 9 के अनुसार, प्रत्येक इच्छुक शहर 'सिटी चैलेंज' नामक प्रक्रिया में स्मार्ट सिटी के रूप में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: चरण-1 में परिभाषित मानदण्डों जैसे मौजूदा सेवा स्तर, संस्थागत प्रणाली/ क्षमताओं, स्व-वित्तपोषण और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड एवं सुधार, के आधार पर राज्यों द्वारा शहरों का चयन किया जाता है। चरण-2 चैलेंज राउंड है, जहाँ स्मार्ट सिटी का अंतिम चयन होता है। चरण-2 में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, संगठनों एवं संस्थानों के पैनल वाली एक समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस सी पी), जिसमें विजन, संसाधनों को जुटाने की योजना और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में अभीष्ट परिणाम शामिल हों, को शहरों द्वारा तैयार किया जाना था। स्मार्ट शहरों के चयन में शामिल विभिन्न कदम नीचे दिए गए हैं:

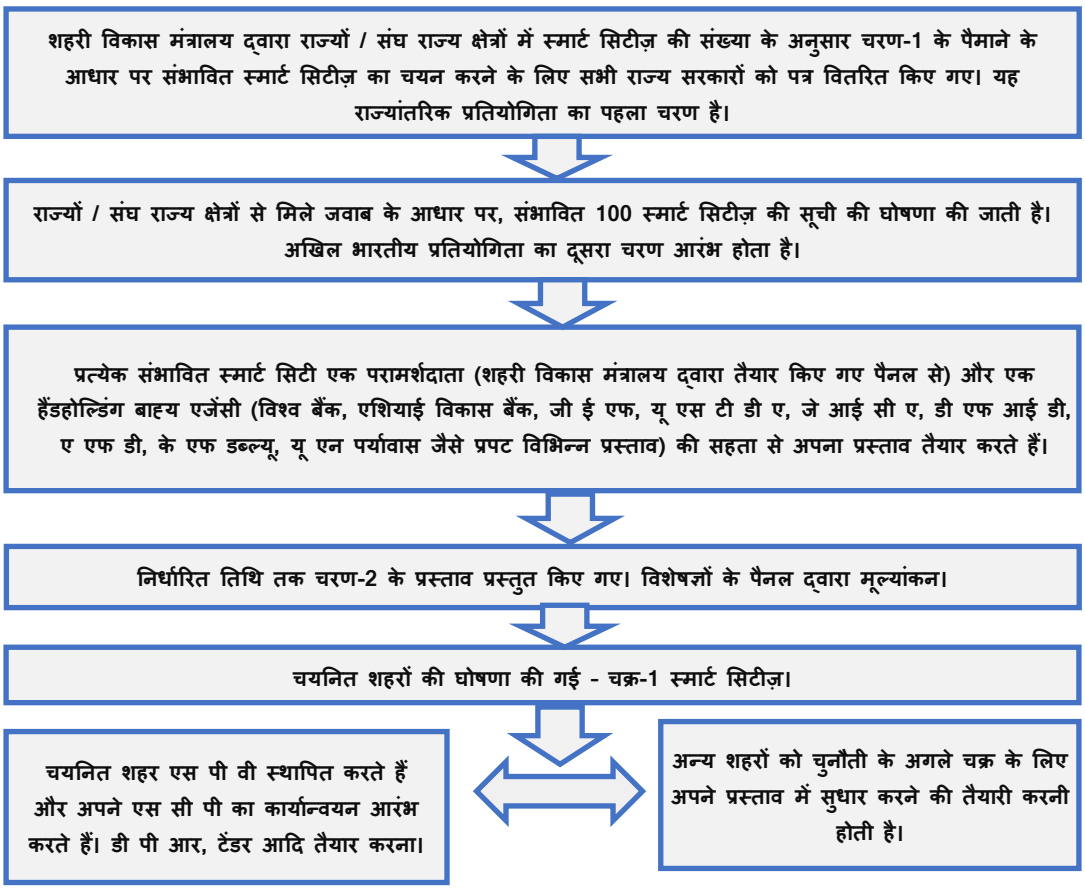

1.3 उत्तराखण्ड में एस सी एम के कार्यान्वयन के लिए ढाँचा

एस सी एम में देश के 100 शहरों को 'स्मार्ट समाधान' के साथ क्षेत्र-आधारित विकास और पैन सिटी पहलों के आधार पर अनुकरणीय मॉडल के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की थी, जिन्हें 'सिटी चैलेंज प्रक्रिया' के माध्यम से चुना गया था। इन शहरों का चयन जनवरी 2016 से जून 2018 की अवधि के दौरान चार दौर में किया गया। शहर स्तर पर एस सी एम के कार्यान्वयन के लिए एक 'विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) की स्थापना की आवश्यकता थी। उत्तराखण्ड में, एकमात्र शहर देहरादून को एस सी एम के अंतर्गत तीसरे दौर में 23 जून 2017 को चुना गया था।

एस सी एम का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड सरकार के शहरी विकास विभाग (श वि वि) द्वारा किया गया, जिसके मुखिया प्रमुख सचिव/सचिव थे, जिन्हें स्मार्ट सिटी का राज्य मिशन निदेशक भी नामित किया गया था। श वि वि के अंतर्गत, देहरादून में एस सी एम को लागू करने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डी एस सी एल) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 15 सितंबर 2017 को एक एस पी वी के रूप में की गई थी। उत्तराखण्ड सरकार ने समय-समय पर भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एस सी एम को लागू करने और निगरानी करने के लिए दो समितियों, उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति **(**एच पी एस सी**)** एवं अंतर-विभागीय समन्वय टास्क फोर्स, की भी स्थापना (जुलाई 2015) की थी। डी एस सी एल ने विभिन्न हितधारकों[2] के बीच सहयोग को सक्षम करने और सलाह देने के लिए एक स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम भी स्थापित किया (नवंबर 2018) था।

1.4 डी एस सी एल का संगठनात्मक ढाँचा

गढ़वाल के मंडलायुक्त को डी एस सी एल के अध्यक्ष के रूप में नामित (अगस्त 2017) किया गया था। अध्यक्ष के अलावा, पाँच अन्य सदस्यों को भी अगस्त 2017 में निदेशक के रूप में नामित किया गया था। अध्यक्ष की सहायता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त नियंत्रक, सहायक महाप्रबंधक (लेखापरीक्षा), मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) और अन्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा की जाती है। वर्तमान में, डी एस सी एल के बोर्ड में 10 निदेशक हैं। डी एस सी एल के शीर्ष प्रबंधन का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिए गए **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है:

---

[2] जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, एस पी वी के सी ई ओ, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ तथा एसोसिएशन/ सोसायटी से कम से कम एक सदस्य।

चार्ट-1.1: डी एस सी एल का संगठनात्मक ढाँचा

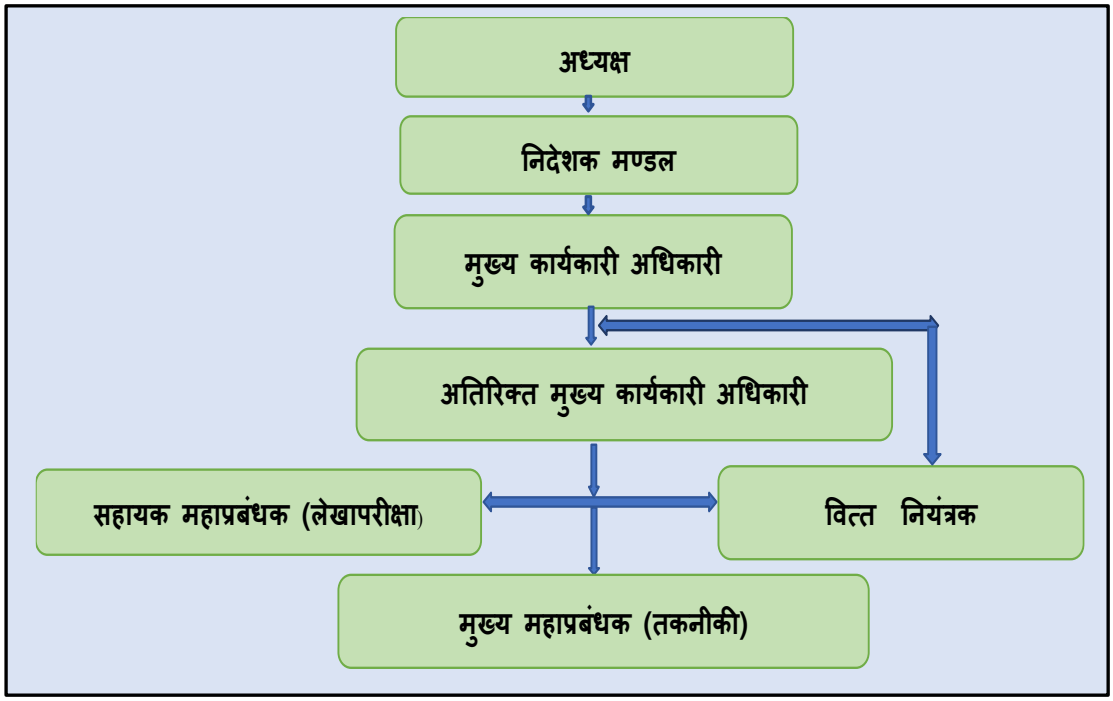

डी एस सी एल ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं और सरकारी विभागों के माध्यम से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, जिनमें ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड[3], केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम और नगर निगम देहरादून शामिल हैं।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

1. एस सी एम के कार्यान्वयन के लिए योजना पर्याप्त और प्रभावी थी तथा इसका उद्देश्य एस सी एम के उद्देश्यों को प्राप्त करना था;
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा में डी एस सी एल को निधियां जारी की गईं तथा डी एस सी एल द्वारा शेष निधियों का संचालन कुशल और एस सी एम के उद्देश्यों के अनुरूप था;
3. डी एस सी एल द्वारा एस सी पी के अनुसार परियोजनाओं को मितव्ययिता से, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया; एवं
4. एस सी एम के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

[3] भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम।

1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के मुख्य स्रोत निम्नलिखित थे:

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून 2015 में जारी एस सी एम दिशानिर्देश;
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श;
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार की संस्वीकृतियाँ एवं निधि अवमुक्त आदेश;
- राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठकों, बोर्ड बैठकों और स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम की बैठकों के कार्यवृत्त एवं वार्षिक लेखे;
- निविदा अभिलेख और कार्यों के लिए निष्पादित अनुबंधों के नियम एवं शर्तें तथा लागू नियम एवं आदेश; सामान्य वित्तीय नियम 2017;
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं बजट मैनुअल 2012; तथा
- भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं आदेश।

1.7 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

देहरादून में एस सी एम के कार्यान्वयन में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए, एस सी एम परियोजनाओं के निष्पादन की 2018-19 से 2022-23 की अवधि को आच्छादित करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की गई।

एस सी एम के अंतर्गत क्रियान्वित सभी 22 परियोजनाओं, जिनका विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है, से संबंधित अभिलेखों की जाँच डी एस सी एल एवं कार्यदायी संस्थाओं[4] के स्तर पर की गई। परियोजनाओं के प्रभाव एवं वास्तविक उपलब्धि का आंकलन करने के लिए प्रगतिरत एवं पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ लेखापरीक्षित इकाई से एकत्र की गयी सूचना और साक्ष्य पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान लिये गये चित्र भी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का आधार हैं। सरकार और प्रबंधन को मसौदा

[4] लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 11 अप्रैल 2024 को प्रेषित किया गया और सरकार का उत्तर 30 मई 2024 को प्राप्त हुआ।

1.8 प्रवेश एवं समापन गोष्ठी

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पहले, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्डों, लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यविधि तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की समयसीमा पर एक प्रवेश गोष्ठी[5] में डी एस सी एल के प्रबंधन के साथ चर्चा (25 जुलाई 2023) की गई। समापन गोष्ठी 21 जून 2024 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार, सी ई ओ, डी एस सी एल और अन्य विभागीय प्रमुखों/कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। सरकार के उत्तरों/विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मलित किया गया है।

1.9 आभार

लेखापरीक्षा, के सुचारू संचालन के लिए समय-समय पर अभिलेख, सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान करने में सी ई ओ, डी एस सी एल एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए लेखापरीक्षा आभारी है। हालाँकि, आगामी प्रस्तर में उल्लिखित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे।

1.10 बाधाएँ/सीमाएं

बार-बार अनुरोध एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद, डी एस सी एल ने मूल और संशोधित एस सी पी दोनों को बनाने से संबंधित अभिलेख[6] लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा शहर के निवासियों/ अन्य हितधारकों के साथ किए गए परामर्श, परियोजनाओं के चयन की प्रक्रिया और एस सी पी के अंतर्गत उन्हें वित्तपोषित करने के प्रस्तावों जैसी गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा करने में असमर्थ थी।

---

[5] उत्तराखण्ड सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने प्रवेश गोष्ठी में भाग नहीं लिया।

[6] (i) एस सी पी तैयार करने से पहले आयोजित नागरिक परामर्श से संबंधित अभिलेख। (ii) एस सी पी तैयार करने के लिए परामर्शदाता के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण। (iii) परियोजना कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र की पहचान करने के लिए किए गए मूल्यांकन/आकलन से संबंधित अभिलेख। (iv) एस सी एम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड। (v) आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए दोनों, मूल एवं संशोधित, एस सी पी की प्रतियां।

1.11 प्रतिवेदन की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

- **अध्याय-1: परिचय**
- **अध्याय-2: परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन**
- **अध्याय-3: अनुबंध प्रबंधन**
- **अध्याय-4: वित्तीय अनियमितताएँ**
- **अध्याय-5: शासकीय रूपरेखा**

अध्याय-2
परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन

अध्याय - 2

परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन

यह अध्याय स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस सी एम) की उपलब्धियों के सम्बंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) में उल्लिखित कई 'स्मार्ट समाधान' क्रियान्वयन के दौरान हटा दिए गए या अपर्याप्त नियोजन और कार्यान्वयन के कारण निष्क्रिय थे, जबकि उनमें से कुछ को लागू किया गया था एवं वर्तमान में क्रियाशील थे। हालाँकि, दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर और ई-बस के पहल जैसी कुछ परियोजनाओं को व्यवहार्य राजस्व सृजन मॉडल की कमी के कारण स्थिरता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ₹ 6.17 करोड़ के निरर्थक व्यय के प्रकरण भी पाए गए। कुछ परियोजनाओं, विशेष रूप से जलापूर्ति के क्षेत्र में जैसे स्काडा, का भी सफल क्रियान्वयन पाया गया। कुल मिलाकर, एस सी एम के इच्छित उद्देश्य - मुख्य बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना, अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना एवं 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग को - आंशिक रूप से प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में एस सी एम के अंतर्गत निष्पादित कुछ परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ और उत्तम परिपाटियाँ भी शामिल हैं।

एस सी एम का उद्देश्य ऐसे शहरों को प्रोत्साहित करना था जो मुख्य अवसंरचना प्रदान कराते हैं और अपने नागरिकों को एक बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण तथा 'स्मार्ट समाधानों' का अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। सुस्थिर और समावेशी विकास पर ज़ोर दिया गया था तथा सघन क्षेत्रों पर ध्यान देते हुये अनुकरणीय मॉडल तैयार करने का विचार था, जो अन्य इच्छुक शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, के रूप में कार्य करेगा। एस सी एम को दो तरीकों से क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी: क्षेत्र आधारित विकास (ए बी डी) और एक पैन-सिटी प्रयास। ए बी डी दृष्टिकोण में मौजूदा क्षेत्रों को पुनर्संयोजित और पुनर्विकास कर बेहतर योजनाबद्ध क्षेत्रों में परिवर्तित

करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे मौजूदा क्षेत्र में रहने योग्य गुणवत्ता में सुधार हो सके। पैन-सिटी विकास में मौजूदा शहर-व्यापी अवसंरचना में चयनित 'स्मार्ट समाधानों'[1] के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई थी। देहरादून के एस सी पी में उल्लिखित ए बी डी क्षेत्र, देहरादून के मुख्य पुराने शहर के 875 एकड़ क्षेत्र को शामिल करता है जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र ***(चित्र-2.1)*** में दर्शाया गया है:

चित्र-2.1: ए बी डी क्षेत्र

डी एस सी एल ने संशोधित स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस सी पी) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए ₹ 1,359.80 करोड़ लागत की 33 परियोजनाओं की पहचान (सितंबर 2018) की थी। यद्यपि, एस सी एम के अंतर्गत ₹ 1,021.54 करोड़[2] लागत की कुल 22 परियोजनाएं[3] क्रियान्वित की गयी। देहरादून में एस सी एम के अंतर्गत कार्यान्वित कुल 22 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं ए बी डी के अंतर्गत जबकि शेष आठ परियोजनाएं पैन-सिटी पहल के अंतर्गत निष्पादित की गईं।

---

1 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग से शहरों को बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

2 फरवरी 2019 में चयनित ₹ 58.50 करोड़ लागत की सिटीस परियोजना भी शामिल है।

3 शेष 11 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹ 182.53 करोड़ थी, राज्य संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित की गईं।

2.1 एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

मार्च 2023 तक, 22 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं प्रगति पर थीं तथा 14 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थीं, जैसा कि निम्न **तालिका-2.1** में संक्षेप में एवं ***परिशिष्ट-1.1*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका-2.1: 31 मार्च 2023 तक परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय *(₹ करोड़ में)*	स्थिति	अवस्थिति
1	दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर	307.83	पूर्ण	पैन-सिटी
2	सिटी इनवेस्टमेंट टु इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन	58.50	प्रगति पर	
3	स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट (स्काडा)	53.40	पूर्ण	
4	इलैक्ट्रिक बस	41.56	पूर्ण	
5	स्मार्ट वेस्ट वेहिकल	21.28	पूर्ण	
6	वॉटर ए टी एम	1.98	पूर्ण	
7	स्मार्ट शौचालय	1.73	पूर्ण	
8	स्मारक ध्वज	0.10	पूर्ण	
9	स्मार्ट पोल	--	प्रगति पर	
10	इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग	204.46	प्रगति पर	ए बी डी क्षेत्र
11	स्मार्ट रोड	190.54	प्रगति पर	
12	वॉटर सप्लाई अगमेंटेसन एण्ड स्मार्ट मीटर्स	32.59	प्रगति पर	
13	इंटीग्रेटेड सीवेरेज वर्क	28.41	प्रगति पर	
14	परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार	20.87	पूर्ण	
15	इंटीग्रेटेड ड्रैनेज वर्क	16.27	प्रगति पर	
16	पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार	13.10	पूर्ण	
17	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	12.33	पूर्ण	
18	स्मार्ट स्कूल	6.05	पूर्ण	
19	पलटन बाज़ार के अग्रभाग का जीर्णोद्धार	4.79	प्रगति पर	
20	सिटिज़न इंगेजमेंट/ आउटरीच प्रोजेक्ट	1.00	पूर्ण	
21	क्रेच बिल्डिंग	0.90	पूर्ण	
22	डिजिटाईजेसन ऑफ कलेक्ट्रेट एण्ड सी डी ओ ऑफिस	0.61	पूर्ण	

परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रस्तावित स्मार्ट फीचर्स का नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा उनकी कार्यक्षमता के साथ-साथ स्थिरता, संचालन एवं रख-रखाव एवं उपयोग के संदर्भ में किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.2 एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन की समीक्षा

एस सी एम के अंतर्गत शहरों का चयन 'सिटी चैलेंज प्रक्रिया' के माध्यम से किया जाना था, जिसमें प्रत्येक शहर द्वारा तैयार एस सी पी में विजन, संसाधनों को जुटाने के लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन तथा स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट हों, का मूल्यांकन शामिल था। एस सी एम दिशा-निर्देशों ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह आशा की गई है कि एस सी पी में अवसंरचना सेवाओं और 'स्मार्ट समाधानों' की एक बड़ी संख्या को शामिल किया जाएगा।

देहरादून की मूल एस सी पी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए) द्वारा तैयार की गई थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस एस सी पी को जून 2017 में मंजूरी दिए जाने के पश्चात, एक विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) के रूप में डी एस सी एल सितंबर 2017 में अस्तित्व में आया एवं इसने भारत सरकार को संशोधित एस सी पी प्रस्तुत की (सितंबर 2018)।

मूल एस सी पी से संबंधित अभिलेख, जिसके कारण एस सी एम के अंतर्गत देहरादून का चयन हुआ तथा डी एस सी एल द्वारा भारत सरकार को बाद में प्रेषित की गई संशोधित एस सी पी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, जैसा कि ***अध्याय-1*** के ***प्रस्तर-1.10*** में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्रासंगिक दस्तावेज़ के अभाव में, लेखापरीक्षा एस सी एम परियोजनाओं के चयन के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

समापन गोष्ठी के दौरान (21 जून 2024), शासन ने लेखापरीक्षा के समक्ष मूल एवं संशोधित एस सी पी दोनों को बनाने से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना स्वीकार किया और बताया कि एम डी डी ए द्वारा सलाहकार प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स लिमिटेड की मदद से एस सी पी तैयार की गई थी। विभिन्न संशोधनों एवं नगर निगम, देहरादून के अनुमोदन के पश्चात, एस सी पी को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि डी एस सी एल, एम डी डी ए, नगर निगम, देहरादून या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराएगा। हालाँकि, अभी तक (अक्टूबर 2024) लेखापरीक्षा को इसकी स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है।

2.2.1 चयनित परियोजना का कार्यान्वयन न होना

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6.2 के अनुसार, स्मार्ट सिटी की ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 10 *प्रतिशत* सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति सौर ऊर्जा से प्राप्त करना, एस सी एम

के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली आवश्यक विशेषताओं में से एक थी। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि संशोधित एस सी पी में ₹ 10 करोड़ लागत की "सौर ऊर्जा समाधान" परियोजना को शामिल किया गया था। तथापि, एस सी एम दिशा-निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद डी एस सी एल द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि "उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण" (उरेड़ा) द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके "सोलर रूफटॉप ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स" परियोजना संचालित की जा रही है। हालाँकि, डी एस सी एल द्वारा स्मार्ट सिटी की ऊर्जा आवश्यकता और योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों के आच्छादन के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई विवरण/ साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। आगे, उरेड़ा से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि, "सोलर रूफटॉप ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स" योजना के अंतर्गत, देहरादून में 2018-19 से 2022-23 के मध्य कुल 10 सरकारी भवनों पर केवल 91 किलोवाट सौर क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए थे, जो शहर की ऊर्जा आवश्यकता के परिकल्पित न्यूनतम 10 *प्रतिशत* के सापेक्ष 0.02 *प्रतिशत* भी पूरा नहीं कर रहे थे।

2.2.2 एस सी पी से परे परियोजनाओं का कार्यान्वयन

एस सी पी दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6.1 के अनुसार, शहरों को अपने एस सी पी, जिसमें विजन, संसाधनों को जुटाने के लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट हो, को तैयार करने की आवश्यकता थी। तथापि, यह पाया गया कि दो परियोजनाएं - कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय का डिजिटलीकरण और स्मारक ध्वज को संशोधित एस सी पी में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इन्हें एस सी एम के अंतर्गत क्रमशः ₹ 56.29 लाख और ₹ 9.28 लाख की लागत से क्रियान्वित किया गया था। डी एस सी एल ने दोनों परियोजनाओं को एस सी एम की परियोजना निधि से वित्त पोषित किया। कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय (सदर) के डिजिटलीकरण परियोजना का उद्देश्य कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर एवं स्कैनर खरीदना था। स्मारक ध्वज परियोजना के अंतर्गत दिलाराम चौक पर 30.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। हालाँकि, प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि कलेक्टर कार्यालय की डिजिटलीकरण परियोजना 08 सितंबर 2018 की एस सी पी

में शामिल थी, जबकि स्मारक ध्वज परियोजना को डी एस सी एल की 14 वीं बोर्ड बैठक (13 जुलाई 2020) में स्वीकृति दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित परियोजनाओं को संशोधित एस सी पी में शामिल नहीं किया गया था। आगे, स्मारक ध्वज परियोजना के लिए बोर्ड की कोई विशिष्ट स्वीकृति नहीं थी।

2.3 'स्मार्ट समाधानों' के कार्यान्वयन की समीक्षा

एस सी एम दिशा-निर्देशों के अनुसार, एस सी एम का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की माँग प्रशस्त करती है, से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा का उपयोग शामिल होगा।

उक्त दिशा-निर्देशों में उल्लिखित 'स्मार्ट समाधानों' के कुछ उदाहरणों में ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन और शहरी गतिशीलता शामिल हैं, जैसा कि ***अध्याय-1*** के ***प्रस्तर-1.1*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

डी एस सी एल ने एस सी एम के अंतर्गत 22 परियोजनाएं क्रियान्वित कीं, जिनमें से 15 परियोजनाओं में 'स्मार्ट समाधान'/प्रस्तावित सुविधाएं जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सेंसर, पर्यावरणीय सेंसर, परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा, सी सी टी वी कैमरे इत्यादि की परिकल्पना की गई थी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान, स्मार्ट रोड, पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाजार, स्मार्ट पोल और स्मार्ट शौचालय आदि जैसी परियोजनाओं के डी पी आर में प्रस्तावित कई सुविधाओं को डी एस सी एल के बोर्ड/ उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच पी एस सी) की स्वीकृति पर हटा दिया/ संशोधित किया गया और जो क्रियान्वित[4] किए गए वे पूरी तरह से क्रियाशील नहीं थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में बताया गया है तथा जिसकी चर्चा ***प्रस्तर 2.4*** एवं ***प्रस्तर 2.5*** के अंतर्गत केस स्टडीज में की गई है।

[4] रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, स्मार्ट ट्रैफिक सेंसर, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन, वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले, इमर्जेंसी कॉल बॉक्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पर्यावरण सेंसर, आर एफ आई डी टैग/प्रणाली, सेंसर आधारित नल, ऑटो फ्लश यूरिनल सिस्टम, इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-सामग्री, सी सी टी वी और उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि एस सी एम दिशा-निर्देशों में बताया गया है, "इंटीग्रेटेड ड्रैनेज कार्य" परियोजना में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं तूफानी जल के पुनः उपयोग जैसे 'स्मार्ट समाधानों' को शामिल करने के प्रावधान था। तथापि, डी पी आर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, और इन नवाचार समाधानों को लागू करने के बजाय, केवल नई नालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि चयनित स्थलों पर भारी यातायात और जगह की कमी के कारण नियोजित कार्य को पूरा करना अव्यवहारिक था। उक्त कथित क्रियान्वित स्मार्ट फीचर्स के गैर-कार्यशील होने के संबंध में, यह बताया गया कि डी एस सी एल संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मार्ट फीचर्स क्रियाशील हो जाएं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों पर योजना बनाते समय विचार कर इनका समाधान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मार्ट फीचर्स चालू हैं तथा उनके संचालन और रख-रखाव पर जोर दिया जा रहा है।

2.4 परियोजनावार विश्लेषण

एस सी एम के अंतर्गत, डी एस सी एल ने ए बी डी क्षेत्र और पैन-सिटी में 22 परियोजनाओं[5] को क्रियान्वित किया। निम्नलिखित प्रस्तरों में 13 परियोजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर

इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर्स अनेक प्रौद्योगिकी प्रणालियों/ अनुप्रयोगों से निपटने की जटिलताओं को, उन्हें एक समान मंच पर एकीकृत करके, कम करते हैं, ताकि वास्तविक समय की सूचनाओं का उपयोग करके सूचित निर्णय लिए जा सके। दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (डी आई सी सी सी) परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सहयोगात्मक ढाँचा स्थापित करना था, जिसमें परिवहन, अग्निशमन, पुलिस,

[5] 13 परियोजनाओं में विस्तृत जाँच की गई 10 परियोजनाएं, प्रस्तर 2.5 में दो परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ एवं प्रस्तर 2.6 में एक परियोजना (स्काडा) से संबंधित उत्तम परिपाटियाँ शामिल हैं। शेष नौ परियोजनाओं में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं पाये गए।

मौसम विज्ञान आदि जैसे विभिन्न कार्यात्मक विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एक ही मंच पर संकलित और विश्लेषित किया जा सके; जिसके परिणामस्वरूप नगर-स्तर की समेकित जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, इस समेकित नगर-स्तरीय जानकारी को कार्यवाही योग्य सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संबंधित हितधारकों एवं नागरिकों तक समन्वित एवं सहयोगपूर्ण तरीके से पहुँचाया जा सके।

डी आई सी सी सी और अन्य एकीकृत 'स्मार्ट समाधान' स्थापित करने हेतु, डी एस सी एल एवं मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर[6] (एम एस आई) के मध्य ₹ 294.43 करोड़[7] की कुल लागत का एक अनुबंध हस्ताक्षरित (22 जुलाई 2019) किया गया, जिसकी पूर्ण होने की तिथि 21 मई 2020 निर्धारित थी। डी आई सी सी सी परियोजना में ₹ 4.05 करोड़ (पूंजीगत व्यय) और ₹ 7.21 करोड़ (परिचालन व्यय) की लागत वाले कार्य के दायरे को कम करने के पश्चात, लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2023) तक परियोजना पर ₹ 258.46 करोड़ का व्यय किया गया, जिसमें ₹ 223.12 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल था, जिसे ***परिशिष्ट-2.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। डी आई सी सी सी 15 मार्च 2022 से परिचालन में आया, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सक्षम प्रणालियाँ[8] शामिल हैं, जिनमें वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, कैमरे, सेंसर, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर आदि जैसे कई एंड-डिवाइसेज़ थीं। डी आई सी सी सी परियोजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.4.1.1 एंड-डिवाइसेज़ की कम परिचालन उपलब्धता

सर्विस लेवल एग्रीमेंट[9] की शर्त 50.4 में प्रावधान है कि फील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम-लाउडस्पीकर, पर्यावरणीय सेंसर, स्मार्ट ट्रैफिक डिटेक्टर (सेंसर और कंट्रोलर), सी सी टी वी और अन्य उपकरणों के लिए न्यूनतम अपटाइम 97 *प्रतिशत* होना चाहिए, जिसे मासिक आधार पर मापा जाना था।

डी आई सी सी सी के कार्य करने हेतु, पब्लिक एड्रेस सिस्टम-लाउडस्पीकर, पर्यावरणीय सेंसर, स्मार्ट ट्रैफिक डिटेक्टर (सेंसर और कंट्रोलर), सी सी टी वी आदि जैसे कई

---

6 मैसर्स ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एच पी ई)।

7 पूंजीगत व्यय: ₹ 227.90 करोड़ और परिचालन व्यय: ₹ 66.53 करोड़ (अंतिम गो-लाइव की तिथि से 60 महीने के लिए)।

8 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ए टी सी एस), इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई टी एम एस), सर्विलांस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि।

9 एम एस आई के साथ अनुबंध का एक हिस्सा।

एंड-डिवाइसेज़ स्थापित किए गए थे। इन एंड-डिवाइसेज़ की कार्यात्मक उपलब्धता मुख्य रूप से नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिजली पर निर्भर थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा डी एस सी एल के प्रतिनिधियों के साथ किए गए डी आई सी सी सी परियोजना के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (07 नवंबर 2023) के दौरान, एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता को कम पाया गया, जैसा कि निम्न **तालिका-2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2: एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता

क्र. सं	एंड डिवाइस का नाम	स्थापित डिवाइसेज़ की संख्या	परिचालन स्थिति		एंड-डिवाइसेज़ की परिचालन उपलब्धता *प्रतिशत* में
			सक्रिय	निष्क्रिय	
1	ट्रैफ़िक लाइट्स	49	36	13	73
2	सर्विलांस कैमरे	517	505	12	98
3	रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आर एल वी डी)	105	56	49	53
4	ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ए एन पी आर)	29	20	09	69
5	स्मार्ट ट्रैफ़िक सेंसर (ए एवं बी)	76	21	55	28
6	स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (एस वी डी)	04	02	02	50
7	वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (वी एम डी) बोर्ड	50	27	23	54
8	इमर्जेंसी कॉल बॉक्स (ई सी बी)	107	60	47	56
9	पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी ए एस)	24	17	07	71
10	पर्यावरणीय सेंसर	50	27	23	54

सर्विलांस कैमरों की संचालनात्मक उपलब्धता 98 *प्रतिशत* थी, जबकि अन्य एंड-डिवाइसेज़ की न्यूनतम 97 *प्रतिशत* परिचालन उपलब्धता के सापेक्ष 28 से 73 *प्रतिशत* तक थी।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया कि विभिन्न स्थानों पर एंड-डिवाइसेज़ के अप्रत्याशित विघटन के कारण एंड-डिवाइसेज़ की परिचलान उपलब्धता कम थी। डी एस सी एल एंड-डिवाइसेज़ को यथाशीघ्र पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है।

2.4.1.2 अक्रियाशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉड्यूल

एम एस आई के साथ अनुबंध की शर्त 4.15.1 के अनुसार, नगर निगम देहरादून घर-घर से कूड़े के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, डंपिंग और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी था। मौजूदा ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रक्रिया में संग्रहण समय एवं क्षेत्र के संबंध में जानकारी का अभाव; निगरानी, संग्रह और परिवहन वाहनों की ट्रैकिंग के लिए उचित प्रणाली का अभाव आदि जैसी कई समस्याएं थी।

इन समस्याओं के समाधान हेतु, वास्तविक समय में पूरे अपशिष्ट संग्रह प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए डी एस सी एल ने एम एस आई के माध्यम से डी आई सी सी परियोजना के ई-गवर्नेंस समाधानों के अंतर्गत एक बायोमेट्रिक और सेंसर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस डब्ल्यू एम) मॉड्यूल विकसित किया (मार्च 2022)। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस), रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आर एफ आई डी) टैग/ क्विक रिस्पॉन्स (क्यू आर) कोड आदि जैसे विभिन्न स्मार्ट फीचर्स थे। इसके लिए, ₹ 1.59 करोड़ की लागत वाले कार्य के दायरे को कम करने के पश्चात, ₹ 4.55 करोड़ की लागत से विभिन्न नवीनतम आई सी टी घटक[10] स्थापित किए गए थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल को 15 मार्च 2022 को गो-लाइव किया गया था। तथापि, ई-गवर्नेंस सॉल्यूशंस में उपलब्ध विभिन्न प्रतिवेदनों[11], जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, से यह प्रदर्शित हुआ कि नगर निगम देहरादून द्वारा एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल गो-लाइव होने के पश्चात से उपयोग नहीं किया गया था। डी एस सी एल द्वारा (अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022) एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु नगर निगम, देहरादून को विभिन्न पत्र प्रेषित किये गए थे, परंतु मॉड्यूल का उपयोग फरवरी 2025 तक नहीं किया जा सका। अतः एस डब्ल्यू एम प्रक्रिया की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी तथा व्यापक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी तथा ₹ 4.55 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और आश्वासन दिया गया कि एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल का उपयोग करने हेतु नगर निगम देहरादून के साथ पत्राचार किया जाएगा। यदि नगर निगम देहरादून द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे लागू किया जाएगा और मॉड्यूल नगर निगम, देहरादून को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच पी एस सी एवं अंतर विभागीय समन्वय टास्क फोर्स के अस्तित्व में रहने के बावजूद भी, एस डब्ल्यू एम मॉड्यूल का उपयोग सुनिश्चित

---

[10] आर एफ आई डी रीडर (कंट्रोलर के साथ), क्यू आर कोड, आर एफ आई डी टैग, बिन लेवल सेंसर, जी पी एस, बायोमेट्रिक फेस रेकोगनेशन डिवाइस, मोबाइल और वेइंग ब्रिज कंट्रोलर।

[11] एम आई एस रिपोर्ट, जैसे डोर-टू-डोर वाहन विवरण, हाउस होल्ड बिन संग्रह रिपोर्ट, वाहन फेरा रिपोर्ट, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह विवरण रिपोर्ट, भार रिपोर्ट, आदि।

करने में शासन एवं डी एस सी एल असमर्थ रहे और एस डब्ल्यू एम प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन हेतु पारदर्शी और व्यापक तंत्र प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.1.3 आपदा रिकवरी साईट स्थापित न किया जाना

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपदा रिकवरी सर्वोत्तम परिपाटियाँ संस्करण 1.0 के अनुसार, सभी विभागों के लिए आपदा रिकवरी सेटअप को अपनाना आवश्यक है जिससे कि सरकारी कार्यों की निरंतरता तथा डेटा/एप्लिकेशन की दृढ़ता बनी रहे। आपदा रिकवरी का उद्देश्य विभागों को किसी भी आपदा[12] के प्रभाव से सुरक्षित रखना है। इसके माध्यम से विभाग किसी आपदा के बाद शीघ्रता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पुनः आरंभ कर सकता है।

राज्य डेटा सेंटर नीति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के सभी अनुप्रयोगों के लिए एक समान आपदा रिकवरी साइट होनी चाहिए। इस संदर्भ में, डी एस सी एल बोर्ड (मार्च 2021) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई टी डी ए), उत्तराखण्ड शासन, में आपदा रिकवरी साईट स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए डी एस सी एल को आई टी डी ए को किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, आई टी डी ए की एक बैठक (अगस्त 2021) में, यह निर्णय लिया गया कि डी एस सी एल द्वारा आई टी डी ए को प्रति वर्ष ₹ 57.22 लाख (संचालन और रख-रखाव सहित) का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल प्राधिकारियों ने स्वयं अथवा आई टी डी ए द्वारा आपदा रिकवरी साईट की स्थापना को सुनिश्चित किए बिना ही, डी आई सी सी सी परियोजना को 15 मार्च 2022 को अंतिम गो-लाइव के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह उल्लेखनीय है कि डी आई सी सी सी, आई टी डी ए एवं राज्य डेटा केंद्र एक ही भवन में स्थित हैं और यह क्षेत्र आपदा संभावित क्षेत्र (भूकंपीय क्षेत्र-IV) में आता है। हाल ही में, 25 अगस्त 2021 एवं 08 अगस्त 2023 को बादल फटने के कारण डी आई सी सी सी क्षेत्र में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।

---

[12] मानव त्रुटि, आग या विस्फोट, बिजली की कमी, महामारी/दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित सिस्टम अपडेट और पैच, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आपदा रिकवरी सर्वोत्तम परिपाटियाँ संस्करण 1.0 में दिया गया है।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया गया कि आई टी डी ए द्वारा आपदा रिकवरी साईट स्थापित किया जा रहा था, जिसके लिए एक सर्वर बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वर को समान नागरिक संहिता से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया था। अतः आपदा रिकवरी साईट की अनुपस्थिति में, डी आई सी सी सी के महत्वपूर्ण संचालन पर जोखिम बना रहा।

2.4.1.4 सुरक्षा अंकेक्षण न किया जाना

भारतीय सरकारी वेबसाइटों हेतु दिशानिर्देशों (जनवरी 2009) के प्रस्तर 7.7 और 7.7.1 के अनुसार, वेब अनुप्रयोगों की सुरक्षा वेबसाइट के स्वामियों तथा उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशानिर्देश में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वेबसाइट/ अनुप्रयोग को होस्ट करने से पहले तथा नए मॉड्यूल जोड़ने के बाद, अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध संस्थाओं से सुरक्षा अंकेक्षण करवाना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, एन आई सी-सी ई आर टी द्वारा जारी (नवंबर 2017) वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देश संस्करण 1.0 के अनुसार, सुरक्षा अंकेक्षण हर छः माह में या जब भी सोर्स कोड में कोई परिवर्तन किया जाए, तब किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी आई सी सी सी के साथ एकीकृत 14 अनुप्रयोगों का सुरक्षा अंकेक्षण, डी एस सी एल द्वारा किए गए अनुबंध (08 जनवरी 2021) के अंतर्गत नियुक्त तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक[13] द्वारा जून 2021 से जनवरी 2022 के बीच किया गया था, अर्थात् डी आई सी सी सी परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान, क्योंकि अंतिम गो-लाइव से पहले यह अनिवार्य था। तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक के साथ हुए अनुबंध में भविष्य में अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षा अंकेक्षण कराने का कोई प्रावधान नहीं था। इन अनुप्रयोगों के सुरक्षा अंकेक्षण प्रमाणपत्रों की वैधता 09 फरवरी 2023 को समाप्त हो गई थी। पाँच अनुप्रयोगों[14] के संस्करण में परिवर्तन होने और सुरक्षा अंकेक्षण प्रमाणपत्रों

---

13 मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।

14 (i) अनुकूलनीय यातायात नियंत्रण प्रणाली (संस्करण टी आई एस 3.2.4.2), (ii) ई-गवर्नेंस सिटिज़न पोर्टल एप्लिकेशन (संस्करण 2.0), (iii) यातायात निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन (संस्करण 4.2.0), (iv) यातायात प्रवर्तन प्रणाली एप्लिकेशन (संस्करण 15.0.0), और (v) स्वचालित नंबर प्लेट रीडर एप्लिकेशन (संस्करण 9.5.0)।

की अवधि समाप्त होने के बावजूद, 10 फरवरी 2023 से इन अनुप्रयोगों का सुरक्षा अंकेक्षण नहीं कराया गया था। यह लापरवाही तथा उपर्युक्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि वेब अनुप्रयोगों की सुरक्षा वेबसाइट के स्वामियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित सुरक्षा अंकेक्षण के अभाव में इन अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे डेटा और सेवाओं की अखंडता, गोपनीयता तथा उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिससे डेटा चोरी, अनधिकृत पहुंच और अन्य गंभीर सुरक्षा घटनाएं हो सकती हैं। अतः इन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर सुरक्षा अंकेक्षण को प्राथमिकता देना और संपन्न करना अत्यावश्यक था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और अवगत कराया गया कि डी आई सी सी सी अनुप्रयोग का सुरक्षा अंकेक्षण मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण निदेशालय टीम द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

2.4.1.5 डी आई सी सी सी में राजस्व सृजन मॉडल का अभाव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जून 2021 में एक मार्गदर्शिका नोट जारी किया, जिसमें विभिन्न आई टी अवसंरचनाओं के लिए व्यवहार्यता और व्यवहारिकता के आधार पर राजस्व सृजन/मुद्रीकरण रणनीति का चिन्हीकरण और कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया था, ताकि डी आई सी सी सी अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम एस आई द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापन, स्मार्ट वाई-फाई, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों से रॉयल्टी, डेटा मुद्रीकरण आदि के माध्यम से राजस्व सृजन के संबंध में दी गई अनुशंसाओं के बावजूद, डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी के गो-लाइव के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई राजस्व सृजन मॉडल न तो तैयार किया और न ही लागू किया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि डी आई सी सी सी परियोजना की स्थिरता हेतु राजस्व सृजन के विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण किया जाएगा। यह भी अवगत कराया गया

कि डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी परियोजना के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई टी एम एस) अनुप्रयोग का उपयोग करके यातायात पुलिस विभाग द्वारा चालानों के माध्यम से एकत्रित की गई राशि के राजस्व साझेदारी हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी आई सी सी सी के गो-लाइव के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डी एस सी एल ने न तो अपना कोई राजस्व सृजन मॉडल तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास किए और न ही एम एस आई द्वारा सुझाए गए राजस्व सृजन मॉडल को अपनाया। अतः राजस्व सृजन मॉडल के अभाव में, डी एस सी एल पूरी तरह केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर रहा।

2.4.1.6 पर्यावरणीय सेंसरों पर ₹ 2.62 करोड़ का निष्फल व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प्र नि बो) के अंतर्गत शहर में तीन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (ए क्यू एम एस) और एक निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सी ए क्यू एम एस) पहले से ही कार्यरत होने के बावजूद, अनुमोदित डी पी आर (दिसंबर 2018) के अनुसार, डी एस सी एल ने डी आई सी सी सी परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जनवरी 2020 में उ प्र नि बो से परामर्श किए बिना ₹ 2.37 करोड़ की लागत से 50 पर्यावरणीय सेंसर खरीदे और नवंबर 2020 में स्थापित किए। ये सेंसर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित (नवंबर 2009) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों[15] का पालन नहीं करते थे, क्योंकि ये पर्यावरणीय सेंसर बारह में से छः[16] मानकों को मापने में सक्षम नहीं थे, जैसा कि उ प्र नि बो ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2020 में भी इंगित किया था। अतः शहर में वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्डों पर प्रदर्शित वायु गुणवत्ता सूचकांक इन सेंसरों के डेटा पर आधारित नहीं था, बल्कि इसे उ प्र नि बो द्वारा प्रदत्त डेटा के आधार पर प्रदर्शित किया जा रहा था। गो-लाइव के बाद, डी एस सी एल ने इन सेंसरों के संचालन और रख-रखाव पर ₹ 24.76 लाख (दिसंबर 2023 तक) का व्यय भी किया।

---

[15] सल्फर डाइऑक्साइड (एस ओ$_2$), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एन ओ$_2$), कण प्रदूषण (पी एम 10), कण प्रदूषण (पी एम 2.5), ओजोन (ओ$_3$), लेड (पी बी), कार्बन मोनोऑक्साइड (सी ओ), अमोनिया (एन एच$_3$), बेंजीन (सी$_6$ एच$_6$), बेंजो (ए) पाइरीन (बी ए पी), आर्सेनिक (ए एस) और निकल (एन आई)।

[16] लेड (पी बी), अमोनिया (एन एच$_3$), बेंजीन (सी$_6$ एच$_6$), बेंजो (ए), पाइरीन (बी ए पी), आर्सेनिक (ए एस) और निकल (एन आई)।

इस प्रकार, उ प्र नि बो के संचालित ए क्यू एम एस और सी ए क्यू एम एस की उपलब्धता के बावजूद पर्यावरण सेंसरों की स्थापना पर ₹ 2.62 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया गया कि डी एस सी एल, उ प्र नि बो के परामर्श से इन पर्यावरण सेंसरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर उपयोग करने का प्रयास करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी एस सी एल द्वारा स्थापित पर्यावरण सेंसर 12 निर्धारित मानकों में से केवल छ: को ही मापने में सक्षम थे, जिसे उ प्र नि बो ने भी उजागर किया था। अत: स्थानों का परिवर्तन उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

2.4.1.7 परियोजनाओं का समन्वय न होने के कारण ₹ 70.29 लाख की देयता का सृजन

एस सी एम की डी आई सी सी सी परियोजना के अंतर्गत, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज (एच पी ई, इंडिया) द्वारा ट्रैफिक चौराहों, बस शेल्टरों एवं अन्य स्थानों पर विभिन्न आई टी उपकरण एवं वी एम डी लगाए गए थे। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि डी आई सी सी सी परियोजना के पूर्ण होने (मार्च 2022) के बाद, लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) खण्डों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से तथा डी एस सी एल द्वारा एस सी एम के अंतर्गत विभिन्न ट्रैफिक चौराहों, बस शेल्टरों एवं अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य किए गए। इसलिए, डी आई सी सी सी परियोजना के अंतर्गत स्थापित वी एम डी एवं अन्य आई टी उपकरणों को हटाना पड़ा। आगे यह भी पाया गया कि एच पी ई (इंडिया) ने उपकरणों को हटाने के लिए ₹ 0.12 करोड़ की लागत प्रतिपूर्ति एवं उपकरणों की पुनः स्थापना के लिए ₹ 1.91 करोड़ का आगणन प्रस्तुत किया (नवंबर 2023)।

लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया की ₹ 70.29 लाख की अनुमानित लागत, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3*** में वर्णित है, स्मार्ट रोड परियोजना के संरेखण में पड़ने वाले 16 ट्रैफिक जंक्शनों पर आई टी उपकरणों को हटाने एवं पुनः स्थापित करने से संबंधित थी। इस प्रकार, एस सी एम के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का समन्वय न होना, नियोजन की कमी, विभागों के बीच समन्वय की कमी और स्मार्ट रोड परियोजना के क्रियान्वयन में हुये विलम्ब के कारण ₹ 70.29 लाख की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी उत्पन्न हुई।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि स्मार्ट रोड परियोजना की आवश्यकता के अनुसार उपकरणों को हटाने एवं पुनःस्थापना की गतिविधियाँ की गईं, जिसके लिए सड़क संरेखण में आने वाले चौराहों पर स्थापित आई टी उपकरणों को अस्थायी रूप से हटाना आवश्यक हो गया था। एच पी ई (इंडिया) द्वारा प्रस्तुत लागत प्रतिपूर्ति एवं आगणन इन परियोजनाओं की निर्भरता और आवश्यकताओं के कारण किए गए आवश्यक व्यय को दर्शाते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों ही परियोजनाएँ अर्थात डी आई सी सी एवं स्मार्ट रोड एस सी एम के अंतर्गत थीं, अतः डी एस सी एल को ₹ 70.29 लाख की वित्तीय देनदारी से बचने के लिए समन्वय करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, इसने स्थापित आई टी उपकरणों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित किया जैसा कि उपरोक्त ***प्रस्तर 2.4.1.1*** में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

2.4.2 पी पी पी मोड पर स्मार्ट पोल

डी एस सी एल ने शहर में "स्मार्ट पोल" (जैसा कि पार्श्व ***चित्र-2.2*** में दिखाया गया है) के माध्यम से कई सेवाएँ जैसे वाई-फाई, वार्म एल ई डी ल्यूमिनरीज, सी सी टी वी कैमरा, दूरसंचार सेवाएँ और पर्यावरण निगरानी सेंसर प्रदान करने के लिए संशोधित एस सी पी में "स्मार्ट पोल" परियोजना की योजना बनाई। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, डी एस सी एल ने अनुबंध की तिथि से 12 महीने की क्रियान्वयन अवधि के दौरान लगभग 100 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ़ सी) के साथ 130 स्मार्ट पोल की आपूर्ति, स्थापना और रख-रखाव के लिए एक कन्सेसनेयर[17] के साथ पी पी पी/बी ओ टी मोड पर एक अनुबंध (जनवरी 2020) किया। स्मार्ट पोल्स की स्थापना से प्रति वर्ष ₹ 55.40 लाख की

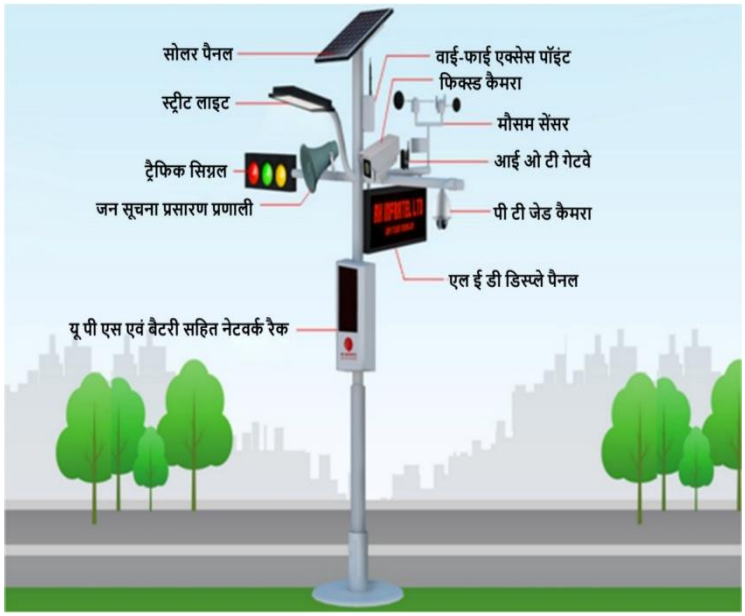

चित्र-2.2: स्मार्ट पोल

[17] मै. इंडस टावर लिमिटेड।

राजस्व प्राप्ति के स्रोत का भी सृजन हुआ (द्वितीय वर्ष के आगे से इसमें पाँच *प्रतिशत* की वृद्धि होनी थी)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन की निर्धारित तिथि अर्थात जनवरी 2021 से लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका। अक्टूबर 2023 तक 130 स्मार्ट पोल और 100 किमी ओ एफ सी में से केवल 27 स्मार्ट पोल और 70 किमी ओ एफ सी ही स्थापित/ बिछाई गई थी।

स्मार्ट पोल न लगाए जाने का मुख्य कारण डी एस सी एल द्वारा आवश्यक स्थल उपलब्ध न कराना था। अनुबंध के अनुसार, डी एस सी एल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर स्मार्ट पोल के लिए स्थल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य था। हालाँकि, जुलाई 2021 तक, डी एस सी एल ने पोल लगाने के लिए केवल 23 स्थल उपलब्ध कराये थे। अगले दो वर्षों में, अक्टूबर 2023 तक, डी एस सी एल स्मार्ट पोल के लिए केवल चार अतिरिक्त स्थल ही उपलब्ध करा पाया।

स्मार्ट फीचर्स के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिकांश स्मार्ट फीचर्स, स्थापित स्मार्ट पोल्स में मौजूद नहीं थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में विस्तृत रूप से बताया गया है। डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ किए गए छः पोल्स के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (14 नवंबर 2023) में लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल चार पोल ही दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे थे, जिससे जुलाई 2023 तक ₹ 32.21 लाख[18] का राजस्व प्राप्त हुआ। शेष दो पोल[19], दो वर्ष से स्थापित होने के बावजूद कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन पर आवश्यक उपकरण[20] नहीं लगाए गए थे।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, शासन ने अवगत कराया कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा प्रस्तावित स्थापना स्थलों का आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित लाइन विभागों से नहीं लिया गया था। डी एस सी एल अब अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। स्मार्ट फीचर्स की स्थापना न किए जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया, हालाँकि, डी एस सी एल के प्रबंधन ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि पोल के लिए

---

[18] ₹ 32.21 लाख = ₹ 13.09 लाख + ₹ 13.75 लाख + ₹ 2.75 लाख + ₹ 2.62 लाख।

[19] पुलिस अधीक्षक, यातायात कार्यालय के पास (दून अस्पताल के पास) एवं राजपुर रोड, स्कोलर्स होम विद्यालय के पास।

[20] वाई-फाई उपकरण, स्मार्ट वार्म एल ई डी लाइट, सी सी टी वी, पर्यावरण निगरानी सेंसर एवं डिजिटल बिलबोर्ड।

चयनित स्थल स्मार्ट फीचर्स के उपयोग के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं थे और दो अप्रयुक्त स्मार्ट पोल केवल फाइबर मीडिया के साथ संचालित करने हेतु स्थापित किए गए थे। संबंधित लाइन विभागों से अनुमति न मिलने के कारण फाइबर बिछाने/ कनेक्टिविटी का कार्य लंबित था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों को योजना बनाते समय विचार कर सुलझाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध को समाप्त करने के लिए डी एस सी एल का कथन, एस सी एम के अंतर्गत परिकल्पित लाभों को विफल कर देगा।

2.4.3 इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्रावधान है कि आगणनों को विवेकपूर्ण शुद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। तकनीकी विशिष्टियाँ, लागत निर्धारण, लागत लाभ विश्लेषण, स्थल का सर्वेक्षण और भूमि की उपलब्धता से संबंधित परीक्षण जैसी निर्धारित औपचारिकताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एस सी एम के अंतर्गत डी एस सी एल द्वारा प्रस्तुत संशोधित एस सी पी में नागरिकों की सुविधा बढ़ाने हेतु जिला-स्तरीय कार्यालयों को केंद्रीकृत करने के लिए "इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग" (ग्रीन बिल्डिंग) का निर्माण शामिल था। शुरुआत में, इस भवन में सात मंजिलों के साथ एक विशाल बेसमेंट की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रशासनिक विभागों को समायोजित करना था।

“ग्रीन बिल्डिंग” परियोजना को एच पी एस सी ने ₹ 204.46 करोड़[21] की लागत से अनुमोदित (जुलाई 2019) किया था। उत्तराखण्ड परिवहन निगम (उ प नि) के स्वामित्व वाली भूमि[22] पर प्रस्तावित “ग्रीन बिल्डिंग” का निर्माण, कार्यदायी संस्था सी पी डब्ल्यू डी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन (अक्टूबर 2019) के अनुसार दिसंबर 2021 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशों के बावजूद, कानूनी बाधाओं के कारण प्रस्तावित स्थल को डी एस सी एल को हस्तांतरित नहीं किया जा सका। एच पी एस सी की बैठक (नवंबर 2020) में, मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। हालाँकि, मौजूदा कार्यालयों को स्थानांतरित

---

[21] ₹ 204.46 करोड़ = ₹ 184.46 करोड़ (भवन के निर्माण हेतु) + ₹ 20.00 करोड़ (यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उ प नि को भुगतान किया गया), जिसमें से अक्टूबर 2020 में डी एस सी एल को ₹ 19.60 करोड़ वापस कर दिए गए।

[22] हरिद्वार रोड पर उ प नि की मौजूदा कार्यशाला क्षेत्र में।

करने में व्यावहारिक समस्याओं के कारण यह स्थल अव्यवहार्य साबित हुआ। तत्पश्चात, अगस्त 2022 में, ग्रीन बिल्डिंग के लिए नियोजित उसी स्थल को उ प नि से खरीदने का निर्णय लिया गया। अंततः सरकार ने प्रस्तावित स्थल के बदले उ प नि को भूमि उपलब्ध कराई और प्रस्तावित भूमि शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गई (दिसंबर 2022)। इसके बाद, डी एस सी एल बोर्ड बैठक में नौ मंजिल और दो बेसमेंट (लागत ₹ 216.91 करोड़) के संशोधित दायरे की स्वीकृति (नवंबर 2023) के पश्चात, परियोजना मार्च 2024 में ही शुरू हो सकी। सितंबर 2024 तक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 10 *प्रतिशत* और ₹ 10.63 करोड़ थी। यह दर्शाता है कि डी एस सी एल/ एच पी एस सी के पास परियोजना के लिए रणनीतिक योजना का अभाव था, क्योंकि यह किसी अन्य विभाग से भूमि प्राप्त करने में असमर्थ था, न ही इसने पूंजीगत परियोजना से जुड़े जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन किया।

इस प्रकार, परियोजना के प्रस्ताव से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में बजट मैनुअल का पालन न किए जाने के कारण ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य अनुमोदन के चार वर्ष बाद ही प्रारम्भ हो सका, जिससे सामान्य जन को प्राप्त होने वाली अपेक्षित सुविधा में भी विलंब हुआ।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि अब ₹ 206.00 करोड़ की संशोधित लागत से छः मंजिलों और दो बेसमेंट के साथ ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है (फरवरी 2024), एवं तदनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया है।

शासन का उत्तर स्वयं राज्य बजट मैनुअल के उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.54 करोड़[23] की अतिरिक्त लागत आई और ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

2.4.4 इलेक्ट्रिक बस

प्रदूषण को कम करने और परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग करने के समग्र कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु एक नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से "इलेक्ट्रिक बस" परियोजना (लागत ₹ 41.56 करोड़) को मंजूरी

[23] ₹ 21.54 करोड़ = ₹ 206.00 करोड़ (संसोधित परियोजना लागत) - ₹ 184.46 करोड़ (उ प नि की यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत को छोड़कर प्रारंभिक स्वीकृत लागत)।

(जून 2019) दी गई। डी एस सी एल ने एक फर्म[24] के साथ "पूर्ण निर्मित 30 वातानुकूलित शुद्ध ई-बसों की आपूर्ति, संचालन एवं रख-रखाव" हेतु एक अनुबंध (04 मार्च 2020) किया। डी पी आर में सात वर्षों (2019-20 से 2026-27) में किराए और विज्ञापन राजस्व आय से ₹ 36.99 करोड़ अधिक की हानि का अनुमान लगाया गया था। सभी निर्धारित मार्गों पर ई-बसों के बेड़े का संचालन फरवरी 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान किया जा सका। मार्च 2023 तक कुल ₹ 11.26 करोड़[25] की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- समान मार्गों पर संचालित परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक किराया एवं कम सेवा आवृत्ति के कारण, ई-बसों में सवारियों की संख्या कम रही, जिसके परिणामस्वरूप डी एस सी एल को ई-बस परिचालन से अनुमानित दैनिक राजस्व ₹ 3.93 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 1.29 लाख की आय हुई।
- ई-बस का वाणिज्यिक संचालन फरवरी 2021 से शुरू हो गया था, लेकिन डी एस सी एल के बोर्ड ने लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2023) तक ई-बसों में सवारियों की कम संख्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, डी एस सी एल के बोर्ड ने आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग हेतु न्यूनतम किराया ₹ 100.00 से घटाकर ₹ 10.00 करने का निर्णय लिया (नवंबर 2023)।
- डी एस सी एल ने प्राप्त राजस्व का कोई विश्लेषण नहीं किया था क्योंकि वह फरवरी 2021 से जून 2023 तक की अवधि के लिए प्रत्येक मार्ग से अर्जित मासिक राजस्व का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा। माह जुलाई 2023 के राजस्व के लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पता चला कि ई-बसों में औसत सवारी प्रति यात्रा 3 से 13 यात्रियों के बीच रही, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.4*** में दर्शाया गया है। ई-बसों में कम सवारी की इस समस्या की आगे संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान भी पुष्टि हुई (17 नवम्बर 2023), जो लेखापरीक्षा टीम द्वारा डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें प्रत्येक बस में यात्रियों की संख्या 3 से 12 के बीच पाई गई। सबसे कम सवारी, केवल तीन यात्रियों के साथ,

---

[24] मै. ई वी ई वाई ट्रांस (यू के एस) प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।

[25] ₹ 11.26 करोड़ = ₹ 14.62 करोड़ (संचालन व्यय) - ₹ 3.36 करोड़ (मार्च 2021 से मार्च 2023 तक प्राप्ति)।

आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग पर दर्ज की गई, जैसा कि नीचे दिये गये ***चित्र-2.3*** एवं ***2.4*** में दर्शाया गया है:

चित्र-2.3 एवं 2.4: न्यूनतम सवारियाँ, जैसा कि आई एस बी टी-एयरपोर्ट मार्ग पर मात्र तीन यात्री देखे गए

- वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक बसों के परिचालन पर विज्ञापनों के माध्यम से अनुमानित अतिरिक्त आय ₹ 1.01 करोड़ थी। हालाँकि, डी एस सी एल ने इस अतिरिक्त राजस्व को अर्जित करने के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाई थी।

इस प्रकार, डी एस सी एल ने हानि को कम करने के लिए विज्ञापनों से अतिरिक्त राजस्व सृजित करने की रणनीति तलाशने, किराए और मार्गों की समीक्षा करने तथा बसों के फेरे निर्धारित करने जैसी कोई सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार किए बिना ही परियोजना का संचालन किया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि राजस्व सृजन के लिए विज्ञापन, जैसी योजनाएं, जल्द ही लागू की जाएंगी। यह भी अवगत कराया गया कि सवारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्गों पर बसों को पुनः आवंटित किया गया है। हालाँकि, इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

2.4.5 स्मार्ट रोड परियोजना

स्मार्ट रोड की परिकल्पना उपयुक्त सड़क अवसंरचना और सहायक आई टी घटकों के संयोजन के रूप में की गई थी, जो वाहन चालकों, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सहजता से चलने में सहायता करेगी।

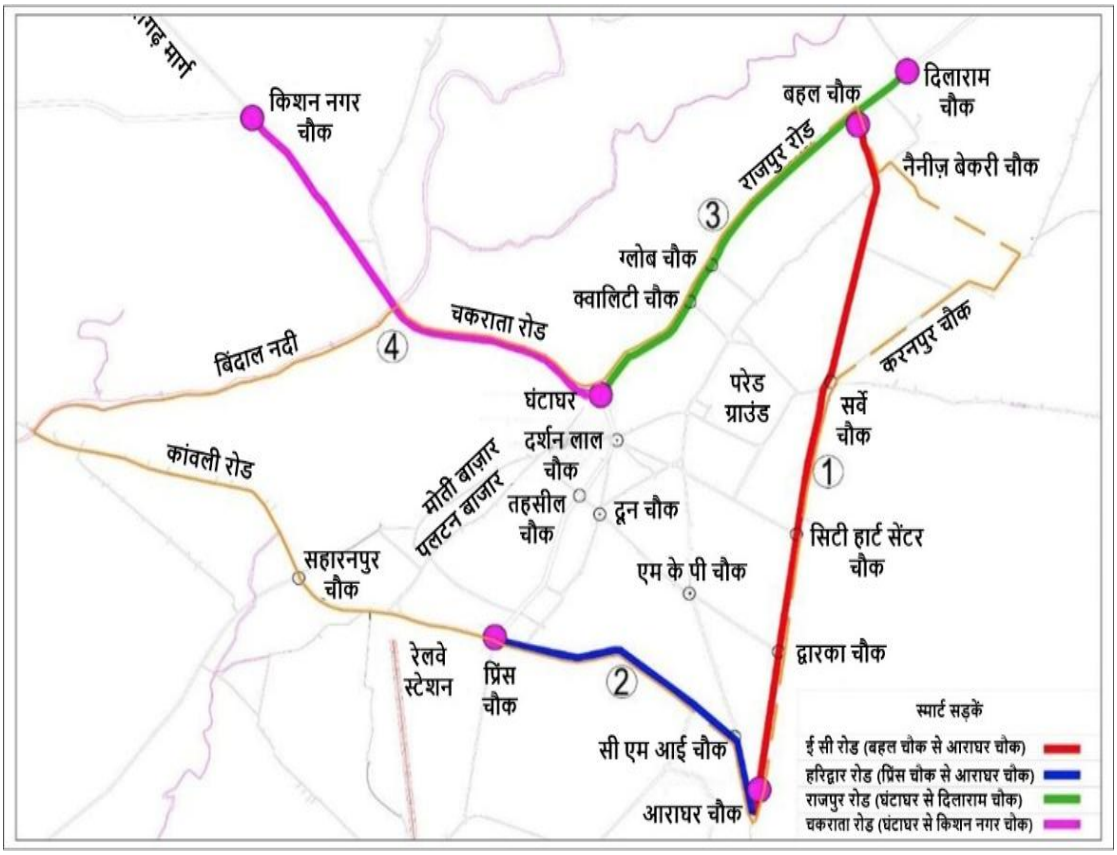

चित्र-2.5: चार मुख्य मार्ग जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है

परियोजना के अंतर्गत, देहरादून शहर के ए बी डी क्षेत्र में उपरोक्त मानचित्र ***(चित्र-2.5)*** में दर्शाए गए एवं निम्न **तालिका-2.3** में विस्तृत 8.1 किमी की कुल लंबाई वाले चार प्रमुख मार्गों को स्मार्ट रोड घटकों के साथ एकीकृत सड़क अवसंरचना कार्यों के कार्यान्वयन के लिए चयनित किया गया था। ये मार्ग शहर के मुख्य क्षेत्र को घेरते हैं, जहाँ अधिकांशतः व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं।

तालिका-2.3: चयनित मार्गों का उनकी लंबाई सहित विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	से	तक	लम्बाई (किमी में)
1	ई सी मार्ग	बहल चौक	आराघर चौक	2.9
2	हरिद्वार मार्ग	प्रिंस चौक	आराघर चौक	1.5
3	राजपुर मार्ग	घंटाघर	दिलाराम चौक	1.8
4	चकराता मार्ग	घंटाघर	किशन नगर चौक	1.9
कुल लम्बाई				***8.1***

परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 190.54 करोड़ अनुमोदित (मार्च 2019) थी, जिसे ₹ 12.79 करोड़ के सेंटेज एवं ₹ 2.00 करोड़ की यूटिलिटी शिफ्टिंग के अतिरिक्त मल्टी

यूटिलिटी डक्ट्स[26] (एम यू डी) की लागत में ₹ 1.55 करोड़ की वृद्धि के कारण संशोधित करके ₹ 206.88 करोड़ कर (नवंबर 2020) दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ देखी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.4.5.1 स्मार्ट फीचर्स का निष्पादन न होना

स्मार्ट रोड परियोजना के दायरे में पेवमेंट को मजबूत कर सड़क का उन्नयन, नालियों का प्रावधान, एम यू डी, सीवरेज कार्य, भूमिगत जलापूर्ति लाइनें, पैदल यात्रियों के अनुकूल फुटपाथ एवं क्रॉसिंग, व्यवस्थित पार्किंग और तकनीकी तत्वों का समावेश शामिल है, जो सड़क का उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराएंगे।

यह पाया गया कि डी पी आर में परिकल्पित 'स्मार्ट समाधान' या तो आंशिक रूप से क्रियान्वित किए गए (यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ कैरिजवे एवं डेडिकेटिड पैदल यात्री मार्ग) या क्रियान्वित नहीं किए गए (इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पेड़ेस्ट्राइन क्रॉसिंग इन टेबल टॉप टाइप क्रॉसिंग, सेंसर के साथ स्मार्ट एल ई डी लाइटिंग एवं सेंसर के साथ नामित पार्किंग स्थल) सिवाय एम यू डी के, जिसमें बिजली के तारों को भूमिगत करना शामिल था। परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट रोड में स्मार्ट फीचर्स के क्रियान्वयन की स्थिति ***परिशिष्ट-2.1*** में दी गई है।

इस प्रकार, कार्य के दायरे से 'स्मार्ट समाधान' को हटाए जाने के कारण 'स्मार्ट समाधान' से महत्व हट कर केवल बुनयादी अवसंरचना कार्य में परिवर्तित हो गया और स्मार्टनेस, जैसा कि एस सी एम का उद्देश्य था, को दर्शाने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए।

इसके अतिरिक्त, पी डब्ल्यू डी के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे समर्पित पैदल रास्ते विषम थे, अर्थात, विभिन्न स्थानों पर रास्ते असमतल एवं अलग-अलग चौड़ाई के थे। निर्मित पैदल यात्री मार्गों पर अतिक्रमण, पेड़, विद्युत उपकरण एवं अन्य अवरोध भी देखे गए।

---

[26] मल्टी यूटिलिटी डक्ट्स (एम यू डी), जिसे यूटिलिटी टनल या कॉमन डक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक भूमिगत संरचना है जिसमें बिजली, पानी, दूरसंचार, सीवेज एवं गैस लाइनें जैसी कई उपयोगिता सेवाएँ एक ही वाहिका में होती हैं।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि परियोजना के लिए कोई नई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और सभी कार्य रेट्रोफिटिंग उपायों के साथ मार्ग के राइट ऑफ वे में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि चयनित स्थलों पर भारी यातायात एवं जगह की कमी के कारण नियोजित कार्य करना अव्यावहारिक था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन मुद्दों पर योजना स्तर पर विचार कर समाधान किया जाना चाहिए था।

2.4.5.2 मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर ₹ 3.24 करोड़ का निरर्थक व्यय

लेखापरीक्षा ने यह पाया गया कि अत्यंत धीमी प्रगति के कारण ब्रिज एण्ड रूफ (इंडिया) लिमिटेड (बी एवं आर) के साथ एम ओ यू की समाप्ति (सितंबर 2022) के पश्चात, डी एस सी एल, बी एवं आर तथा ठेकेदार को शामिल करते हुए, किए गए कार्य का संयुक्त मूल्यांकन किया गया (अप्रैल 2023) था। मूल्यांकन से पता चला (02 मई 2023) कि बी एवं आर ने तीन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 248.99 करोड़[27] में से मात्र ₹ 53.57 करोड़ (21.51 *प्रतिशत*) लागत के ही कार्य निष्पादित (जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक) किए थे, जिसमें केबल ट्रे, प्रीकास्ट एम यू डी, पेवर ब्लॉक सामग्री आदि जैसी अप्रयुक्त सामग्री भी शामिल थी, जिसका मूल्य ₹ 3.58 करोड़ था, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित है।

अप्रयुक्त सामग्रियों को बाद में पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को हस्तांतरित किया गया था। हस्तांतरित सामग्रियों में 787 प्रीकास्ट एम यू डी थे। हालाँकि, पी आई यू-पी डब्ल्यू डी ने केवल 51 एम यू डी का ही उपयोग किया, शेष कार्य के लिए प्री-कास्ट एम यू डी की व्यवहार्यता न होने के कारण विकल्प के रूप में डक्ट बैंक का चयन किया गया। परिणामस्वरूप, 736 एम यू डी इकाइयों पर ₹ 3.24 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित है।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (30 मई 2024) कि स्मार्ट रोड के मार्ग में विभिन्न विभागों की भूमिगत यूटिलिटी के कारण एम यू डी

---

[27] स्मार्ट रोड: ₹ 203.23 करोड़; इंटीग्रेटेड सीवरेज; ₹ 28.41 करोड़ एवं इंटीग्रेटेड ड्रैनेज: ₹ 17.35 करोड़।

बिछाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात डक्ट बैंक का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) में शासन ने यह भी अवगत कराया कि जिले के अंतर्गत पी डब्ल्यू डी के सभी क्षेत्रीय प्रभागों को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर पी आई यू-पी डब्ल्यू डी से पूर्व-निर्मित एम यू डी प्राप्त कर सकते हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्मार्ट रोड के मार्गों में विभिन्न विभागों की भूमिगत उपयोगिताओं की मौजूदगी से संबंधित मुद्दों की पहचान योजना बनाते समय ही की जानी चाहिए थी। तदनुसार, डक्ट बैंक का प्रावधान डी पी आर में शामिल किया जाना चाहिए था।

2.4.6 पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार

पलटन बाज़ार देहरादून का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बाज़ार है। पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार परियोजना, जिसकी स्वीकृत (जुलाई 2019) लागत ₹ 13.10 करोड़ थी, का उद्देश्य घंटाघर से दर्शनी गेट तक 1.2 किमी के हिस्से का सुधार करना था। इसमें, 476 मीटर मार्ग को पैदल-यात्री मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गयी थी, जिसमें दोनों तरफ 2.5 मीटर पैदल यात्री एवं गोल्फ कार्ट एवं सीमित समय के लिए वाहनों की आवाजाही हेतु पाँच मीटर केंद्रीय मार्ग निर्मित किया जाना था। केंद्रीय पाँच मीटर कैरिजवे को इंटरलॉक पेवर ब्लॉक से वाहनों की प्रतिबंधित आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोनों तरफ औसतन 2.5 मीटर की चौड़ाई का फुटपाथ, सड़क की सतह के साथ समान स्तर बनाए रखते है।

परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कई स्मार्ट फीचर्स' जैसे बेंच, चार्जिंग स्टेशन के साथ ई-कार्ट, मॉड्यूलर एफ आर पी शौचालय, मोटर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए रेट्रेक्टेबल हाइड्रोलिक बोलार्ड की स्थापना आदि की डी पी आर में परिकल्पना की गई (जून 2019) थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में वर्णित है।

यह पाया गया कि एम यू डी की स्थापना के अतिरिक्त कोई भी 'स्मार्ट समाधान' क्रियान्वित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि अन्य 'स्मार्ट समाधान' जैसे ई-कार्ट, कियोस्क गार्डन, हाइड्रोलिक बोलार्ड इत्यादि को डी एस सी एल बोर्ड के अनुमोदन (अप्रैल 2022) पर हटा दिये गए क्योंकि जगह की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान

स्थिति में इनकी व्यवहार्यता समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, कार्य के दायरे से 'स्मार्ट समाधान' को हटा दिए जाने के कारण, एस सी एम में परिकल्पित स्मार्ट शहरों के उद्देश्य विफल हो गए क्योंकि ध्यान बुनियादी ढाँचे के काम पर परिवर्तित हो गया जैसा कि निम्न ***चित्रों-2.6*** (पहले) ***एवं 2.7*** (बाद में) में देखा जा सकता है:

पहले

चित्र-2.6

बाद में

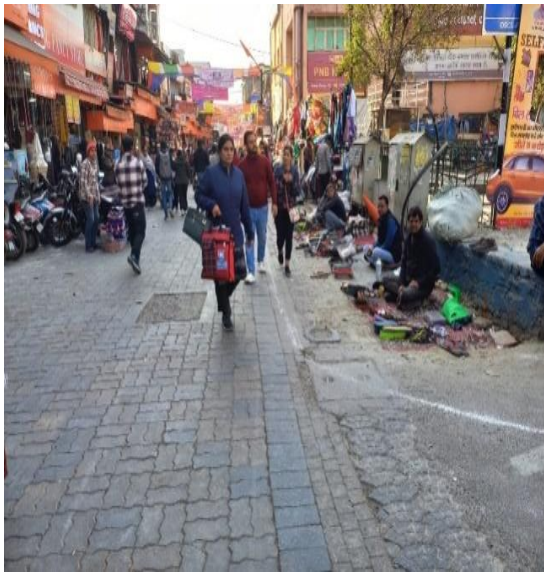

चित्र-2.7

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुये अवगत (30 मई 2024) कराया कि साइट की स्थितियों और स्थान की कमी के कारण बोर्ड की विशेष स्वीकृति के साथ स्मार्ट फीचर्स की तुलना में मुख्य सिविल बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था।

2.4.7 परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार

परेड ग्राउंड का क्षेत्रफल लगभग 25 एकड़ है, जिसमें से एस सी एम के अंतर्गत 10.5 एकड़ क्षेत्र को ₹ 20.87 करोड़ की स्वीकृत (16 जुलाई 2019) लागत से विकसित किया जाना था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभाजित स्थानों को पैदल यात्री और गतिशील परिवर्तनकारी क्षेत्र में परिवर्तित करना था। यह कार्य 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण होना था। लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2023) तक, ₹ 14.95 करोड़[28] के व्यय के साथ कार्य प्रगति पर था। उक्त परियोजना के निष्पादन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

[28] ₹ 14.95 करोड़ = ₹ 11.40 करोड़ (फरवरी 2023 में अनुबंध की समाप्ति से पहले ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य) + ₹ 3.08 करोड़ (नवंबर 2023 तक पी आई यू-पी डब्ल्यू डी द्वारा किए गए कार्य की लागत) + ₹ 0.47 करोड़ (प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किए गए सड़क निर्माण कार्य की लागत)।

2.4.7.1 उचित रख-रखाव का अभाव

परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार पर किए गए ₹ 14.95 करोड़ के व्यय में बागवानी और स्प्रिंकलर के लिए एम डी पी ई पाइप उपलब्ध कराने और लगाने पर व्यय की गई राशि ₹ 18.04 लाख भी शामिल थी। यह पाया गया कि परियोजना क्रियान्वयन के दौरान परेड ग्राउंड पर बिछाई गई घास क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे प्रिंट मीडिया द्वारा भी उजागर (15 फरवरी 2024) किया गया। इससे इंगित होता है कि परेड ग्राउंड पर बिछाई गई घास का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

सुंदरता पर खर्च किए 15 करोड़, अब रखरखाव बना चुनौती

स्मार्ट सिटी कंपनी परेड ग्राउंड को एमडीडीए को सौंपने की कर रही तैयारी, लाखों रुपये की घास हो रही खराब

सरकार ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि वर्तमान में परेड ग्राउंड अच्छी स्थिति में है, और इसके रख-रखाव को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए उचित संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि परियोजना को, संचालन और रख-रखाव के लिए एम डी डी ए को सौंप दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि जून 2024 तक परियोजना एम डी डी ए को नहीं सौंपी गई थी।

2.4.7.2 वी आई पी स्टेज के निर्माण पर निरर्थक व्यय

₹ 20.87 करोड़ की लागत वाली 'परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार' परियोजना की डी पी आर में गणतंत्र दिवस समारोहों और विशाल रैलियों या सभाओं को संबोधित करने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए वी आई पी मंच का निर्माण भी शामिल था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा, डी पी आर में परिकल्पित वी आई पी मंच का निर्माण कार्य ₹ 31.30 लाख की लागत से पूर्ण (फरवरी 2021) कर लिया गया था। हालाँकि, बाद में ₹ 84.11 लाख की लागत से एक नया वी आई पी मंच निर्मित

किया गया (25 जुलाई 2023)। यह नया वी आई पी मंच पूर्व में निर्मित किए गए मंच के विपरीत था, जैसा कि नीचे दिये गए ***चित्र-2.8*** में देखा जा सकता है, क्योंकि पहला मंच समग्र परेड का व्यापक दृश्य नहीं देता था, तथा उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करते समय अपना असंतोष व्यक्त किया था।

चित्र:-2.8: परेड ग्राउंड में निर्मित दो वी आई पी मंचों का दृश्य

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि नए मंच का निर्माण आवश्यक समझा गया क्योंकि यह देखा गया कि, विशेष कर गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, मूल मंच गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी और विशाल सभाओं को संबोधित करने की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने यह भी अवगत कराया कि छोटे मंच का उपयोग छोटे समारोहों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े मंच का उपयोग गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दशहरा समारोह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है।

शासन का उत्तर प्रथम मंच को डिजाइन करते समय बड़े आयोजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दूरदर्शिता में कमी को इंगित करता है। कुशल योजना में, छोटे एवं बड़े दोनों तरह के आयोजनाओं को पूरा करने में सक्षम मंच की आवश्यकता का, अनुमान लगाया जाना चाहिए था। दूसरे मंच का निर्माण प्रारंभिक योजना में हुई चूक के लिए एक सुधारात्मक उपाय प्रतीत होता है, जिसके कारण अवसंरचना का अनावश्यक दोहराव और सार्वजनिक धन का अकुशल उपयोग हुआ।

2.4.8 सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन

डी एस सी एल ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (ए एफ डी), जिसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा आयोजित सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन (सिटीस) स्पर्धा के लिए 'चाइल्ड फ्रेंडली सिटी' शीर्षक से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रेषित किया, जिसका उद्देश्य एस सी एम की परियोजनाओं के टिकाऊ, नवप्रवर्तनकारी एवं सहभागीदारी दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन देना था। एक प्रतिस्पर्धी स्पर्धा के माध्यम से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने चार व्यापक विषयों: टिकाऊ गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, ई-गवर्नेंस एवं आई सी टी तथा कम आय वाली बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार, पर 12 प्रस्तावों का चयन किया।

प्रारम्भ में, यह परियोजना संशोधित एस सी पी का हिस्सा नहीं थी। हालाँकि, चयनित स्मार्ट शहरों में से अखिल भारतीय स्पर्धा के माध्यम से सिटीस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए देहरादून का चयन (फरवरी 2019) किया गया था। इस परियोजना में स्कूलों के आसपास विशिष्ट क्रियाकलाप पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव था। इसमें यातायात नियंत्रित करने के उपायों[29] और सी सी टी वी कैमरा, पार्किंग ज़ोन, बोलार्ड एवं फ़ुटपाथ जैसे क्रियाकलाप शामिल थे। इस कार्यक्रम के दो चरणों में देहरादून शहर के कुल 106 स्कूलों[30] एवं कॉलेजों को शामिल किया गया था, जिसकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 58.50 करोड़ थी। परियोजना के अंतर्गत स्मार्ट फीचर्स की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-2.1*** में उल्लेखित है।

चित्र-2.9

लेखापरीक्षा द्वारा पी डब्ल्यू डी के प्रतिनिधियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान पाया गया कि कार्य प्रगति पर थे। हालाँकि, प्रगतिशील कार्यों में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

चित्र-2.10

[29] स्पीड टेबल/ हम्प्स और रंबल स्ट्रिप्स की स्थापना।

[30] चरण-1: 34 विद्यालय एवं चरण-II: 72 विद्यालय।

- फुटपाथ बाधा-मुक्त नहीं थे, क्योंकि उनके साथ बिजली के उपकरण लगे हुए थे, जो पैदल चलने वालों के लिए संभावित खतरा पैदा करते थे।
- सड़कों पर फुटपाथ बनाने के बजाय, कुछ स्थानों पर केवल बिटुमिनस का कार्य किया गया था (जैसा कि प्रथम ***चित्र-2.9***. में ऊपर दिखाया गया है)।
- मानकों के अनुसार पैदल पथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मीटर होनी चाहिए थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 नवंबर 2023) के दौरान पाया गया कि ड्राइंग में न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर रखी गई थी, इसके बावजूद, कई सड़कों में निर्मित फुटपाथों की चौड़ाई 1.5 मीटर से भी कम थी (जैसा कि द्वितीय ***चित्र-2.10*** में ऊपर दिखाया गया है)।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (30 मई 2024) कि स्थल की स्थिति एवं स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तावित सुविधाओं को लागू नहीं किया जा सका।

2.4.9 स्मार्ट शौचालय

देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डी एस सी एल ने ₹ 1.73 करोड़ की कुल स्वीकृत (नवंबर 2018) लागत के साथ स्मार्ट शौचालय परियोजना प्रारम्भ की। शौचालय का निर्माण 06 सितंबर 2019 तक पूर्ण होना था।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने परियोजना के पूर्ण होने की तिथि अर्थात 06 सितंबर 2019 से पाँच साल के लिए सात स्मार्ट शौचालय के संचालन एवं रख-रखाव सहित डिजाइन, निर्माण एवं स्थापना के लिए एक फर्म[31] के साथ ₹ 1.81 करोड़ का अनुबंध किया (07 मार्च 2019)।

डी पी आर के अनुसार, डी एस सी एल की पी एम सी टीम ने स्कोप, डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत विश्लेषण और स्थानीय जनता के साथ बातचीत करने के बाद स्थल का गहन सर्वेक्षण किया और सात स्थलों[32] का चयन किया। हालाँकि, सभी स्मार्ट शौचालय का निर्माण/स्थापना कार्य, तीन साल के विलंब के पश्चात, अंततः 03 सितंबर 2022 को पूर्ण हुआ। इस अत्यधिक विलम्ब के लिए डी एस सी एल उत्तरदायी था, क्योंकि यह ठेकेदार को निर्माण पूर्ण होने की निर्धारित तिथि व्यतीत हो

[31] मै. श्री राम रुरल डेव्लपमेंट संस्थान, शाहदरा, दिल्ली।

[32] परेड ग्राउंड, राजपुर रोड गांधी पार्क में, कलक्ट्रेट, एम डी डी ए कॉलोनी कांवली रोड, दून अस्पताल, रेलवे स्टेशन एवं सचिवालय।

जाने के बाद भी चार स्मार्ट शौचालय[33] हेतु बाधा मुक्त स्थल प्रदान नहीं कर सका था तथा बाद में स्थल परिवर्तन हुआ एवं चार वैकल्पिक स्थलों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, डी पी आर/अनुबंध में परिकल्पित स्मार्ट फीचर्स, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में विस्तृत रूप से वर्णित है, को निष्पादित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ पाँच शौचालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (25 नवंबर 2023) और पाया कि सभी शौचालय उचित सफाई और कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ संचालित थे। हालाँकि, तीन स्मार्ट शौचालयों[34] में ऑटो फ्लश यूरिनल सिस्टम कार्यरत नहीं थे एवं दो स्मार्ट शौचालयों[35] में पानी के नल के सेंसर भी कार्यरत नहीं थे।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (30 मई 2024)। उसने यह भी अवगत कराया कि नल या फ्लशिंग सिस्टम से संबंधित रख-रखाव के मुद्दों को नियमित आधार पर ठीक किया जाता है। वर्तमान में, सभी इकाइयाँ साफ हैं और ठीक से कार्यरत हैं।

2.4.10 जल आपूर्ति आवर्धन एवं स्मार्ट जल मीटर

मीटर कनेक्शन के अभाव में पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एस सी एम के अंतर्गत जलापूर्ति क्षेत्र के जोन-4बी में ₹ 36.40 करोड़ की अनुबंधित लागत से "जल आपूर्ति आवर्धन एवं स्मार्ट जल मीटर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग" परियोजना प्रारम्भ की गई (16 दिसंबर 2019)। परियोजना के अंतर्गत, उपभोक्ता के उपभोग के आँकड़ों के त्वरित एवं सटीक संग्रह तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप एवं त्रुटियों के बिल बनाने की सुविधा के लिए स्वचालित मीटर रीडिंग (ए एम आर) सक्षम जल मीटर लगाए जाने थे। इसका उद्देश्य न केवल जल संस्थान के राजस्व में वृद्धि करना था, बल्कि पानी के दुरुपयोग को कम करना भी था।

इस परियोजना का कार्य 16 दिसंबर 2020 तक पूर्ण होना था, हालाँकि, लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2023) तक कार्य प्रगति पर था तथा ₹ 29.54 करोड़ का व्यय हुआ था।

---

[33] सब्जी मंडी (09 जुलाई 2020), आई एस बी टी (जनवरी 2021), पुरानी तहसील (03 अगस्त 2021) एवं परेड ग्राउंड-2 (05 फरवरी 2022)।

[34] दून अस्पताल, तहसील एवं कचहरी।

[35] परेड ग्राउंड-2 एवं दून अस्पताल।

6,492 ए एम आर मीटर के प्रावधान के सापेक्ष केवल 4,260 ए एम आर मीटर ही कमीशन किए गए लेकिन उनकी डिजिटल मैपिंग अभी पूर्ण नहीं हुई थी (मार्च 2024)। यह दर्शाता है कि निर्धारित तिथि से तीन साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी 2,232 ए एम आर मीटर स्थापित नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ कुछ चुनिंदा घरों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (15 मार्च 2024) और निवासियों के साथ वार्तालाप की, जिसमें यह बताया गया कि इस परियोजना ने उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित नियमित जलापूर्ति की माँग को पूरा किया है। अभी तक उन्हें नए लगाए गए स्मार्ट मीटर के आधार पर संबंधित प्राधिकरण से पानी का बिल नहीं मिला है।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि परियोजना को उत्तराखण्ड जल संस्थान (यू जे एस), जो जल वितरण और राजस्व संग्रह के लिए नोडल एजेंसी है, को सौंपे जाने के बाद मीटर्ड बिलिंग शुरू होगी। वास्तविकता यह है कि लगभग एक तिहाई ए एम आर मीटर अभी भी स्थापना के लिए लंबित हैं, यहां तक कि जो स्थापित किए भी गए हैं, उनका डिजिटल मैपिंग नहीं किया गया है, जिसके कारण समय पर बिलिंग एवं जल शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही है।

2.5 केस स्टडीज़

दो परियोजनाओं से संबंधित केस स्टडीज़ पर नीचे चर्चा की गई है:

केस स्टडी-1: स्मार्ट स्कूलों में 'स्मार्ट समाधान' का अक्रियाशील रहना

डी एस सी एल ने देहरादून के ए बी डी क्षेत्र में तीन सरकारी स्कूलों[36] में 'स्मार्ट स्कूल' परियोजना' लागू की। इस परियोजना के अंतर्गत तीन स्कूलों को इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट, सी सी टी वी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी स्मार्ट फीचर्स से सुसज्जित किया जाना था। यह परियोजना 01 नवंबर 2020 को ₹ 5.91 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई।

लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (12 दिसंबर 2023) के समय पाया कि एस सी एम के अंतर्गत तीनों स्कूलों में स्थापित

[36] राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजपुर रोड; राजकीय इंटर कॉलेज, खुरबुड़ा और राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, खुरबुड़ा, देहरादून।

कोई भी सुविधा क्रियाशील नहीं थी। उनके निष्क्रिय रहने का मुख्य कारण वित्तीय बाधाओं की वजह से स्कूलों द्वारा भारी बिजली बिलों को वहन करने में असमर्थता थी। संचालन एवं रख-रखाव अवधि यानी नवंबर 2020 से नवंबर 2023 तक, डी एस सी एल ने बिजली बिल का भुगतान किया; हालाँकि, इस अवधि की समाप्ति के पश्चात, स्थापित सुविधाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि स्मार्ट स्कूल परियोजना को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया गतिमान है। वास्तविकता यह है कि परियोजना को संचालन एवं रख-रखाव अवधि समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया, जिसके कारण जून 2024 तक स्थापित सुविधाएं अक्रियाशील रही।

केस स्टडी-2: स्मार्ट वेस्ट वाहनों का अक्रियाशील रहना

संशोधित एस सी पी में स्मार्ट बिन और स्मार्ट वेस्ट वाहनों (एस डब्ल्यू वी) के लिए ₹ 13 करोड़ का प्रावधान शामिल किया गया था। तदनुसार, नगर निगम, देहरादून[37] ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले एस डब्ल्यू वी और स्मार्ट बिन प्रदान करने के लिए डी एस सी एल को अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि उपरोक्त वाहन/ उपकरण या तो डी एस सी एल द्वारा खरीदे जाए या नगर निगम, देहरादून को निधि प्रदान की जाए।

तदनुसार, डी एस सी एल ने ₹ 5.60 करोड़ की लागत से 51 एस डब्ल्यू वी और स्वच्छता उपकरण खरीदे एवं नगर निगम, देहरादून को आपूर्ति की (जून 2022) तथा अन्य 100 एस डब्ल्यू वी की खरीद के लिए नगर निगम, देहरादून को ₹ 7.14 करोड़[38] भी प्रदान किए। इसी तरह, डी एस सी एल ने यू जे एस को ₹ 63.98 लाख के लागत की एक सीवर कम जेटिंग मशीन की भी आपूर्ति की (मई 2021)। इसके अतिरिक्त, इसने दो मशीनों[39] की खरीद के लिए यू जे एस को ₹ 1.98 करोड़ भी अवमुक्त किए (मार्च 2023)।

---

37 अक्टूबर 2021 (20 ई-रिक्शा एवं 20 हूपर/टिपर) और अक्टूबर 2022 (75 हूपर/टिपर, चार रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, एक टाटा 407 ट्रक, एक जे सी बी और 50 कॉम्पैक्टर बीन्स)।

38 ₹ 7.14 करोड़ = ₹ 4.60 करोड़ (जनवरी 2023) + ₹ 2.54 करोड़ (मई 2023)।

39 जेटिंग गार्बिंग एवं रॉडिंग मशीन एवं डंप टैंक के साथ सुपर शकर मशीन।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल द्वारा नगर निगम, देहरादून को आपूर्ति किए गए 51 एस डब्ल्यू वी में से 20 इलेक्ट्रिक कार्ट/रिक्शा थे, जिनकी कीमत ₹ 89.86 लाख थी। लेखापरीक्षा द्वारा नगर निगम, देहरादून के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (30 नवंबर 2023) में पाया गया कि सभी ई-कार्ट बेकार पड़े थे। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम, देहरादून द्वारा नियुक्त एजेंसियों ने बताया कि उच्च बैटरी चार्जिंग लागत और कार्ट की कम क्षमता के कारण सितंबर 2022 से ई-रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया था।

चित्र-2.11: सहस्त्रधारा रोड पर होटल डाउन टाउन के पीछे मै. इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की पार्किंग

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि ई-रिक्शा के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डी एस सी एल नगर निगम, देहरादून के साथ समन्वय कर रहा है।

वास्तविकता यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बाद ही प्रबंधन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्ति, लगभग दो वर्षों तक ई-रिक्शा का संचालन न होना, एस सी एम के अंतर्गत सृजित की गई ₹ 89.86 लाख की परिसंपत्तियों के प्रबंधन में डी एस सी एल के साथ-साथ नगर निगम, देहरादून के सुसंगत और सक्रिय प्रबंधन की कमी को दर्शाता है।

2.6 परियोजनाओं की स्थिरता की समीक्षा

आत्मनिर्भर परियोजनाएं बाहरी निधियों या सहायता पर निर्भर नहीं रहती, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये परियोजनाएं अपने स्वयं के वित्तपोषण को सुरक्षित करके या आय उत्पन्न करके यह

सुनिश्चित करती हैं कि वे बाहरी दान या अनुदान पर निर्भर हुए बिना परिचालन जारी रख सकें। चूंकि वे स्वयं अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, इसलिए हितधारक अक्सर परियोजना की सफलता में अधिक रुचि रखते हैं और इसके परिणामों के लिए अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। परियोजना की स्थिरता से संबंधित मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

2.6.1 राजस्व सृजन परियोजनाएं

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 10.1 में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एस पी वी को एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व प्रवाह उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी स्वयं की साख विकसित कर सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22 परियोजनाओं में से मात्र चार परियोजनाएं ही राजस्व सृजन करने वाली थी। उनकी राजस्व प्राप्ति का विवरण नीचे **तालिका-2.4** में दिया गया है:

तालिका-2.4: मार्च 2023 तक प्राप्त राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राजस्व गणना के प्रारम्भ की तिथि	प्राप्त होने वाला राजस्व	वास्तविक राजस्व प्राप्ति
1	इलैक्ट्रिक बस	फरवरी 2021	29.62	3.36
2	स्मार्ट पोल	दिसम्बर 2020	1.46	0.32
3	जल ए टी एम	सितम्बर 2021	0.12	0.09
4	स्मार्ट जल प्रबंधन (स्काडा)[40]	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (सितंबर 2021)	5.30	0.00
योग			***36.50***	***3.77***

हालाँकि, अनुबंध दस्तावेज़ों में अनुमानित ₹ 36.50 करोड़ के सापेक्ष प्राप्त राजस्व बहुत कम (10.32 *प्रतिशत*) था, खासकर ई-बस के प्रकरण में जैसा कि पूर्ववर्ती ***प्रस्तर 2.4.4*** में चर्चा की गई है। कम राजस्व प्राप्ति के कारणों में ई-बसों में सवारियों की अत्यंत कम संख्या, स्मार्ट पोल और जल ए टी एम की स्थापना के लिए आवश्यक स्थलों की अनुपलब्धता तथा स्काडा परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि देहरादून में स्मार्ट सिटी पहल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु परिचालन दक्षता में वृद्धि एवं साझेदारी को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, नए राजस्व सृजन के अवसरों की खोज की जाएगी।

[40] स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अनुमानित बचत।

2.7 उत्तम परिपाटियाँ

निम्नलिखित परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तम परिपाटियाँ देखी गयीं:

2.7.1 स्मार्ट जल प्रबंधन

जल हानि, भंडारित जलाशयों से पानी का अनियमित वितरण और अक्षम इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग मशीनरी और अन्य उपकरणों से संबंधित समस्या को हल करने के लिए, एस सी एम के अंतर्गत ₹ 53.40 करोड़ की लागत की "स्मार्ट जल प्रबंधन (स्काडा)" परियोजना स्वीकृत की गई थी (16 जुलाई 2019)। परियोजना के अंतर्गत, स्काडा[41] से जुड़ें नलकूपो, ओवरहेड टैंक और बूस्टर पंपिंग स्टेशनो को स्वचालित किया गया, जिसका उद्देश्य देहरादून में जलापूर्ति को अनुकूलतम बनाना था। इस योजना में 198 नलकूपों और 72 ओवरहेड टैंकों का पूर्ण स्वचालन शामिल था, जो मात्रात्मक और गुणात्मक निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे तथा सभी कुशल प्रबंधन के लिए स्काडा के साथ एकीकृत होंगे।

डी एस सी एल, ठेकेदार[42] और यू जे एस के मध्य गठित त्रिपक्षीय अनुबंध (सितंबर 2020) के अनुसार, ठेकेदार सभी नलकूपों और ओवरहेड टैंक पर वर्तमान ऊर्जा खपत लागत में अनिवार्य 10 *प्रतिशत* की बचत हासिल करने के लिए बाध्य था, जिसे आधारभूत आँकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जाना था और ऊर्जा खपत लागत में किसी भी अतिरिक्त बचत का 25 *प्रतिशत,* जो उपर्युक्त 10 *प्रतिशत* अनिवार्य बचत से अधिक प्राप्त किया जाए, डी एस सी एल के साथ साझा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी एस सी एल ने परियोजना को लागू करने के लिए ई एस सी ओ मॉडल[43] का चयन एवं ₹ 25.07 करोड़ का उपरोक्त त्रिपक्षीय अनुबंध किया, जिसमें 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रख-रखाव भी शामिल था। इस अनुबंध के अंतर्गत, ठेकेदार ने ऊर्जा-कुशल पंपिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी की लागत को वहन किया। परिणामस्वरूप, डी एस सी एल ने परियोजना लागत पर ₹ 28.33 करोड़[44] की बचत की।

---

41 सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन।

42 मै. जी सी के सी प्रोजेक्ट एवं वर्क प्राइवेट लिमिटेड।

43 ऊर्जा बचत साझेदारी मॉडल (ई एस सी ओ) में, ठेकेदार सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है और उसे 'अनिवार्य बचत' और इसके अतिरिक्त ऊर्जा बिल में 'अतिरिक्त अपेक्षित बचत' को ध्यान में रखते हुए सेवा की कीमत उद्धृत करनी होती है।

44 स्वीकृत लागत ₹ 53.40 करोड़ - अनुबंध लागत ₹ 25.07 करोड़।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि परियोजना निर्धारित समय अर्थात 17 सितंबर 2021 से 19 माह के विलम्ब के बाद प्रारम्भ (मई 2023) हुई और तब से दिसंबर 2023 तक, डी एस सी एल ने ऊर्जा की कम खपत से ₹ 11.97 करोड़[45] की बचत की। अनुबंध के अनुसार, यह राशि डी एस सी एल (₹ 5.96 करोड़) और ठेकेदार (₹ 6.01 करोड़) के बीच साझा[46] की जानी थी। हालाँकि, उपरोक्त बचत के लिए धनराशि वर्तमान तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी।

2.7.2 दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर

दून इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर परियोजना में पाये गए कुछ सकारात्मक परिणाम एवं उत्तम परिपाटियाँ निम्नलिखित हैं:

1. ***यातायात प्रबंधन:*** आई टी एम एस 09 नवंबर 2020 से परिचालन में आया। आई टी एम एस एप्लिकेशन के माध्यम से चिन्हित किए गए उल्लंघनों के आधार पर यातायात पुलिस ने वर्ष 2020-21 से नवम्बर 2023 तक कुल 1,73,618 चालान जारी किए तथा ₹ 5.05 करोड़ का राजस्व एकत्र किया।
2. ***सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा प्रकरण:*** शहर भर में स्थापित निगरानी कैमरों की फुटेज के आधार पर, डी आई सी सी सी ने पुलिस विभाग को 748 सूचनाएँ प्रदान कीं, जिससे पुलिस को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। कुछ सुलझे हुए मामलों में डी आई सी सी सी दल द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरागों के आधार पर एक लापता बच्चे का पता लगाना, तथा कैमरे में कैद दुर्घटना की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप एम्बुलेंस और पुलिस का दुर्घटनास्थल पर शीघ्र पहुँचना शामिल है।
3. ***नगर प्रशासन को सहायता:*** डी आई सी सी सी ने शहर में डेंगू प्रकोप (सितंबर-अक्टूबर 2023) के दौरान नगर प्रशासन की सहायता की, जिससे मरीजों को समय पर रक्त और प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। डेंगू नियंत्रण हेतु एक समर्पित हेल्पडेस्क तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित की गई।

---

[45] ₹ 11.97 करोड़ = ₹ 39.62 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना लागू न होने पर बिजली बिल) - ₹ 27.65 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के बाद बिजली बिल)।

[46] डी एस सी एल का हिस्सा ₹ 39.62 करोड़ (स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना लागू न होने पर बिजली बिल) का 10 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3.96 करोड़, और शेष बचत ₹ 8.01 करोड़ (₹ 11.97 करोड़ - ₹ 3.96 करोड़) का 25 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 2.0 करोड़ था। ठेकेदार का हिस्सा ₹ 6.01 करोड़ (₹ 11.97 करोड़ - डी एस सी एल का हिस्सा ₹ 5.96 करोड़) था।

4. ***उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कार:*** कोविड-19 महामारी के दौरान, डी आई सी सी सी में एक वॉर रूम स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से पुलिस और नागरिकों की सहायता के लिए जी आई एस ट्रैकर, 24x7 समर्पित हेल्पलाइन, राज्य स्तरीय ई-पास आदि जैसी नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान की गईं। इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए, डी एस सी एल को 100 स्मार्ट शहरों में से एक्सपो-6 स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड-2021 से सम्मानित किया गया।

2.8 अनुशंसाएँ

1. ***राज्य सरकार को परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना चाहिए तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित गैर-परिचालन बुनियादी ढाँचे का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।***
2. ***राज्य सरकार को वास्तविक और अनुमानित राजस्व के बीच अंतर को कम करने के लिए राजस्व बढ़ाने और स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत विकसित बुनियादी ढाँचे के सतत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए।***
3. ***सार्वजनिक धन के अनियोजित और अकुशल उपयोग, जिससे दोहराव और निष्फल व्यय होता है, के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।***

अध्याय-3
अनुबंध प्रबंधन

अध्याय - 3

अनुबंध प्रबंधन

देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डी एस सी एल) को, परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी एम सी) के साथ हुये अपने अनुबंध में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भुगतान संरचना में लक्ष्य आधारित भुगतान शामिल नहीं थे, परिणामस्वरूप, परियोजनाएं अधूरी रहने पर भी धनराशि अवमुक्त कर दी गई। पी एम सी ने अनुबंध के अनुसार जनशक्ति भी तैनात नहीं की, जिससे अनुचित भुगतान और वित्तीय सत्य निष्ठा के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। इसमें असत्यापित भुगतान, अमान्य भुगतान, निरर्थक व्यय, अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन और उचित दस्तावेज़ के बिना पी एम सी को की गयी प्रतिपूर्ति जैसी अनियमितताएँ थीं, जो कमजोर निगरानी एवं अनुबंध प्रवर्तन को दर्शाती हैं।

डी एस सी एल, कार्यदायी सस्थाओं को स्पष्ट एवं बाधा-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में भी विफल रहा, जिसके कारण परियोजना में अत्यन्त विलम्ब हुआ और अग्रिम राशि का समायोजन नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, डी एस सी एल विलम्ब के लिए अर्थदण्ड लगाने में अप्रभावी रहा। आरोपित दण्ड या तो बहुत कम थे या पूरी तरह से आधिरोपित नहीं किए गए, जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला। इस अध्याय में लागत वृद्धि और निविदा आमंत्रित किए बिना कार्य निष्पादन से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

3.1 परियोजना प्रबंधन सलाहकार

एस सी एम दिशानिर्देशों के प्रस्तर 10.6 के अनुसार, एस पी वी एण्ड-टू-एण्ड सेवाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी एम सी) नियुक्त कर सकता है। तदनुसार, प्रारम्भ में डी एस सी एल ने एस सी एम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ₹ 1,200 करोड़ की लागत की परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ₹ 17.62 करोड़ की अनुबंधित लागत पर एक पी एम सी को तीन वर्ष[1] की अवधि के लिए नियुक्त (जून 2018) किया। इसी अंतराल में, डी एस सी एल ने ₹ 2.74 करोड़ की लागत से पी एम सी को सिटीस परियोजना का काम भी आवंटित (सितंबर 2019) किया। इसके अतिरिक्त, इस पी एम सी का

[1] 15 जून 2018 से 14 जून 2021 *(15 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया)।*

कार्यकाल पूरा होने के कारण, डी एस सी एल को, शेष कार्य को पूरा करने के लिए, एक अन्य पी एम सी को अतिरिक्त दो वर्षों[2] के लिए नियुक्त करना पड़ा (सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा में प्रथम पी एम सी की सेवाओं के उपयोग एवं किए गए भुगतान में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

3.1.1 दोषपूर्ण भुगतान मॉडल

अनुबंध में दो अलग-अलग भुगतान घटकों, समय-आधारित और एकमुश्त, की रूपरेखा दी गई। प्रत्येक घटक को आगे दो उप-घटकों, पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति, में विभाजित किया गया। दोनों के लिए विशिष्ट भुगतान मानदण्ड नीचे दिए गए हैं:

- **समय-आधारित घटक:** इस घटक में दो उप-घटक पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति शामिल थे। पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंध के अंतर्गत व्यवसायिक शुल्क के अनुसार डी एस सी एल द्वारा अनुमोदित समय पत्रक के अनुसार, मानव-दिवसों की वास्तविक तैनाती पर आधारित था, जबकि प्रतिपूर्ति[3] योग्य व्यय का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाना था।
- **एकमुश्त घटक:** इस घटक में भी दो उप-घटक, पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति शामिल थे। हालाँकि, भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाना था, जो निर्दिष्ट प्रदेयों[4] की उपलब्धि पर निर्भर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रथम पी एम सी का कार्यकाल पूरा होने पर, डी एस सी एल ने उसे पूर्ण अनुबंधित राशि अर्थात ₹ 17.62 करोड़ का भुगतान किया, जबकि अगस्त 2021 तक ₹ 18.79 करोड़ की लागत की केवल चार परियोजनाएं[5] ही पूर्ण हुई थी। 15 परियोजनाओं की प्रगति 07 से 92 *प्रतिशत* के बीच थी एवं शेष दो परियोजनाएं[6] जून 2021 तक प्रारम्भ नहीं हुई थीं।

---

2 15 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2023 *(15 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया)।*

3 अनुबंध में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन सभी कार्यभार संबंधी लागतें जैसे यात्रा, अनुवाद, रिपोर्ट मुद्रण, सचिवीय व्यय।

4 सब-मॉड्यूल के लिए स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट, व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना तथा डी एस सी एल द्वारा इसकी स्वीकृति एवं अनुमोदन।

5 स्मार्ट शौचालय: ₹ 1.81 करोड़; स्मार्ट अपशिष्ट वाहन: ₹ 16.32 करोड़; स्मारक ध्वज: ₹ 0.10 करोड़ एवं कलेक्ट्रेट एवं सी डी ओ कार्यालय का डिजिटलीकरण: ₹ 0.56 करोड़।

6 ग्रीन बिल्डिंग एवं अग्रभाग परियोजना।

प्रगतिरत/शेष परियोजनाओं के निष्पादन और पर्यवेक्षण हेतु, डी एस सी एल ने अगले दो वर्षों[7] के लिए ₹ 14.35 करोड़ (जी एस टी को छोड़कर) की लागत पर एक नये पी एम सी (सितंबर 2021) को नियुक्त किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल पिछले अनुभवों से सीखने में विफल रहा तथा भुगतान को कार्य की प्रगति से जोड़ने की बजाय पिछले भुगतान मॉडल को ही अपनाया। परिणामस्वरूप, जून 2023 तक इस पी एम सी को ₹ 11.20 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि बाद की अवधि के लिए ₹ 1.33 करोड़ का दावा लंबित था। अनुबंध अवधि (सितंबर 2023) के अंत तक परियोजनाओं के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी थी। कुल 18 परियोजनाओं (सिटीस सहित) में से ₹ 463.58 करोड़ लागत की 12 परियोजनाएं ही पूरी हुई थी एवं ₹ 498.18 करोड़ (एस सी पी का 50 *प्रतिशत)* लागत की छः परियोजनाएं[8] अभी भी प्रगति पर थी, जिनकी प्रगति 02 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* तक थी। इससे पता चलता है कि भुगतान मॉडल लक्ष्य आधारित नहीं था और पाँच वर्ष की अवधि के लिए उन्हें ₹ 28.82 करोड़[9] के कुल भुगतान के बावजूद ₹ 498.18 करोड़ लागत के कार्यों को पी एम सी के बिना ही निष्पादित किया जा रहा था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि प्रचलित प्रथा के आधार पर अनुबंध को पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति के आधार पर संरचित किया गया था। आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) ने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति विभिन्न चुनौतियों से प्रभावित हुई थी, जिसमें कई लाइन विभागों के साथ समन्वय की जटिलताएं, ब्राउनफील्ड क्षेत्र में कार्य का निष्पादन, स्थल एवं अनुबंध संबंधी मुद्दे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, सी ई ओ ने आश्वासन दिया कि, भविष्य के अनुबंधों में, पर्यवेक्षण घटक को परियोजना की प्रगति से जोड़ा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित चुनौतियों का पूर्वानुमान योजना चरण के दौरान लगाया जाना चाहिए था और उनका समाधान किया जाना चाहिए था। प्रभावी अनुबंध प्रबंधन में ऐसी चुनौतियों को कम करने के प्रावधान शामिल होने चाहिए, न कि उन्हें अप्रत्याशित माना जाना चाहिए या विलम्ब के कारणों के रूप में उनका हवाला

---

7 15 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2023 *(15 नवंबर 2023 तक बढ़ाया गया)।*

8 ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट रोड, सीवरेज कार्य, ड्रेनेज कार्य, सिटीस तथा पी पी पी मोड में स्मार्ट पोल।

9 ₹ 28.82 करोड़ = ₹ 17.62 करोड़ + ₹ 11.20 करोड़।

दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वास्तविकता यह है कि भुगतान मॉडल दोषपूर्ण था क्योंकि यह परियोजनाओं के लक्ष्य से जुड़ा नहीं था।

3.1.2 प्रथम पी एम सी को भुगतान में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा में प्रथम पी एम सी द्वारा जनशक्ति की तैनाती से संबंधित कुप्रबंधन के निम्नलिखित प्रकरण पाए गए:

3.1.2.1 अनियमित भुगतान

पी एम सी के साथ हुये अनुबंध के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण सहायता के लिए जनशक्ति की तैनाती पहली परियोजना (फरवरी 2019) के लिए कार्यदायी संस्था के चयन के बाद प्रारम्भ होनी थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पी एम सी ने इस गतिविधि के लिए अनुबंध की शुरुआत, जून 2018 से फरवरी 2019 तक ₹ 1.27 करोड़ के पारिश्रमिक का दावा किया। परिणामस्वरूप, कार्यदायी संस्था के चयन से पहले जनशक्ति की तैनाती के लिए पी एम सी को किया गया भुगतान अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन था एवं यह वित्तीय औचित्य के मानकों के भी विपरीत था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, यह उत्तर दिया गया कि अनुबंध में शामिल स्टाफिंग शेड्यूल पूरे 36 महीने के कार्यकाल के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो अनुबंध की प्रारम्भ से ही पी एम सी की भागीदारी को दर्शाता है। तदनुसार, जनशक्ति तैनात की गई और भुगतान किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध में उल्लिखित स्टाफिंग शेड्यूल में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि परियोजना कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण सहायता के लिए जनशक्ति की तैनाती प्रथम परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था के चयन के बाद ही की जानी थी।

3.1.2.2 अयोग्य आई टी विशेषज्ञ की तैनाती

अनुबंध के क्लॉज़-3.6 और 4.3 में प्रावधान है कि अनुबंध में सूचीबद्ध कर्मियों में कोई भी बदलाव या वृद्धि करने से पहले पी एम सी को नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि आई टी विशेषज्ञ के पास सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर विज्ञान में बी टेक योग्यता होनी चाहिए एवं भारत सरकार/ राज्य सरकार/ पी एस यू में ई-गवर्नेंस, आई टी आधारित स्मार्ट समाधान, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग परियोजनाओं के कम से कम दो कार्य, प्रत्येक ₹ 20 करोड़ से अधिक, में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मौजूदा आई टी विशेषज्ञ के प्रतिस्थापन के लिए, एक आई टी विशेषज्ञ का बायोडाटा (सी वी) सी ई ओ की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत (25 अक्टूबर 2018) किया गया था, लेकिन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उक्त आई टी विशेषज्ञ की योग्यता एवं अनुभव नहीं होने के आधार पर इसे अस्वीकार (14 नवंबर 2018) कर दिया गया। हालाँकि, पी एम सी द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने (12 दिसंबर 2018) पर, डी एस सी एल ने बाद में उस आई टी विशेषज्ञ की तैनाती के लिए उन्हीं दस्तावेजों और अभिलेख के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति (मई 2019) प्रदान की गई, जिनके आधार पर पहले अस्वीकृत किया गया था, तथा नौ माह[10] के पारिश्रमिक के रूप में पी एम सी को ₹ 35.84 लाख (जी एस टी को छोड़कर) का भुगतान किया गया।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि आई टी विशेषज्ञ की नियुक्ति को, सक्षम प्राधिकारी, डी एस सी एल के सी ई ओ द्वारा, प्रस्तुत बायोडाटा पर उचित विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सी ई ओ ने आई टी विशेषज्ञ के प्रदर्शन पर भी असंतोष व्यक्त (मार्च 2019) किया था, जिसमें आई टी परियोजना के लिए असंतोषजनक प्रस्तावित आर एफ पी का हवाला दिया गया था, जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हुआ था। इसलिए, आई टी विशेषज्ञ के पारिश्रमिक के रूप में पी एम सी को किया गया भुगतान अनुचित था।

3.1.2.3 असत्यापित भुगतान

लेखापरीक्षा के दौरान असत्यापित भुगतान के निम्नलिखित प्रकरण पाए गए:

1. अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने मार्च 2021 के महीने के अनुपूरक बीजक के सापेक्ष पी एम सी को ₹ 32.50 लाख का भुगतान किया। अनुपूरक बीजक 11 'प्रमुख विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों' के नवंबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के पारिश्रमिक दावे से संबन्धित था। यह पाया गया कि पूरक दावे का भुगतान उचित नहीं था क्योंकि संबंधित कर्मी संबंधित महीनों में पहले किए गए निर्दिष्ट दावे के दौरान उपस्थिति पंजिका के अनुसार उपस्थित नहीं थे। हालाँकि, उपरोक्त अनुपूरक दावे के अनुसार इन कर्मियों को संबंधित महीनों में बाद में उपस्थित दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, सी ई ओ, डी एस सी एल ने भी

[10] 15 अक्टूबर 2018 से 15 जुलाई 2019।

पाया था (दिसंबर 2020) कि कई प्रमुख कर्मियों को पी एम सी द्वारा लंबे समय से तैनात नहीं किया जा रहा था। यह भी उल्लेखनीय है कि पूरक बीजक के भुगतान के औचित्य को स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख या टिप्पणी फाइल पर नहीं थी।

2. आगे, अगस्त 2018 माह के देयकों की जाँच से पता चला कि एक पर्यावरण विशेषज्ञ को ₹ 1.50 लाख का पारिश्रमिक दिया गया था, जबकि उपस्थिति पंजिका के अनुसार उक्त विशेषज्ञ उस माह के दौरान उपस्थित नहीं था।

इस प्रकार, पी एम सी द्वारा किए गए दावों की जाँच डी एस सी एल के संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कर्मठता से नहीं की गई। परिणामस्वरूप, असत्यापित दावे के आधार पर पी एम सी को ₹ 34.00 लाख का भुगतान किया गया।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि बोर्ड की स्वीकृति (26 जून 2021) पर मार्च 2021 के अनुपूरक बीजक में 11 प्रमुख विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों को भुगतान किया गया था। इन कर्मियों की उपस्थिति, मानव-माह की समाप्ति के बाद के महीनों के लिए रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। पर्यावरण विशेषज्ञ को भुगतान के संबंध में, डी एस सी एल ने स्वीकार किया कि उपस्थिति को मैनुअल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, हालाँकि, कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के आधार पर भुगतान की अनुमति दी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि किए बिना किया गया था एवं दावे की वास्तविकता स्थापित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिये गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 प्रमुख विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों में से आठ कर्मियों के मानव-दिवस अभी भी उपलब्ध थे एवं समाप्त नहीं हुए थे। अतः, यह तर्क कि मानव-माह समाप्त होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अतिरिक्त, यदि मानव-दिवस वास्तव में समाप्त हो गए थे, तो उपरोक्त कर्मचारियों की अप्रैल और मई 2021 में उपस्थिति दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी; हालाँकि, मैन्युअल उपस्थिति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ पाई गईं। इसके अतिरिक्त, शेष तीन कर्मचारियों की निरंतरता पूर्व अनुमोदन पर आधारित होनी चाहिए थी, जैसा कि अनुबंध में अपेक्षित था।

3.1.2.4 अमान्य भुगतान

डी एस सी एल ने ₹ 407.33 करोड़ की लागत की तीन परियोजनाओं[11] को निष्पादन

[11] स्मार्ट रोड (जुलाई 2019 में ₹ 190.54 करोड़), ग्रीन बिल्डिंग (अक्टूबर 2019 में ₹ 204.46 करोड़) एवं मॉडर्न दून लाइब्रेरी (सितंबर 2019 में ₹ 12.33 करोड़)।

के लिए अन्य कार्यदायी संस्थाओं[12] को सौंप (जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019) दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल ने निविदा प्रक्रिया प्रबंधन[13] के लिए पी एम सी को ₹ 28.82 लाख[14] का अमान्य भुगतान किया था, यद्यपि यह प्रक्रिया संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वयं की गई थी। यह भी पाया गया कि पहले दिसंबर 2019 के देयक में किए गए उपरोक्त दावे को इसी आधार पर रोक दिया गया था, परंतु बाद में इसे जनवरी 2020 के बीजक में पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे डी एस सी एल द्वारा जारी (फरवरी 2020) किया गया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, यह अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था ने अनुबंध प्रबंधन के लिए अपनी विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया। हालाँकि, पी एम सी ने बिल ऑफ क्वांटिटीज (बी ओ क्यू) की आपूर्ति और आवश्यकतानुसार सहायता करके कार्यदायी संस्था को सहायता प्रदान की। परियोजना निष्पादन के दौरान, पी एम सी ने व्यापक पर्यवेक्षण और निगरानी भी प्रदान की।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी एम सी को निविदा आमंत्रण से लेकर निविदा मूल्यांकन एवं ठेकेदार के चयन तक पूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रबंधन के लिए भुगतान अनुमन्य था। चूँकि कार्यदायी संस्थों ने अनुबंध प्रबंधन के लिए अपनी विभागीय प्रक्रियाओं का पालन किया था, अतः निविदा प्रक्रिया प्रबंधन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, बी ओ क्यू सहित आगणन, पर्यवेक्षण और निगरानी कार्यों के लिए पी एम सी को अलग से भुगतान किया गया था।

3.1.2.5 बीजक एवं दस्तावेज़ों के बिना प्रतिपूर्ति

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 3(13)(3) के अनुसार वित्तीय औचित्य के मानकों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति निजी धन को व्यय करते समय बरतता है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर होनी चाहिए थी।

---

[12] स्मार्ट रोड, ग्रीन बिल्डिंग और मॉडर्न दून लाइब्रेरी परियोजनाओं के लिए कार्यदायी संस्था क्रमशः मै. बी एवं आर (इंडिया) लिमिटेड, सी पी डब्ल्यू डी और यू जे एन थीं।

[13] निविदा दस्तावेज़ों की तैयारी एवं अनुबंध प्रदान करना।

[14] ₹ 28.82 लाख = ₹ 407.33 करोड़ / ₹ 1200 करोड़ x ₹ 2.056 करोड़ x 35 *प्रतिशत* + जी एस टी @18 *प्रतिशत।*

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि पी एम सी के साथ अनुबंध में स्थानीय परिवहन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 48 लाख[15] का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में यह भी प्रावधान किया गया था कि स्थानीय परिवहन यात्रा हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किराए पर लिए गए वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर सी) एवं यात्रा विवरण वाली लॉगबुक की प्रति पी एम सी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने पी एम सी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के किसी भी इन्वाइस के बिना जून 2018 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 76 वाहन महीनों के लिए पी एम सी को ₹ 45.60 लाख[16] के दावे की प्रतिपूर्ति की थी। ₹ 45.60 लाख के भुगतान से संबंधित देयक की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ भी पायी गई:

अ. डी एस सी एल द्वारा, किराए पर लिए गए वाहन की आर सी और यात्रा विवरण वाली लॉगबुक की प्रति के बिना 13 वाहन महीनों के लिए ₹ 7.80 लाख का भुगतान किया गया।

ब. निजी वाहनों के लिए जुलाई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि हेतु ₹ 4.20 लाख की राशि के दावे का भुगतान किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डी एस सी एल के संबंधित/ सक्षम अधिकारियों द्वारा दावों की जाँच उचित कर्मठता से नहीं की गई। परिणामस्वरूप, पी एम सी को ₹ 45.60 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए यह अवगत कराया गया कि डी एस सी एल परामर्शदाता से स्पष्टीकरण मांगेगा, यदि परामर्शदाता संतोषजनक औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो परामर्शदाता से धनराशि वसूल की जाएगी।

3.1.2.6 सिटीस परियोजना में अनियमितताएँ

एस सी एम के अंतर्गत सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एण्ड सस्टेन (सिटीस) परियोजना को बाद के चरण (फरवरी 2019) में शुरू किया गया था। डी एस सी एल ने प्रारंभिक अनुबंध में संशोधन के माध्यम से ₹ 2.74 करोड़ की लागत से पी एम सी को सिटीस परियोजना के लिए डी पी आर तैयार करने एवं पर्यवेक्षण का कार्य, इस

[15] 80 महीनों के लिए ₹ 60,000 प्रति माह (जी एस टी को छोड़कर)।

[16] 76 महीनों के लिए अधिकतम ₹ 60,000/माह/वाहन की दर से।

तथ्य के बावजूद कि गांधी रोड के लिए डी पी आर का कार्य जिसमे समान घटक थे, पहले से ही इसी पी एम सी द्वारा तैयार किया गया था, आवंटित किया (सितंबर 2019)। परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताएँ पायी गईं:

अ) पी एम सी को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि डी एस सी एल ने असंतोषजनक कार्य के कारण पी एम सी को कई पत्र एवं अनुबंध समाप्ति नोटिस (जून 2019) जारी किए जाने के बावजूद, सिटीस परियोजना के लिए डी पी आर तैयार करने एवं पर्यवेक्षण का कार्य, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया[17] का पालन किए बिना, उसी पी एम सी को सौंपा (सितंबर 2019)। डी एस सी एल ने विशेष रूप से उसी पी एम सी से प्रस्ताव मांगा एवं अनुबंध संशोधन के माध्यम से कार्य प्रदान किया। सिटीस परियोजना के लिए डी पी आर तैयार करने एवं पर्यवेक्षण की लागत की तुलना एस सी एम की पहले की परियोजनाओं के साथ करने पर, यह पाया गया कि पी एम सी को मूल अनुबंध के अंतर्गत उद्धृत दरों की तुलना में कार्य काफी अधिक दरों *(3 से 12 गुना अधिक)* पर दिया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका-3.1** में दिया गया है:

तालिका-3.1: स्मार्ट सिटि परियोजनाओं के साथ सिटीस परियोजना की दरों की तुलना

विवरण	सिटीस परियोजना के अंतर्गत दरें	मूल पी एम सी अनुबंध के अंतर्गत दरें
डी पी आर तैयार करने की लागत को ध्यान में रखते हुए		
परियोजना की लागत **(अ)**	₹ 58.00 करोड़	₹ 1,200.00 करोड़
डी पी आर तैयार करने की लागत **(ब)**	₹ 1.18 करोड़	₹ 2.056 करोड़
₹ एक करोड़ की डी पी आर तैयार करने की औसत लागत। ***(ब/अ)***	₹ 2.03 लाख	₹ 0.17 लाख
सिटिस परियोजना की औसत लागत की एस सी एम परियोजनाओं से तुलना	11.94 गुना = ₹ 2.03 (सिटिस की औसत लागत)/ ₹ 0.17 (एस सी एम की औसत लागत)	
समग्र लागत को ध्यान में रखते हुए		
परियोजना की लागत **(स)**	₹ 58.00 करोड़	₹ 1,200.00 करोड़
डिजाइन, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन लागत **(द)**	₹ 2.74 करोड़	₹ 17.62 करोड़
₹ एक करोड़ की लागत वाले कार्य के डिजाइन, विकास, प्रबंधन और कार्यान्वयन की औसत लागत। ***(द/स)***	₹ 4.72 लाख	₹ 1.46 लाख
सिटिस परियोजना की औसत लागत की एस सी एम परियोजनाओं से तुलना	3.23 गुना = ₹ 4.72 (सिटिस की औसत लागत)/ ₹ 1.46 (एस सी एम की औसत लागत)	

[17] ₹ 50.00 लाख मूल्य के कार्य/सेवाएं दोहरी निविदा प्रणाली के माध्यम से निष्पादित की जानी थीं।

लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया कि सिटीस परियोजना के लिए पी एम सी द्वारा तैयार डी पी आर को एच पी एस सी द्वारा ₹ 58.50 करोड़ में स्वीकृत (नवंबर 2021) किया गया था। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना पी एम सी को सिटीस परियोजना सौंपना अधिप्रप्ति नियमावली का उल्लंघन था, जिसके फलस्वरूप उच्च दरों के कारण पी एम सी को ₹ 1.09 करोड़[18] का अनुचित लाभ भी हुआ।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि परियोजना निष्पादन में निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध वार्ता के माध्यम से परियोजना को उसी पी एम सी को दिया गया था। उच्च दरों के संबंध में, यह उत्तर दिया कि सिटीस परियोजना में उच्च स्तर की जटिलता और नवाचार शामिल है, जो आगणन बनाने एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सेवाओं के लिए उच्च दरों को उचित ठहराता है।

उत्तर न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सिटीस परियोजना के अंतर्गत कार्य के दायरे में नियमित कार्य जैसे एम यू डी, नालियां और जलापूर्ति कार्य, यातायात नियंत्रित करने के उपाय आदि शामिल थे, जो स्मार्ट रोड और एस सी एम की अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के समान थे और इनमें किसी भी प्रकार की जटिलता और नवीनता शामिल नहीं थी।

ब) निरर्थक व्यय

पी एम सी ने दो भागों में डी पी आर तैयार किया था (मार्च 2021), जिसमें से एक गांधी रोड के निर्माण से संबंधित था, जिसकी लागत ₹ 39.31 करोड़ थी एवं दूसरा भाग ₹ 13.24 करोड़ लागत वाले चाइल्ड फ्रेंडली क्रियाकलापों के साथ संचालन एवं रख-रखाव एवं ओवरहेड शुल्क के लिए ₹ 5.95 करोड़ से संबंधित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि गांधी रोड परियोजना को प्रस्तावित मेट्रो मार्ग के साथ इसके संरेखण के ओवरलैप होने के कारण निरस्त कर दिया गया (दिसंबर 2022)। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा संरेखण का मुद्दा दिसंबर 2018 में डी एस सी एल के संज्ञान में लाया जा चुका था। इसके बावजूद, डी पी आर तैयार करने में ₹ 79.80 लाख[19] का निरर्थक व्यय किया गया।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

---

[18] ₹ 1.09 करोड़ = [₹ 2.03 - ₹ 0.1712 (तालिका-3.1 में गणना के अनुसार)] x ₹ 58.50 करोड़।

[19] ₹ 79.80 लाख = ₹ 1.0 करोड़ की डी पी आर तैयार करने की औसत लागत ₹ 2.03 लाख x डी पी आर की कुल लागत ₹ 39.31 करोड़।

स) बीजक एवं दस्तावेज़ों के बिना प्रतिपूर्ति

डी एस सी एल ने सिटीस परियोजना की डी पी आर बनाने के लिए अनुबंध में पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति व्यय के लिए ₹ 1.18 करोड़[20] आवंटित किए। सिटीस परियोजना के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध संशोधन (सितंबर 2019) में प्रतिपूर्ति घटक के लिए शामिल गतिविधियों, दर एवं आवंटित महीने को निर्दिष्ट करने का विवरण नहीं था, यद्यपि मूल अनुबंध में प्रतिपूर्ति घटक के विरुद्ध भुगतान के लिए परिभाषित मानदण्ड/ मदें थीं।

प्रतिपूर्ति घटकों से जुड़े व्यय की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति को दर्शाने वाले कोई भी दस्तावेज अभिलेखों में नहीं पाए गए। इसके बजाय, अनुबंध में ₹ 35.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान बिना किसी भुगतान शर्तों के शामिल किया गया था। देयक की जाँच से पता चला कि पी एम सी को प्रतिपूर्ति मद के अंतर्गत ₹ 35.00 लाख (जी एस टी को छोड़कर) का पूरा भुगतान बिना किसी समर्थित दस्तावेज के किया गया (जनवरी 2022) था। इस प्रकार, डी एस सी एल द्वारा पी एम सी को ₹ 35.00 लाख का एकमुश्त भुगतान उचित जाँच के बिना किए जाने के कारण अनुचित था।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि एकमुश्त प्रावधान परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं से जुड़े व्यय के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने, समय पर प्रगति एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदेयों को सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया था। पी एम सी को अनुबंध में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार और उचित कर्मठता के साथ भुगतान किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मूल अनुबंध के समान, परिभाषित मानदण्ड/ मदें अनुबंध संशोधन का हिस्सा होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, प्रतिपूर्ति अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा समर्थित वास्तविक आधार पर होनी चाहिए थी।

द) अनियमित भुगतान

i) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 3(13)(3) के अनुसार वित्तीय औचित्य के मानदण्ड यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।

---

[20] पारिश्रमिक: 24 मानव-माह के लिए ₹ 82.73 लाख (मुख्य विशेषज्ञ: 19 + गैर-मुख्य विशेषज्ञ: 5) एवं प्रतिपूर्ति ₹ 35.00 लाख।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि सिटीस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य (सामरिक शहरीकरण अभ्यास) के लिए पी एम सी को ₹ 21.80 लाख की प्रतिपूर्ति (जून 2021) की गई थी। आगे, देयक की जाँच से पता चला कि दावे के समर्थन में पी एम सी द्वारा प्रस्तुत किया गया बीजक पी एम सी या डी एस सी एल[21] के नाम से नहीं था। फलस्वरूप, पी एम सी को किया गया उपरोक्त भुगतान अनियमित था।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि पी एम सी ने यह कार्य दूसरी कंपनी (एथेना इंफॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड) को सौंपा था, जिसने इस कार्य को एक अन्य कंपनी (बिग डैडी कंपनी) को उप-अनुबंधित किया था। तदनुसार, इन कंपनियों द्वारा पी एम सी को दिए गए बीजक पर विचार करने के बाद पी एम सी को भुगतान किया गया था।

उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि पी एम सी द्वारा नियुक्त कंपनी के बीजक, डी एस सी एल द्वारा पी एम सी को भुगतान किए जाने (जून 2021) के बाद जमा (जुलाई 2021) किए गए थे।

ii) दूसरे पी एम सी के साथ अनुबंध के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जनशक्ति की तैनाती कार्यदायी संस्था के चयन के बाद प्रारम्भ होनी थी। पी आई यू- पी डब्ल्यू डी को सिटीस परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित (अक्टूबर 2022) किया गया था। इसलिए, इस परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण कर्मचारियों की तैनाती के लिए पारिश्रमिक के रूप में पी एम सी को भुगतान कार्यदायी संस्था के चयन के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को अक्टूबर 2022 में कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किए जाने से पहले ही सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक सिटीस परियोजना[22] के लिए दूसरे पी एम सी[23] को ₹ 65.40 लाख भुगतान किया था। इस प्रकार, पी एम सी को किया गया ₹ 65.40 लाख का भुगतान अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिससे डी एस सी एल पर उसी सीमा तक परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा।

---

[21] इसके बजाय, बिग डैडी कंपनी द्वारा एथेना इंफॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड, वसंत विहार, देहरादून (जी एस टी आइ एन-05 ए ए आई सी ए 6830बी1जेड4) के पक्ष में बीजक जारी किया गया।

[22] उत्तराखण्ड सरकार ने सीटीस परियोजना के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में पी आई यू-पी डब्ल्यू डी की स्थापना (अक्टूबर 2022) की। पी आई यू-पी डब्ल्यू डी ने फरवरी 2023 में सीटीस कार्यों के निष्पादन के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया।

[23] मै. टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटिड।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि सिटीस के लिए आगणन बनाने हेतु कर्मचारियों की तैनाती पूर्णरूप से अनुबंध में निर्धारित कार्य के दायरे में थी। यद्यपि गांधी रोड के जीर्णोद्धार को हटा दिया गया था, और 72 नए विद्यालय को डी पी आर में शामिल किया गया था, दोनों कार्यों को दूसरे पी एम सी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी पी आर पहले पी एम सी द्वारा पूर्व में ही बनाई जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, 72 स्कूलों के लिए सिटीस डी पी आर तैयार करने में लगाए गए अतिरिक्त संसाधनों की लागत केवल ₹ 21.80 लाख थी, जैसा कि दूसरे पी एम सी द्वारा सूचित किया गया था।

3.1.3 पी एम सी के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि पहले पी एम सी ने प्रारम्भ से ही स्मार्ट सिटी के कार्य के प्रति पेशेवर दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। डी एस सी एल के अंतर्गत कई परियोजनाओं में डिजाइन और ड्राइंग उपलब्ध कराने में विलम्ब, पर्यवेक्षण के लिए आई टी विशेषज्ञ और सहायक कर्मचारियों की अनुपलब्धता आदि की समस्याएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ। यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्यों के पयर्वेक्षण एवं गुणवत्ता की निगरानी में पी एम सी का कार्य असंतोषजनक था।

डी एस सी एल ने अनुबंध निरस्त करने का नोटिस जारी (जून 2019) किया, जिसमें कहा गया कि ***"पी एम सी परियोजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अक्षम है एवं डी पी आर की गुणवत्ता भी डी एस सी एल की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, पी एम सी केवल औपचारिकता के लिए डी पी आर प्रस्तुत कर रहा है"।*** इसके बावजूद, डी एस सी एल ने पी एम सी के साथ अनुबंध निरस्त नहीं किया, तथापि, इसने ₹ 58.50 करोड़ लागत की सिटीस परियोजना का एक और कार्य उसी पी एम सी को सितंबर 2019 में सौंपा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी एम सी को नियमित चेतावनी/ कारण बताओ नोटिस और अनुबंध निरस्तीकरण नोटिस (जून 2019 और जनवरी 2021) जारी करने के अतिरिक्त, डी एस सी एल ने विलम्ब एवं खराब गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए पी एम सी के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की और न ही कोई अर्थदण्ड लगाया था। आगे, यह पाया गया कि पी एम सी द्वारा किए गए असंतोषजनक कार्य और काम की खराब

गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे डी एस सी एल (सितंबर 2018) के संज्ञान में थे, हालाँकि, अनुबंध की अवधि पूर्ण (जून 2021) होने के कगार पर, पी एम सी के खराब कार्यों का प्रकरण बोर्ड (24 मार्च 2021 को आयोजित 17 वीं बोर्ड बैठक) के संज्ञान में लाया गया। बोर्ड ने पी एम सी के असंतोषजनक कार्य के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित कार्यवाही करने और अर्थदण्ड लगाने का आदेश दिया तथा सी ई ओ को उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया, जिसमें अनुबंध निरस्तीकरण भी शामिल हो सकता था। हालाँकि, बोर्ड के आदेश के बावजूद पी एम सी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि पी एम सी के कार्य का मूल्यांकन अनुबंध संबंधी दायित्वों के पालन सहित विभिन्न कारकों के आधार पर किया गया था, एवं आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्य संबंधी मुद्दों के कारण पी एम सी को कोई और विस्तार नहीं दिया गया था। समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने यह भी अवगत कराया कि पी एम सी के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध संबंधी प्रावधानों एवं बोर्ड के आदेश के अनुसार पी एम सी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, खराब प्रदर्शन के बावजूद, अनुबंध की अवधि के दौरान सिटीस परियोजना का एक और कार्य उसे सौंपा गया।

3.2 कार्यदायी संस्था के रूप में बी एवं आर (सी पी एस यू) का मनमाना चयन

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक (मार्च 2019) के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि सड़कों, सीवर लाईन, पेयजल लाईन, जल निकासी एवं एम यू डी से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सी पी एस यू) को शामिल करना बेहतर होगा, क्योंकि ये कार्य उत्तराखण्ड सरकार के किसी भी विभाग द्वारा व्यापक रूप से नहीं किए गए थे। तदनुसार, डी एस सी एल ने उत्तराखण्ड में कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध सभी आठ सी पी एस यू से प्रस्ताव मांगे थे (अप्रैल 2019)। जबाब में, पाँच सी पी एस यू ने अपनी रुचि दिखाई (मई 2019) जबकि एक सी पी एस यू (एन बी सी सी) ने खेद व्यक्त किया जैसा कि नीचे **तालिका-3.2** में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका-3.2: उत्तराखण्ड में सूचीबद्ध सी पी एस यू की सूची

क्र. सं.	सी पी एस यू के नाम	अनुभव
1	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत	टाउनशिप और भवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं पर्यावरण परियोजनाएं, भू परिवहन परियोजनाएं, बांध/ वीयर, बैराज, नहरें, औद्योगिक संरचना, जलविद्युत परियोजनाएं, थर्मल पावर परियोजनाएं, चिमनी/ ट्रांसमिशन परियोजनाएं, परियोजना प्रबंधन परामर्श,
2	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत	पाइलिंग एवं फाउंडेशन, आवास परियोजनाएं, अस्पताल भवन, संस्थागत भवन, कार्यालय परिसर, ऊंची इमारतें और संरचना, सभागार, हवाई अड्डा टर्मिनल भवन, सड़क एवं राजमार्ग एवं बुनियादी ढाँचे और उद्योग क्षेत्र में अन्य सभी प्रकार के सिविल कार्यों जैसे निर्माण के क्षेत्र में 100 वर्षों का प्रचुर अनुभव।
3	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन	ई पी आई को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी लगभग सभी विद्युत उपयोगिताओं और इस्पात संयंत्रों के लिए काम करने की असधारण विशिष्टता प्राप्त है।
4	वेपकास लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत	भारत और विदेशों में व्यवसायों तथा समुदायों के लिए जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण में कार्यरत।
5	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन	सी पी डब्ल्यू डी ने केवल अपना प्रोफाइल प्रस्तुत किया था, जिसमें समान कार्य अनुभव का विवरण शामिल नहीं था। इसलिए, इस पर विचार नहीं किया गया।
6	एन बी सी सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन	इसने हिमालयन कल्चरल सेंटर, कौलागढ़, देहरादून सहित उत्तराखण्ड में कई परियोजनाएं संचालित की हैं।

स्रोत: संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि:

i. डी एस सी एल द्वारा पाँच सी पी एस यू में से चयन के लिए कोई वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग मानदण्ड/पैरामीटर प्रस्तावित नहीं किया गया था। इसके बजाय, सी पी एस यू का विषयपरक मूल्यांकन यह कहते हुये किया गया कि *"तकनीकी मूल्यांकन से, ऐसा लगता है कि तीन सूचीबद्ध संस्थाओं अर्थात् वेपकोस, एन पी सी सी एवं बी एवं आर के पास प्रमुख मामलों में स्मार्ट रोड का प्रासंगिक अनुभव है"*। तदनुसार, उपरोक्त तीन सी पी एस यू में से, ब्रिज एण्ड रूफ (इंडिया) लिमिटेड (बी एवं आर) को सरकार द्वारा स्मार्ट रोड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में नामित (जून 2019) किया गया था। हालाँकि,

तीन सी पी एस यू में से बी एवं आर के नामांकन के लिए अभिलेखों में कोई मानदण्ड/ पैरामीटर नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, "ड्रेनेज कार्य" एवं "सीवरेज कार्य" के लिए इसी तरह से बी एवं आर के पक्ष में अलग-से नामांकन किया गया था (नवंबर 2019)।

ii. आगे की जाँच से पता चला कि नामांकन की तिथि (19 जून 2019) तक बी एवं आर का उत्तराखण्ड में जी एस टी के अंतर्गत कोई पंजीकरण नहीं था, जबकि बी एवं आर के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामांकन के समय अन्य दो सी पी एस यू पहले से ही उत्तराखण्ड में पंजीकृत[24] थे। यह भी पाया गया कि बी एवं आर ने 01 जनवरी 2021 को उत्तराखण्ड में जी एस टी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि नामांकन की तिथि तक बी एवं आर के पास उत्तराखण्ड में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं था।

iii. जाँच से पता चला कि डी एस सी एल ने तीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बी एवं आर के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनका विवरण निम्न **तालिका-3.3** में दिया गया है:

तालिका-3.3: बी एवं आर के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	समझौता ज्ञापन की तिथि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	धनराशि
1	एम यू डी, सीवरेज, ड्रैनेज, जलापूर्ति आदि सहित **स्मार्ट रोड** का निर्माण।	12 जुलाई 2019	01 जुलाई 2021	203.23
2	**ड्रैनेज कार्य** (भाग-II) जिसमें आउटफॉल पॉइंट तक नालियों को जोड़ना शामिल है।	10 दिसम्बर 2019	01 दिसम्बर 2020	17.35
3	**सीवरेज कार्य** (भाग-II) ए बी डी क्षेत्र का मुख्य सीवर नेटवर्क, विद्यमान आउटफॉल तक कनेक्टिविटी के साथ।	10 दिसम्बर 2019	01 दिसम्बर 2020	30.30

समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्य (स्मार्ट रोड) 01 जुलाई 2021 तक पूरा होना था। हालाँकि, विस्तारित समयावधि (अप्रैल 2022)[25] के अंत तक बी एवं आर स्मार्ट रोड एवं सीवरेज कार्य का केवल 30 *प्रतिशत* भौतिक कार्य ही पूरा कर सका था एवं ड्रेनेज कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा बी एवं आर के साथ

[24] एन पी सी सी: 29 अक्टूबर 2018 और वेपकोस: 07 जुलाई 2017।

[25] कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण डी एस सी एल के बोर्ड के अनुमोदन पर अप्रैल 2022 तक विस्तार प्रदान किया गया था।

सितंबर 2022 में समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया गया था। आगे, शेष कार्यों के निष्पादन के लिए, उत्तराखण्ड सरकार ने लोक निर्माण विभाग को नामित किया एवं स्मार्ट रोड कार्य (₹ 138.06 करोड़) के लिए एक अलग परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी आई यू- पी डब्ल्यू डी) की स्थापना की (अक्टूबर 2022) तथा सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड एवं यू जे एन को क्रमशः ड्रेनेज (₹ 9.84 करोड़) और सीवरेज कार्य (₹ 16.00 करोड़) सौंपा (अक्टूबर-नवंबर 2022)। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि, हालाँकि, पूर्ण करने की निर्धारित तिथि[26] से सात से नौ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अप्रैल 2024 तक कार्य पूरा नहीं हुआ था, लेकिन तीनों परियोजनाएं निर्माण के अंतिम चरण[27] में थीं।

इस प्रकार, कार्यदायी संस्था के रूप में बी एवं आर का नामांकन, प्रथम दृष्टया, अनुचित था। उक्त कंपनी औद्योगिक कार्यों में विशेषज्ञ थी और तदनुसार, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में थी। दूसरे, सड़क एवं पुल कार्यों के लिए एक समर्पित लोक निर्माण विभाग, ड्रैनेज कार्यों के लिए सिंचाई विभाग एवं सीवरेज कार्य एवं जलापूर्ति कार्यों के लिए राज्य पी एस यू (यू जे एन) था। वास्तव में, राज्य की अपनी संस्थाओं ने वे सभी कार्य किए जिनके लिए उन्हें प्रारम्भ में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुपयुक्त पाया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार की संस्थाओं (उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी और सिंचाई विभाग) के पास पहले से ही बाहरी वित्त-पोषित परियोजनाओं और राज्य वित्त-पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत सीवरेज एवं ड्रैनेज से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने का अनुभव था।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (30 मई 2024) एवं अवगत कराया कि बी एवं आर का विषयपरक मूल्यांकन सड़क परियोजनाओं में प्रासंगिक अनुभव के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग मानदण्ड नहीं अपनाया गया क्योंकि बी एवं आर को नामित करने का निर्णय तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित था जो परियोजना के लिए उनकी उपयुक्तता को दर्शाता है। यह स्पष्ट किया गया कि कार्यदायी संस्था (बी एवं आर) के चयन की प्रक्रिया में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने अपने स्वयं के सम्मानित संगठनों की कार्य क्षमताओं को अनदेखा कर दिया, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में व्यापक

---

[26] स्मार्ट रोड: 16 अगस्त 2023; ड्रेनेज कार्य: 30 जून 2023 एवं सीवरेज कार्य: 01 जून 2023।

[27] स्मार्ट रोड (98 प्र*तिशत*); ड्रैनेज कार्य (95 *प्रतिशत*); एवं सीवरेज कार्य (60 *प्रतिशत*)।

अनुभव था। इसके अतिरिक्त, बी एवं आर द्वारा अधूरा छोड़ा गया कार्य उत्तराखण्ड की सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था, जो 30 अप्रैल 2024 तक प्रगति[28] के अन्तिम चरणों में था। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि पर्याप्त औचित्य के बिना नामांकन के आधार पर अनुबंध/ खरीद/ परियोजनाओं को प्रदान करना प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और समानता को खत्म करने वाली एक प्रतिबंधात्मक प्रथा है।

3.2.1 बाधा-मुक्त कार्य-स्थल उपलब्ध न कराना

बी एवं आर के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के लिए स्थल ब्राउनफील्ड क्षेत्र में स्थित था, विशेष रूप से व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों में, जहाँ विभिन्न विभागों से संबंधित कई यूटिलिटीज़ मौजूद थीं। लेखापरीक्षा ने बाधा-मुक्त कार्य-स्थल की अनुपलब्धता के निम्नलिखित प्रकरण पाए।

i) बी एवं आर ने डी एस सी एल को विभिन्न पत्रों के माध्यम से बार-बार सूचित किया कि डी एस सी एल ने बाधा रहित कार्य-स्थल प्रदान नहीं किया है एवं समय पर ड्राइंग एवं डिजाइन उपलब्ध नहीं कराएं हैं। उत्तर में, डी एस सी एल ने लगातार कहा कि समझौता ज्ञापन के अनुसार, बाधाओं को दूर करने एवं ड्राइंग एवं डिजाइन प्रदान करने के लिए बी एवं आर उत्तरदायी था। इस असहमति के बावजूद, न तो डी एस सी एल और न ही बी एवं आर ने, समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट विवाद समाधान समिति (डी आर सी), के समक्ष प्रकरण लाया।

शासन ने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया, यद्यपि प्रबंधन ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि समझौता ज्ञापन के अनुसार बी एवं आर बाधाओं को दूर करने एवं ड्राइंग से संबंधित प्रकरणों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी था। डी एस सी एल ने लाइन विभागों के साथ समन्वय करके बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि बी एवं आर ने प्रकरण को डी आर सी में ले जाने के बजाय नई दरों की माँग की थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समझौता ज्ञापन में बाधा हटाने की जिम्मेदारी के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, बी एवं आर ने बाधा हटाने एवं ड्राइंग से संबंधित प्रकरण के बारे में लगातार चिंता जताई थी। जब बी एवं आर ने मूल्य भिन्नता क्लॉज़ को शामिल करने हेतु ठेकेदार के अनुरोध से अवगत कराया

[28] 60 *प्रतिशत* से 98 *प्रतिशत* तक।

(जून 2022), उससे पूर्व ही समझौता ज्ञापन की समाप्ति प्रक्रिया चल रही थी। इस अवधि में भी, डी एस सी एल विवाद को सुलझाने के लिए डी आर सी में प्रकरण नहीं ले गया।

ii) स्मार्ट रोड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित चार सड़कें शहर के व्यस्त व्यावसायिक केंद्र में स्थित थीं, जहाँ संरेखण में कई बाधाएं थीं। परियोजना की जटिलता और तकनीकी चुनौतियों से अवगत होने के बावजूद भी, डी एस सी एल नियोजन चरण के दौरान इन बाधाओं[29] की पहचान करने या यूटिलिटीज़ को स्थानांतरित करने या बाधाओं को हटाने के लिए एक ठोस योजना तैयार करने में विफल रहा। बी एवं आर ने दिसंबर 2019, जनवरी 2020, अक्टूबर 2020 एवं जुलाई 2021 में डी एस सी एल को जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1*** में वर्णित है, ओवरहेड बाधाओं की एक सूची प्रस्तुत की थी। किसी भी संपत्ति के स्वामित्व की कमी के कारण डी एस सी एल ने समय-समय पर इन प्रसंगों को संबंधित विभागों को अग्रेषित कर दिया। हालाँकि, संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। यह न केवल डी एस सी एल की ओर से प्रभावी नियोजन की कमी को दर्शाता है, बल्कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी को भी दर्शाता है।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (30 मई 2024) और उत्तर दिया कि स्मार्ट रोड जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए बाधाओं की पहचान एवं उन्हें कम करना, विशेष रूप से व्यस्त वाणिज्यिक केंद्रों में, महत्वपूर्ण है। डी एस सी एल ने आगे अवगत कराया कि परियोजना के नियोजन और निष्पादन चरण के दौरान यूटिलिटीज़, होर्डिंग्स, खंभों, पेड़ों एवं अन्य बाधाओं से संबंधित बाधाओं को दूर करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तथापि, डी एस सी एल ने संयुक्त स्थल दौरे के माध्यम से लाइन विभागों के साथ सक्रिय रूप से काम किया एवं आवश्यक यूटिलिटीज़ शिफ्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए पत्राचार किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी एस सी एल को नियोजन चरण के दौरान इन बाधाओं की पहचान करनी चाहिए थी और यूटिलिटीज़ शिफ्टिंग के लिए ₹ 2.00 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान करने के बजाय यूटिलिटीज़ को स्थानांतरित करने या बाधाओं को दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, एच पी एस सी/

[29] बाधाओं से तात्पर्य ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे, बस स्टैंड, पुलिस बूथ, पेड़, कूड़ेदान, होर्डिंग्स एवं अतिक्रमण आदि से हैं।

डी एस सी एल के बोर्ड में विभागाध्यक्षों और विभिन्न लाइन विभागों[30] के प्रतिनिधियों की भागीदारी के बावजूद, साइट के मुद्दों को हल नहीं किया जा सका।

3.2.2 अप्रयुक्त धनराशि को वापस न करना

तीनों समझौता ज्ञापनों के सापेक्ष, बी एवं आर को ₹ 76.84 करोड़ की राशि तीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम के रूप में जारी की गई, जैसा कि नीचे **तालिका-3.4** में वर्णित है:

तालिका-3.4: बी एवं आर को जारी की गई धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	धनराशि जारी करने की तिथि	*धनराशि*
1	स्मार्ट रोड कार्य	23.10.2019	20.00
2	ड्रैनेज कार्य	16.09.2020	1.63
3	सीवरेज कार्य	16.09.2020	2.84
4	स्मार्ट रोड कार्य	29.09.2020	30.00
5	स्मार्ट रोड कार्य	10.09.2021	20.00
योग			***74.47***
सेंटेज़ शुल्क		13.10.2021	2.37
महायोग			***76.84***

संयुक्त मापन[31] के अनुसार, कार्यदायी संस्था (बी एवं आर) ने समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तिथि (14 सितंबर 2022) तक ₹ 57.78 करोड़ (जी एस टी एवं सेंटेज शुल्क सहित) की लागत का कार्य निष्पादित किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बी एवं आर ने अप्रयुक्त राशि ₹ 19.06 करोड़[32] डी एस सी एल को वापस नहीं की थी। बी एवं आर ने अनुबंध की समाप्ति के कारण हुए हानि के लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम (₹ 7.02 करोड़) एवं ठेकेदार के दावे (₹ 33.33 करोड़) की लंबित वसूली जैसे विभिन्न कारणों को उद्धृत किया। इसने आगे स्पष्ट किया कि ठेकेदार ने कार्यदायी संस्था अर्थात बी एवं आर के विरुद्ध आर्बिट्रेशन प्रारम्भ कर दिया है एवं धनराशि की वापसी ठेकेदार के दावे के निपटान पर निर्भर है।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्य को स्वीकार किया और अवगत कराया कि उन्होंने अप्रयुक्त राशि को समायोजित करने एवं वापस करने के लिए बी एवं आर के साथ मामले को उठाया (मार्च 2024) था। आगे बताया गया कि

---

[30] एच पी एस सी: शहरी विकास विभाग, योजना विभाग, पी डब्ल्यू डी, पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग एवं मेयर, नगर निगम, डी एस सी एल का बोर्ड, एम डी डी ए, शहरी विकास विभाग, नगर निगम, ऊर्जा विभाग, जल संस्थान एवं पी डब्ल्यू डी।

[31] डी एस सी एल, बी एवं आर, पी एम सी एवं बी एवं आर के ठेकेदार के प्रतिनिधि।

[32] ₹ 19.06 करोड़ = ₹ 76.84 करोड़ - ₹ 57.78 करोड़।

चूँकि ठेकेदार ने बी एवं आर के खिलाफ ₹ 33.33 करोड़ के दावे का निपटान करने के लिए आर्बिट्रेशन प्रारम्भ किया है; बी एवं आर ने सूचित किया है कि आर्बिट्रेशन का निपटान होने के बाद अप्रयुक्त धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल की 28 वीं बैठक (19 जून 2024), में यह निर्णय लिया गया कि डी एस सी एल प्रकरण को निपटाने के लिए डी एस सी एल, बी एवं आर एवं ठेकेदार के बीच एक बैठक की व्यवस्था करेगा, जिसकी अध्यक्षता डी एस सी एल के अध्यक्ष (मंडल आयुक्त, गढ़वाल) करेंगे। वास्तविकता यह है कि नवंबर 2024 तक बी एवं आर से ₹ 19.06 करोड़ का धनराशि की वापसी लंबित थी।

3.3 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुये विलम्ब के लिए अर्थदण्ड न लगाया जाना

लेखापरीक्षा ने आठ परियोजनाओं के निष्पादन में कार्यदायी संस्थाओं के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापनों के संदर्भ में 19 महीने से 38 महीने तक के विलम्ब के प्रकरण पाये, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.2*** में वर्णित है। आठ में से एक प्रकरण, अर्थात् स्मार्ट रोड, में लागत में वृद्धि हुई थी, जैसा कि नीचे ***प्रस्तर 3.5*** में विस्तृत रूप से बताया गया है। संबंधित अनुबंधों में दण्ड का प्रावधान होने के बावजूद, स्मार्ट रोड के मामले में डी एस सी एल द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया, क्योंकि यह बी एवं आर को बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार के मामले में, आंशिक अर्थदण्ड लगाया गया था जैसा कि अनुवर्ती ***प्रस्तर 3.3.1*** में चर्चा की गई है। इसी प्रकार, पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाजार के मामले में अर्थदण्ड लगाया गया, लेकिन आंशिक रूप से वसूला गया, जैसा कि नीचे ***प्रस्तर 3.3.2*** में चर्चा की गई है।

3.3.1 परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार के प्रकरण में अर्थदण्ड न लगाया जाना

अनुबंध की सामान्य शर्त के क्लॉज़ 56.1 सपठित अनुबंध की विशेष शर्त 58.1 यह निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार के किसी मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त किया जाता है, तो नियोक्ता शेष कार्य की लागत का 20 *प्रतिशत* वसूल करेगा।

डी एस सी एल ने परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार के लिए एक ठेकेदार[33] के साथ ₹ 18.92 करोड़ (जी एस टी को छोड़कर) का एक अनुबंध संपादित किया था (30 अक्टूबर 2019)। यह कार्य 30 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण होना था। समय विस्तार दिए जाने के बाद भी काम की धीमी प्रगति के कारण, डी एस सी एल के बोर्ड ने

[33] चौधरी संदीप कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स, मै. अजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर के साथ संयुक्त उद्यम में।

अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया (जुलाई 2022)। कार्य निष्पादन में विलम्ब के लिए ठेकेदार से ₹ 1.90 करोड़ (अनुबंध लागत का 10 *प्रतिशत*) का परिनिर्धारित नुकसान वसूला गया।

इसके अतिरिक्त, शेष कार्य (₹ 5.99 करोड़[34]) को पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को हस्तांतरित कर दिया गया था (जनवरी 2023) एवं ठेकेदार को कार्य समाप्ति पत्र जारी कर दिया गया था (फरवरी 2023)। कार्य अक्टूबर, 2023 तक प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि अनुबंध की समाप्ति की तिथि (फरवरी 2023) तक अनुबंध लागत के सापेक्ष ₹ 11.87 करोड़[35] (जी एस टी को छोड़कर) की राशि का कार्य निष्पादित किया गया था। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा ₹ 7.05 करोड़[36] की राशि का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। अनुबंध के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़[37] का अर्थदण्ड देना था, लेकिन डी एस सी एल ने ठेकेदार पर बचे हुए कार्य के लिए कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया था।

शासन ने उत्तर दिया (30 मई 2024) कि उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने और कार्यवाही का सबसे उपयुक्त तरीका पहचानने के लिए कानूनी विशेषज्ञ के साथ इस मामले पर चर्चा की गई थी। यदि यह निर्धारित होता है कि अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अधूरे काम के लिए दण्ड की वसूली उचित है, तो डी एस सी एल तदनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी एस सी एल को अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड लगाना एवं वसूलना चाहिए था।

3.3.2 पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाजार के प्रकरण में अर्थदण्ड न लगाया जाना

अनुबंध की विशेष शर्त 47.1 सपठित सामान्य शर्त के क्लॉज़ 47.1 के अनुसार, ठेकेदार, अपेक्षित समापन तिथि के बाद किसी भी विलम्ब के लिए प्रति सप्ताह अंतिम अनुबंध मूल्य के 0.5 *प्रतिशत* की दर से, अधिकतम अंतिम अनुबंध मूल्य का 10 *प्रतिशत*, नियोक्ता को परिनिर्धारित नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

---

[34] एम डी डी ए को सौंपे जाने के लिए प्रस्तावित ₹ 1.07 करोड़ की ओ एण्ड एम लागत और पी डब्ल्यू डी द्वारा पहले किए गए ₹ 0.47 करोड़ मूल्य के कार्यों को छोड़कर।

[35] मेसर्स अजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर के साथ संयुक्त उद्यम में चौधरी संदीप कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स द्वारा ₹ 11.40 करोड़ एवं पी डब्ल्यू डी द्वारा पहले से निष्पादित ₹ 0.47 करोड़ का कार्य।

[36] ₹ 7.05 करोड़ = ₹ 18.92 करोड़ - ₹ 11.87 करोड़।

[37] ₹ 1.41 करोड़ = ₹ 7.05 करोड़ (शेष कार्य की लागत) x 20 *प्रतिशत*।

डी एस सी एल ने पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार के लिए एक ठेकेदार[38] के साथ ₹ 12.33 करोड़ (जी एस टी को छोड़कर) का अनुबंध किया (10 दिसंबर 2019)। कार्य के स्कोप में बदलाव के कारण, अनुबंध ₹ 5.95 करोड़ के व्यय के साथ समाप्त हुआ (मई 2023)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रारम्भ में परियोजना को 10 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने में असमर्थता के कारण, डी एस सी एल ने बिना किसी अर्थदण्ड के एक वर्ष के लिए पहला समय विस्तार दिया (अक्टूबर 2020) और अंतिम अनुबंध लागत यानी ₹ 5.95 करोड़ के 0.5 *प्रतिशत* अर्थदण्ड के साथ एक वर्ष (10 दिसंबर 2022 तक) का दूसरा समय विस्तार दिया (सितंबर 2022) जो अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें अंतिम अनुबंध लागत के अधिकतम 10 *प्रतिशत* के अधीन प्रति सप्ताह 0.5 *प्रतिशत* अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान था।

यह पाया गया कि डी एस सी एल ने केवल ₹ 3.84 लाख का अर्थदण्ड लगाया और वसूल किया, जबकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 59.50 लाख[39] का अर्थदण्ड लगाया जाना था। इस प्रकार, ठेकेदार पर कम अर्थदण्ड लगाकर, ठेकेदार को ₹ 55.66 लाख[40] का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

शासन ने अवगत कराया (30 मई 2024) कि ठेकेदार ने 10 दिसंबर 2022 (जिस तिथि तक समय विस्तार दिया गया है) से पहले काम पूरा कर लिया तथा, इसलिए बोर्ड के निर्देश के अंतर्गत, केवल एक सप्ताह के लिए सांकेतिक अर्थदण्ड लगाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों के अनुसार 10 दिसंबर 2022 तक काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए उक्त तिथि के बाद कई पत्र लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त, डी एस सी एल को सांकेतिक अर्थदण्ड लगाने के बजाय अनुबंध की शर्तों एवं बोर्ड के निर्णय के अनुसार अर्थदण्ड लगाना चाहिए था।

3.4 निविदा आमंत्रित किए बिना ₹ 2.93 करोड़ लागत के कार्य का निष्पादन

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 3 (2) में प्रावधान है कि जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदा के माध्यम से की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, जी एफ आर 2017 के नियम 136 (1) (vi) में प्रावधान है कि "कोई भी निर्माण कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया

---

[38] चौधरी संदीप कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स, मैसर्स अजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर के साथ संयुक्त उद्यम में।

[39] ₹ 59.50 लाख = ₹ 5.95 करोड़ x 52-सप्ताह x 0.5 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह (किए गए कार्य के लागत अर्थात ₹ 5.95 करोड़ का 10 *प्रतिशत* तक।

[40] ₹ 55.66 लाख = ₹ 59.50 लाख - ₹ 3.84 लाख (पहले ही वसूल हो चुके)।

जाएगा या इस सम्बन्ध में कोई देनदारी नहीं की जाएगी जब तक कि नियमों के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित करके उन पर कार्यवाही नहीं कर दी जाती''।

"परेड ग्राउंड जीर्णोद्धार" परियोजना के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी एस सी एल द्वारा परियोजना के ₹ 5.99 करोड़ की लागत के शेष कार्यों को पी आई यू -पी डब्ल्यू डी को हस्तांतरित (08 जनवरी, 2023) कर दिया गया था। यह पाया गया कि पी आई यू ने अधिप्राप्ति नियमावली एवं जी एफ आर में परिकल्पित निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना, नीचे **तालिका-3.5** में वर्णित सात कार्यों के निष्पादन पर ₹ 2.93 करोड़[41] व्यय किया था। आगे की जाँच से पता चला कि इन सात कार्यों में से पाँच को कोटेशन आमंत्रित करने के बाद चयन के आधार पर निष्पादित किया गया था एवं शेष दो कार्यों को अन्य कार्यों (सिटीस एवं वी आई पी मंच) के अनुबंध के अंतर्गत अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित किया गया था।

तालिका-3.5: निविदा आमंत्रित किये बिना निष्पादित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनाँक	व्यय (₹)
1	वी आई पी पार्किंग की तरफ स्लाइडिंग गेट उपलब्ध कराना एवं स्थापना करना तथा बाहरी चारदीवारी पर ग्रेनाइट का कार्य	सी बी संख्या 11 दिनाँक:03.07.2023	22,75,639
2	परेड ग्राउंड की चारदीवारी पर बोलार्ड लगाना एवं पंत रोड एवं कॉन्वेंट रोड की तरफ रेलिंग लगाना	सी बी संख्या 12 दिनाँक:03.07.2023	22,07,282
3	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एवं पंत रोड की तरफ गेट निर्माण तथा परेड ग्राउंड में एच डी पी ई पाइप बिछाने का कार्य।	सी बी संख्या 13 दिनाँक:06.07.2023	16,15,692
4	सर्वे चौक से दून क्लब तक एवं किड्स जोन में अग्रभाग कार्य	सी बी संख्या 16 दिनाँक:03.08.2023	20,92,756
5	कनक पिक्चर पैलेस रोड पर इंटरलॉकिंग, सी सी पेवमेंट एवं लोहे की जाली का कार्य तथा खेल परिसर से मलबे की सफाई के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की आपूर्ति।	सी बी संख्या 17 दिनाँक:03.08.2023	9,46,500
योग-अ			***91,37,869***
6	सिटीस परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त मद के रूप में किए गए सड़क कार्य		1,36,02,773
7	वी आई पी मंच कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त मद के रूप में फेंसिंग एवं रेलिंग लगाने से संबंधित निष्पादित किए गए कार्य		65,78,143
योग-ब			***2,01,80,916***
महायोग (अ+ब)			***2,93,18,785***

[41] अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया व्यय।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने अवगत कराया कि समय की कमी के कारण, विभागीय नियमों और विनियमों के अनुसार पी आई यू-पी डब्ल्यू डी द्वारा चयन अनुबंध के माध्यम से कार्य कराया गया था, क्योंकि इसे स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2023) से पहले पूरा किया जाना था।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किए बिना लेखापरीक्षा तिथि (नवंबर 2023) तक केवल 51 *प्रतिशत*[42] काम ही पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में शेष कार्य को पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को सौंपने के बाद, इसने छः से सात महीने बाद चयन के आधार पर अनुबंध निष्पादित किए। यह स्वयं इंगित करता है कि समय की कमी, जैसा कि उत्तर में बताया गया है, औचित्यपूर्ण नहीं थी।

3.5 स्मार्ट रोड परियोजना में ₹ 10.34 करोड़ की लागत वृद्धि

डी एस सी एल ने स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए बी एवं आर (कार्यदायी संस्था) के साथ ₹ 203.23 करोड़[43] के समझौता ज्ञापन (12 जुलाई 2019) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्य 01 अक्टूबर 2019 से प्रारम्भ होना था एवं 01 जुलाई 2021 तक पूर्ण होना था।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि डी एस सी एल, कार्यदायी संस्था को परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए बाधा मुक्त कार्य-क्षेत्र एवं ड्राइंग उपलब्ध कराने में विफल रहा। बाद में, डी एस सी एल ने काम की धीमी प्रगति के कारण कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन को समाप्त कर दिया (14 सितंबर 2022) और शेष कार्यों के लिए पी डब्ल्यू डी को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित (सितंबर 2022) किया। कार्यदायी संस्था ने समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तिथि तक केवल ₹ 57.78 करोड़ की राशि के कार्यों[44] को निष्पादित किया था और डी एस सी एल ने परियोजना के ₹ 33.19 करोड़ की लागत वाले कार्यों के स्कोप को कम करके एवं कार्य की प्रकृति बदलने के बाद बचे हुए कार्यों के लिए पी डब्ल्यू डी के साथ ₹ 138.06 करोड़ की स्वीकृत लागत पर एक नया समझौता ज्ञापन (17 नवंबर 2022) किया। समान मदों की पुरानी डी पी आर में स्वीकृत दरों और नई डी पी आर में स्वीकृत दरों/

---

42 51 *प्रतिशत* = किये गये कार्य की लागत ₹ 3.08 करोड़ /₹ 5.99 करोड़ (कार्य की लागत) *100।

43 इसमें सेंटेज शुल्क एवं अन्य शुल्क भी शामिल हैं।

44 स्मार्ट रोड परियोजना एवं एकीकृत सीवरेज परियोजना।

अनुमोदित लागत की तुलना करने पर पता चला कि मूल्य वृद्धि के कारण परियोजना की प्रमुख मदों की लागत में ₹ 10.34 करोड़ की वृद्धि हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.3*** में वर्णित है।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने यह कहते हुए लागत वृद्धि को उचित ठहराया कि शेष कार्य की लागत ₹ 160.62 करोड़ (बी एवं आर के साथ अनुबंध के मूल्य वृद्धि क्लॉज़ सहित) थी, जबकि शेष कार्य ₹ 138.00 करोड़ की लागत पर पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को सौंपा गया था।

शासन का उत्तर कि पी आई यू-पी डब्ल्यू डी को ₹ 138.00 करोड़ की लागत के कार्यों को हस्तांतरित करने से पहले ही ₹ 160.62 करोड़ के शेष कार्य में से ₹ 33.19 करोड़ की लागत के कार्य के स्कोप में परिवर्तन/ डिस्कोपिंग कर दिया गया था, स्वयं ही लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने केवल दोनों डी पी आर/ स्वीकृत लागत में समान मदों के लिए लागत वृद्धि की गणना की है।

3.6 अनुशंसाएँ

1. ***राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मापनीय परियोजना प्रदेय से जुड़ी भुगतान शर्तें भविष्य के अनुबंधों में शामिल की जाएं।***
2. ***पी एम सी को भुगतान में अनियमितताओं जिसमें असत्यापित भुगतान, अमान्य भुगतान, निरर्थक व्यय, अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन एवं अनुबंध के प्रावधानों का पालन करने में विफलता आदि शामिल हैं, के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।***
3. ***राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रगतिरत परियोजनाएं संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के समन्वय से शीघ्रता से पूर्ण की जाएं।***
4. ***राज्य सरकार को कार्यदायी सस्थाओं के पास लंबित अप्रयुक्त राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।***

अध्याय-4

वित्तीय अनियमितताएँ

अध्याय - 4

वित्तीय अनियमितताएँ

इस अध्याय में वित्तीय अनियमितताएँ जैसे अधिक भुगतान, एस सी एम निधि से अनियमित व्यय, ब्याज की हानि और मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र को प्रत्येक शहर के लिए अधिकतम ₹ 500 करोड़ प्रदान करने होते हैं और परियोजना तथा प्रशासन एवं कार्यालय व्यय (ए एवं ओ ई) पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) द्वारा भी समान हिस्सा दिया जाना होता है। मार्च 2023 तक डी एस सी एल को अवमुक्त की गई धनराशि एवं उसके सापेक्ष उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्न **तालिका-4.1** में दिया गया है:

तालिका-4.1: मार्च 2023 तक प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को अवमुक्त धनराशि	डी एस सी एल को अवमुक्त धनराशि			व्यय
			केंद्रांश	राज्यांश	योग	
1	2015-16	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2016-17	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
3	2017-18	18.00	0.00	3.00	3.00	2.00
4	2018-19	40.00	54.00	53.00	107.00	9.68
5	2019-20	136.00	109.00	74.00	183.00	140.84
6	2020-21	51.50	82.50	5.00	87.50	129.66
7	2021-22	0.00	0.00	115.00	115.00	148.86
8	2022-23	147.00	144.50	95.50	240.00	203.07
योग		***394.50***	***392.00[1]***	***345.50[2]***	***737.50***	***634.11***

स्रोत: डी एस सी एल द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, भारत सरकार ने मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार को ₹ 394.50 करोड़ अवमुक्त किए थे, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड सरकार ने डी एस सी एल को केंद्रांश के रूप में ₹ 392.00 करोड़ अवमुक्त किए। उत्तराखण्ड सरकार ने मार्च 2023 तक डी एस सी एल को राज्यांश के रूप में भी ₹ 345.50 करोड़

[1] राज्य द्वारा केंद्रांश के ₹ 2.50 करोड़ मई 2023 में अवमुक्त किए गए।

[2] राज्यांश की शेष राशि ₹ 49.00 करोड़ मई 2023 में अवमुक्त की गई।

अवमुक्त किए थे। कुल अवमुक्त की गई धनराशि ₹ 737.50 करोड़ (परियोजना निधि ₹ 696.50 करोड़ और ए एवं ओ ई निधि ₹ 41.00 करोड़) के सापेक्ष, डी एस सी एल ने ₹ 634.11 करोड़ (परियोजना निधि ₹ 591.38 करोड़ एवं ए एवं ओ ई निधि ₹ 42.73 करोड़[3]) व्यय किए थे।

वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

4.1 निधियाँ अवमुक्त करने में विलम्ब

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रांश की धनराशि की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसके समतुल्य राज्यांश के साथ विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एस पी वी को केंद्रांश अवमुक्त करने में 16 दिनों से लेकर 363 दिनों तक का अनुचित विलम्ब हुआ एवं उत्तराखण्ड सरकार ने अपने समतुल्य राज्यांश को भी 16 दिनों से लेकर 1,254 दिनों तक के विलम्ब से अवमुक्त किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-4.1*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में निधियों के अवमुक्त होने में विलम्ब की घटती प्रवृत्ति भी देखी गई, जैसा कि नीचे **चार्ट-4.1** और **चार्ट-4.2** में दर्शाया गया है। यह प्रवृत्ति मार्च 2021 में भारत सरकार द्वारा एकल नोडल खाता (एस एन ए[4]) प्रणाली के संचालन के कारण हुई।

चार्ट-4.1:
राज्य द्वारा केंद्रांश अवमुक्त करने की प्रवृत्ति

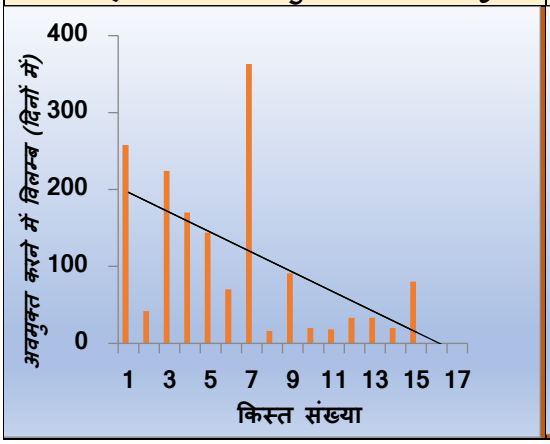

चार्ट-4.2:
राज्यांश अवमुक्त करने की प्रवृत्ति

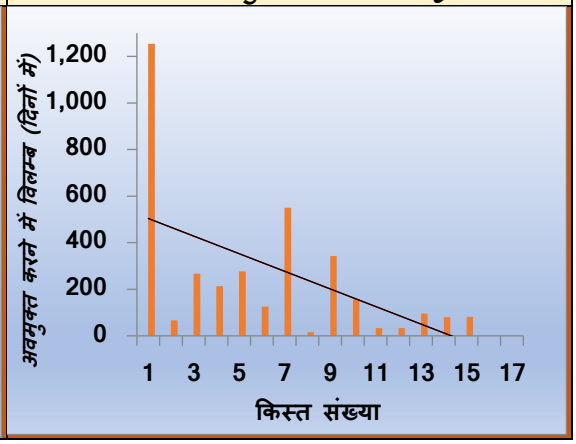

[3] ए एवं ओ ई व्यय को पूरा करने के लिए मार्च 2022 में परियोजना निधि से ₹ 3.00 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।

[4] अप्रैल 2022 में डी एस सी एल द्वारा खोला गया।

4.2 मॉडर्न दून लाइब्रेरी परियोजना में ₹ 34.70 लाख का अधिक भुगतान

मॉडर्न दून लाइब्रेरी के निर्माण एवं सहायक वस्तुओं[5] की खरीद के लिए डी एस सी एल एवं एक कार्यदयी संस्था[6] के मध्य ₹ 13.25 करोड़ के समझौता ज्ञापन (सितंबर 2019) पर हस्ताक्षर हुए।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान ₹ 2.76 करोड़ की 64 मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में स्वीकृत किया गया था। इन 64 मदों में से 46 मदों[7] की दरें जी एस टी सहित थीं। जी एस टी शामिल होने के बावजूद, इन 46 मदों के लिए ठेकेदार को जी एस टी के रूप में ₹ 19.82 लाख (18 *प्रतिशत* की दर से) का भुगतान किया गया। फलस्वरूप, इन मदों पर दो बार जी एस टी का भुगतान किया गया और इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 19.82 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, ₹ 26.20 लाख की लागत के 40 डेस्कटॉप को भी उच्च दरों पर अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत किया गया था, जबकि समान विशेषताएँ वाले कंप्यूटर पहले से ही अनुबंध के दायरे में शामिल थे। परिणामस्वरूप, ठेकेदार को ₹ 14.88 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जैसा कि नीचे **तालिका-4.2** में विस्तृत है:

तालिका-4.2: अधिक भुगतान का विवरण

(धनराशि ₹ में)

मद	मूल अनुबंध में उल्लिखित दर	अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत एवं भुगतान किया गया	दर में भिन्नता	मदों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4 (3-2)	5	6 (5 x 4)
कम्प्यूटर	33,964.29	65,500	31,535.71	40	12,61,428.40
जी एस टी (18 प्रतिशत)					***2,27,057.11***
महायोग					***14,88,485.51***

इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 34.70 लाख[8] का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि ठेकेदार से जी एस टी की धनराशि वसूल कर ली गई है तथा

---

5 फर्नीचर, कंप्यूटर, सी सी टी वी एवं अन्य आई टी उपकरण।

6 परियोजना प्रबंधक (खेल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

7 ₹ 1.79 करोड़ मूल्य की 19 मदें डी एस आर 2018 पर आधारित थीं, ₹ 60.58 लाख मूल्य की 27 मदें बाजार दर पर थीं।

8 ₹ 34.70 लाख = ₹ 19.82 लाख + ₹ 14.88 लाख।

डेस्कटॉप के लिए ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान के मुद्दे पर यह आश्वासन दिया गया कि ठेकेदार से अतिरिक्त भुगतान वसूल किया जाएगा।

4.3 एस सी एम निधि से अनियमित व्यय

एस सी एम को दो प्रकार, क्षेत्र-आधारित विकास (ए बी डी) एवं पैन-सिटी पहल, से क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी। एस सी एम दिशानिर्देशों के प्रस्तर 10.3 के अनुसार, एस सी एम में भारत सरकार द्वारा एस पी वी को प्रदान की जाने वाली धनराशि बंधित अनुदान के रूप में होगी और एक अलग अनुदान निधि में रखी जाएगी। ये निधियाँ केवल उसी प्रयोजन, जिसके लिए अनुदान दी गई है, तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार प्रयोग में लाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वीकृति आदेशों के अनुसार, निधियों का उपयोग एस सी एम दिशा-निर्देशों के अनुसार और जिस उद्देश्य के लिए इसे स्वीकृत किया गया है, केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्मार्ट रोड परियोजना (एस आर पी) के लिए चयनित चारों मार्ग[9] ए बी डी क्षेत्र की परिधि में थे। एस आर पी में कार्यों के दायरे में पेवमेंट को मजबूत करके सड़क का उन्नयन, नालियों का प्रावधान, मल्टी यूटिलिटी डक्ट (एम यू डी), सीवरेज कार्य, भूमिगत जल आपूर्ति लाइनें आदि शामिल था, जैसा कि ***अध्याय- 2*** के ***प्रस्तर 2.4.5*** में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त चार मार्गों में से, चकराता मार्ग[10] (कुल लंबाई 1.9 किमी) पर कार्य में ए बी डी क्षेत्र के बाहर स्थित 950 मीटर का भाग भी सम्मलित था। डी एस सी एल ने ए बी डी क्षेत्र से बाहर के कार्य के निष्पादन पर एस सी एम निधि से ₹ 19.47 करोड़[11] व्यय किए, जो एस सी एम दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (मई 2024) और कहा कि यह यमुना कॉलोनी के वी वी आई पी क्षेत्र को शामिल करने के लिए रणनीतिक रूप से किया गया था, जहाँ वी आई पी लोगों की निरंतर आवाजाही और

---

9 हरिद्वार मार्ग, ई सी मार्ग, राजपुर मार्ग एवं चकराता मार्ग।

10 घंटाघर से किशन नगर चौक तक। उक्त मार्ग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है [घंटाघर से बिंदाल पुल तक (950 मीटर) एवं बिंदाल पुल से किशन नगर चौक तक (950 मीटर)]

11 ₹ 19.47 करोड़ = [चकराता मार्ग: ₹ 13.78 करोड़ *(आनुपातिक आधार पर)* + ₹ 5.69 करोड़ (दून स्कूल की रिटेनिंग वॉल का स्थानांतरण)]।

भारी पर्यटक यातायात रहता है। हालाँकि, तथ्य यह है कि एस सी एम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, स्मार्ट सिटी निधि, जो एक बंधित अनुदान था, से ₹ 19.47 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

4.4 ब्याज की हानि

एस सी एम का शहरी स्तर पर कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित एस पी वी द्वारा किया जाना था। डी एस सी एल को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया (15 सितंबर 2017)। सर्वोत्तम वित्तीय हितों की रक्षा के लिए, डी एस सी एल को निर्णय लेते समय मौजूदा नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुये वित्तीय विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

डी एस सी एल के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि डी एस सी एल द्वारा 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान परियोजना निधि तथा ए एवं ओ ई निधि के लिए एच डी एफ सी बैंक में दो चालू खाते संचालित किए गए थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने डी एस सी एल के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिवेदन में यह इंगित किया था कि दोनों चालू खातों में काफी मात्रा में धनराशि निष्क्रिय पड़ी है एवं सुझाव दिया कि इन निष्क्रिय निधियों को ब्याज के रूप में आय अर्जित करने हेतु माँग पर देय वाली प्रतिभूतियों में विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जा सकता है। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि डी एस सी एल ने अपनी स्थापना के तीन वर्ष बाद (अक्टूबर 2020) अप्रयुक्त निधियों को बैंक में सावधि जमा के लिए एक नीति बनाई जिससे उस अवधि के लिए अधिकतम ब्याज अर्जित हो सके। डी एस सी एल ने दोनों खातो को बंद[12] कर अप्रयुक्त धनराशि पर ब्याज अर्जित करने के लिए अन्य बैंक में नए खाते[13] खोले।

परिणामस्वरूप, अप्रयुक्त निधियों को बिना ब्याज वाले बैंक खाते में तीन वर्ष तक रखने के कारण भारत सरकार/ उत्तराखण्ड सरकार को ₹ 6.20 करोड़[14] संभावित ब्याज की हानि हुई, जिसका विवरण निम्न **तालिका-4.3** में दर्शाया गया है:

---

[12] एच डी एफ सी बैंक खाते 50200027724411 एवं 50200032926554 क्रमशः 14 जनवरी 2021 एवं 12 नवंबर 2020 को बंद कर दिए गए।

[13] अधिकतर बचत बैंक खाते।

[14] तीन *प्रतिशत* की दर से गणना की गई।

तालिका-4.3: ब्याज का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खाता संख्या	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
1	50200027724411	0.50	83.43	6.17	3.74	93.84
2	50200032926554	0.00	62.54	220.85	242.80	526.19
योग		***0.50***	***145.97***	***227.02***	***246.54***	***620.03***

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (30 मई 2024) कि डी एस सी एल के बोर्ड की स्वीकृति मिलने के पश्चात चालू खाते खोले गए थे। आगे स्पष्ट किया गया कि सभी एस एन ए खातों को अब बचत खातों में बदल दिया गया है।

वास्तविकता यह है कि विलम्ब से वित्तीय विवेक का प्रयोग करने के कारण भारत सरकार/ उत्तराखण्ड सरकार को ब्याज की हानि हुई।

4.5 मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली

केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देश 2007 यह प्रावधानित करता है कि निविदा अभिलेखों में मोबिलाइजेशन अग्रिम की धनराशि, उस पर प्रभारित ब्याज, यदि कोई हो; उसकी वसूली की समय-सारणी तथा अन्य प्रासंगिक विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 53(2) के अनुसार अग्रिम, अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाएंगे। अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाय। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) मैनुअल के प्रस्तर 32.5 के अनुसार, ठेकेदार के विशेष अनुरोध पर निविदत्त राशि के अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक का मोबिलाइजेशन अग्रिम 10 *प्रतिशत* साधारण ब्याज के साथ अनुबंध की शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है तथा ऐसे अग्रिमों को दो किस्तों से कम में जारी नहीं किया जाना चाहिए।

डी एस सी एल ने ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹ 3.64 करोड़ की राशि अवमुक्त (16 जनवरी 2020) की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर लगाए जाने वाले ब्याज दर का कोई प्रावधान नहीं था। यद्यपि, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर लगाए जाने वाले ब्याज दर के अभाव में, लेखापरीक्षा की तिथि (अक्तूबर 2023) तक मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹ 10.00 लाख की एकमुश्त राशि वसूल (मार्च 2021) की गई थी। सी पी डब्लू डी मैनुअल में प्रावधानित

ब्याज दर को ध्यान में रखते हुये, लेखापरीक्षा द्वारा ठेकेदार से प्रभारित किया जाने वाला ब्याज ₹ 91.12 लाख निर्धारित किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट-4.2*** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान अवगत कराया गया कि डी एस सी एल की 28 वीं बोर्ड की बैठक (19 जून 2024) में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की दर 10 *प्रतिशत* निर्धारित की गई थी एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। वास्तविकता यह है कि जून 2024 तक मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 81.12 लाख ब्याज कम वसूला गया।

4.6 अनुशंसाएँ

1. ***राज्य सरकार को अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जवाबदेही तय करनी चाहिए।***
2. ***राज्य सरकार को अधिप्राप्ति नियमावली में मोबिलाइजेशन अग्रिम पर लगाए जाने वाले ब्याज दर का प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए।***

अध्याय-5

शासकीय रूपरेखा

अध्याय - 5

शासकीय रूपरेखा

यह अध्याय, राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति और अंतर-विभागीय समन्वय टास्क फोर्स में सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद, स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एस सी एम) के कार्यान्वयन के दौरान विभागों के बीच समन्वय की कमी को उजागर करने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। एस सी एम दिशा-निर्देशों में परिकल्पित विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ए सी ई ओ) व वित्त नियंत्रक (एफ़ सी) की पूर्णकालिक नियुक्तियों के अभाव के कारण अप्रभावी साबित हुआ। इस अध्याय में गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई है।

एस सी एम कार्यान्वयन में एक सुपरिभाषित निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है; संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जा रहा है तथा एस सी एम के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुप्रबंधन से संरक्षित किया जा रहा है। एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जाँच मौजूदा पर्यवेक्षण, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र के आलोक में एवं एस सी एम के दिशानिर्देशों के संदर्भ में की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.1 नामित समितियों की भूमिका

5.1.1 उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 13.2 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच पी एस सी) की नियुक्ति का प्रावधान है, जो मिशन कार्यक्रम को सम्पूर्ण रूप से संचालित करेगी। एच पी एस सी में राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि होंगे। स्मार्ट सिटी से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के महापौर और नगर आयुक्त को एच पी एस सी में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एच पी एस सी की मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित थीं:

i. मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट सिटी के विकास से संबन्धित विचारों के आदान-प्रदान के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना।

ii. चरण-1 के मानदण्डों के आधार पर प्रथम स्तरीय अंतर-राज्य प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करना।

iii. स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एस सी पी) की समीक्षा करना और उन्हें चुनौती में भाग लेने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजना।

उत्तराखण्ड राज्य में एच पी एस सी का गठन जुलाई 2015 में किया गया था, जिसे जुलाई 2017 में इस निर्देश के साथ पुनर्गठित किया गया कि यह समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा। एच पी एस सी ने जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक कुल 17 बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों के दौरान एच पी एस सी ने पी एम सी के चयन, अतिरिक्त कार्यों, कार्यों के स्कोप में कमी इत्यादि, परियोजनाओं की डी पी आर को स्वीकृति एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी प्रमुख लाइन विभागों[1] के प्रतिनिधियों के बावजूद, एच पी एस सी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न लाइन विभागों के बीच समन्वय की कमी के मुद्दों को हल नहीं कर सका, जैसा कि ***प्रस्तर 2.4.1.2, 2.4.1.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 एवं 3.2.1 (ii)*** में चर्चा की गई है। फलस्वरूप, अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के अन्दर पूर्ण नहीं हुईं थी, जैसा कि ***प्रस्तर 3.3*** में चर्चा की गई है। बाधा मुक्त परियोजना स्थलों की उपलब्धता में विलम्ब और मौजूदा अनुबंधों की समाप्ति तथा नए अनुबंधों के निष्पादन के कारण आठ परियोजनाएं[2] अभी भी (मार्च 2023 तक) प्रगति पर थीं।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि ये मुद्दे मुख्य रूप से उच्च स्तर के बजाय निचले स्तर पर समन्वय की कमी से उत्पन्न हुए हैं। उत्तर स्वतः दर्शाता है कि सरकार समन्वय की कमी के मुद्दों को हल करने में असमर्थ थी।

5.1.2 अंतर-विभागीय टास्क फोर्स

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 9.1.1 (राज्यों द्वारा शहरों की लघु सूची तैयार करना) के अनुसार, एस सी एम दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-3 में दिए गए विवरण के अनुसार एक अंतर-विभागीय टास्क फोर्स (आई डी टी एफ) का गठन किया जाना था,

[1] यू डी डी, पी डब्ल्यू डी, वित्त, नियोजन विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

[2] ग्रीन बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड सीवरेज, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज, स्मार्ट रोड, सिटीस, फसाड, जल आपूर्ति आवर्धन एवं स्मार्ट मीटर्स तथा स्मार्ट पोल।

जिससे एस सी एम के संबंध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरों को स्मार्ट बनाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक आई डी टी एफ[3] का गठन (जुलाई 2015) किया गया था। यद्यपि, आदेश में आई डी टी एफ की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैठकों के दौरान विभिन्न लाइन विभागों के साथ स्मार्ट रोड के रखरखाव, एस सी एम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि, विभिन्न लाइन विभागों के मध्य समन्वय से संबंधित मुद्दों जैसे स्मार्ट रोड परियोजना, ग्रीन बिल्डिंग परियोजना, पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार परियोजना, सीवरेज परियोजना के लिए बाधा मुक्त स्थल प्रदान करने हेतु लाइन विभागों के साथ चर्चा नहीं की गई। फलस्वरूप, आई टी डी एफ का गठन मात्र एक औपचारिकता प्रतीत हुआ, क्योंकि सुचारू परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। लेखापरीक्षा के दौरान लाइन विभागों और डी एस सी एल के मध्य समन्वय की कमी के कई उदाहरण देखे गए, साथ ही विलंब एवं जिम्मेदारियों को लेकर विवाद भी देखे गए, जैसा कि नीचे केस स्टडी एवं ***प्रस्तर 2.4.1.2, 2.4.1.6, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 एवं 3.2.1 (ii)*** में विस्तार से बताया गया है। इन चुनौतियों ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है एवं परियोजना के पूरा होने में अनुचित विलम्ब के साथ-साथ पूर्ण किए गए कार्य को भी नुकसान पहुँचाया। एक विशिष्ट दृष्टांत, जैसा कि निम्नलिखित केस स्टडी में चर्चा की गई है, से भी लाइन विभागों के बीच समन्वय की कमी का संकेत मिलता है।

[3] उपाध्यक्ष, एम डी डी ए, (नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी) अध्यक्ष के रूप में, जिला अधिकारी, देहरादून, डी एफ ओ, देहरादून, एस एस पी देहरादून, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, सी एम ओ देहरादून, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून, अधीक्षण अभियंता, पी डब्ल्यू डी, महाप्रबंधक उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता, निदेशालय, शहरी विकास विभाग (सदस्य)।

केस स्टडी-1: पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार

पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार परियोजना का उद्देश्य ₹ 13.10 करोड़ की लागत से घंटाघर से दर्शनी गेट तक 1.2 किलोमीटर के हिस्से को विकसित करना था। डी एस सी एल ने 1.2 किलोमीटर के हिस्से में कार्य के निष्पादन के लिए कई कार्यदायी संस्थाओं (आई ए) को सम्मलित किया, जैसा कि नीचे **तालिका-5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-5.1: विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं का विवरण

कार्य का नाम	खण्ड-अ (घण्टाघर से कोतवाली)		खण्ड-ब (कोतवाली से दर्शनी गेट)	
	कार्यों का विवरण	आई ए	कार्यों का विवरण	आई ए
सड़क कार्य	इंटरलाकिंग सड़क	डी एस सी एल	ब्लैक टॉप सड़क	पी डबल्यू डी
जल निकासी कार्य	नाली का निर्माण	डी एस सी एल	नालियों का नवीनीकरण	डी एस सी एल
मल्टी यूटिलिटी डक्ट	एम यू डी बिछाना	डी एस सी एल	➢ एच डी पी ई कंड्यूट कार्य ➢ संचार लाइन	यू पी सी एल डी एस सी एल
फुटपाथ कार्य	फुटपाथ निर्माण	पी डबल्यू डी	फुटपाथ निर्माण	डी एस सी एल
विद्युत कार्य	➢ बिजली के तारों को एम यू डी में शिफ्ट करना, आर एम यू / फीडर पिल्लर स्थापित करना, उपभोगताओं को कनेक्सन ➢ पोल स्थापित करना	यू पी सी एल डी एस सी एल	➢ बिजली के तारों को एच डी पी ई कंड्यूट में शिफ्ट करना, आर एम यू/ फीडर पिल्लर स्थापित करना, उपभोगक्ताओं को कनेक्सन ➢ पोल स्थापित करना ➢ बिजली की तारों के लिए चैंबर कार्य	यू पी सी एल डी एस सी एल पी डबल्यू डी
जलापूर्ति कार्य	उत्तराखण्ड जल सस्थान			
सीवरेज कार्य	ब्रिज एंड रूफ़ (इंडिया) लिमिटेड			
उन स्थानों पर जल निकासी का शेष कार्य जहां यू पी सी एल के बिजली के खंभे नहीं हटाए गए हैं - पी डब्ल्यू डी				

लेखापरीक्षा जाँच में लाइन विभागों एवं डी एस सी एल के मध्य समन्वय के अभाव के कई प्रकरण संज्ञान में आए। इनमें भूमिगत विद्युत केबलों से पहले फुटपाथ टाइलें लगाना, जिसके कारण केबल बिछाने के लिए उन्हें हटाना पड़ा; कार्य पूर्ण होने तक नाली निर्माण में बाधा डालने वाले बिजली के खंभों को हटाने में बिजली विभाग की विफलता; कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन (सी एस एस) की स्थापना के लिए कार्यस्थल को अंतिम रूप देने में लगभग दो वर्ष का विलम्ब; सी एस एस एवं राईजिंग मेन यूनिट की स्थापना के लिए राइट-ऑफ-वे पर विवाद; एवं कुछ विद्युत और सीवर चैंबर का सड़क के स्तर से ऊपर निर्माण, जिससे पैदल चलने वालों के लिए जोखिम पैदा होना, शामिल है। यू पी सी एल को एम यू डी के अन्दर केबल बिछाने के काम में भी खामियों का सामना करना पड़ा। विलम्ब और जिम्मेदारियों को लेकर हुये विवादों के कारण ये मुद्दे और

जटिल हो गये, जिसके परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्थाओं एवं लाइन विभागों के मध्य समन्वय की कमी के कारण परियोजना में काफी विलम्ब हुआ एवं जनता को असुविधा हुई।

5.2 विशेष प्रयोजन साधन की भूमिका

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 10.1 के प्रावधान के अनुसार, शहरी स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के लिए, एक एस पी वी[4] की स्थापना की जानी थी। एस पी वी की भूमिका स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं का नियोजन, मूल्यांकन, अनुमोदन, निधि जारी करना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन करना था। डी एस सी एल की स्वीकृत जनशक्ति संरचना के अनुसार, केवल शीर्ष तीन पद अर्थात सी ई ओ, ए सी ई ओ एवं वित्त अधिकारी/ वित्त नियंत्रक (एफ सी) क्रमशः आई ए एस कैडर, आई ए एस/ वरिष्ठ पी सी एस कैडर एवं राज्य वित्त सेवा (एस एफ एस) कैडर से भरे जाने थे। शेष पदों को संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना था। इस संबंध में, निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

5.2.1 पूर्णकालिक सी ई ओ की नियुक्ति न होना

एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 10.1 के साथ सपठित अनुलग्नक 5 (बिंदु 3.3) के अनुसार, एस पी वी का नेतृत्व तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पूर्णकालिक सी ई ओ द्वारा किया जाना था। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (अक्टूबर 2018) परामर्शी में उल्लिखित है कि पूर्णकालिक सी ई ओ रखने वाले संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है और बोर्ड की लगातार बैठकों और सामान्य रूप से परियोजना कार्यान्वयन के मामले में तीव्र गति से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत, अंशकालिक सी ई ओ अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों के कारण पूर्ण ध्यान देने की स्थिति में नहीं हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी एस सी एल की स्थापना के बाद से ही डी एस सी एल के सी ई ओ का प्रभार जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा

[4] पूर्णकालिक सी ई ओ की अध्यक्षता में एस पी वी और इसके बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं यू एल बी के नामित सदस्य होंगे।

गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि लगभग छः वर्षों की अवधि के दौरान, सात जिला मजिस्ट्रेटों ने सी ई ओ का प्रभार संभाला, जैसा कि निम्न **तालिका-5.2** में वर्णित है:

तालिका-5.2: सी ई ओ का प्रभार संभालने वाले अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	अवधि		पदभार की अवधि (माह में)
		से	तक	
1	श्री दिलीप जावलकर, आई ए एस	10.08.2017	25.07.2018	11
2	श्री शैलेश बगौली, आई ए एस	26.07.2018	13.02.2019	07
3	डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आई ए एस	13.02.2019	08.06.2020	15
4	श्री रणवीर सिंह चौहान, आई ए एस	08.06.2020	20.08.2020	2 ½
5	डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आई ए एस	20.08.2020	02.08.2021	12
6	डॉ. आर राजेश कुमार, आई ए एस	02.08.2021	11.07.2022	11
7	श्रीमती सोनिका, आई ए एस	11.07.2022	03.09.2024	26

तालिका से यह स्पष्ट है कि डी एस सी एल की स्थापना के बाद से सी ई ओ की नियुक्ति न तो पूर्णकालिक आधार पर की गई और न ही तीन वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कई कमियाँ थीं जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.3, 3.2.1, 3.3 एवं 3.5*** में इंगित किया गया है। इसी तरह, लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य प्रमुख पदाधिकारियों अर्थात ए सी ई ओ और एफ सी की नियुक्तियाँ भी अल्पकालिक आधार पर थीं जैसा कि निम्न **तालिका-5.3** में वर्णित है:

तालिका-5.3: डी एस सी एल में तैनात अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	अधिकारियों के नाम	अवधि	
			से	तक
1	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आई ए एस	12.12.2017	13.02.2019
		श्री अभिषेक रौतेला, आई ए एस	09.03.2019	22.11.2019
		श्री आशीष भटगई, पी सी एस	26.12.2019	31.07.2020
		श्री गिरीश चंद गुणवन्त, पी सी एस	11.09.2020	16.09.2021
		श्री कृष्ण कुमार मिश्रा, पी सी एस	16.09.2021	01.09.2022
		श्री श्याम सिंह राणा, पी सी एस	01.09.2022	21.11.2023
		श्री तीरथपाल सिंह, पी सी एस	13.12.2023	अभी तक
2	वित्त नियंत्रक	श्री गंगा प्रसाद, एस एफ़ एस	10.08.2017	10.08.2020
		श्री दिनेश चंद लोहानी, एस एफ़ एस	10.08.2020	18.09.2020
		श्री अभिषेक कुमार आनन्द, पी सी एस	19.09.2020	30.06.2022
		डॉ. तंजीम अली, पी सी एस	15.07.2022	अभी तक

तालिका से यह स्पष्ट है कि किसी भी अधिकारी को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया गया था और ए सी ई ओ एवं एफ सी के पदों को उनके संबंधित कैडर के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला गया था। इसके अतिरिक्त, वित्त एवं अधिप्राप्ति जैसे संवेदनशील अनुभागों के अन्य प्रमुख पदों[5] को अनुबंध के आधार पर भरा गया था।

इस प्रकार, दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप एस पी वी की स्थापना का विचार अप्रभावी रहा, क्योंकि एस सी एम को विभिन्न परियोजना प्रबंधन कमियों जैसे नियोजन, समन्वय, विवाद समाधान, निगरानी, उद्धृत किए गए प्रकरणों पर सुधारात्मक कार्यवाही आदि से जूझना पड़ा।

उत्तर में, सरकार ने प्रभावी निर्णय लेने एवं परियोजना निष्पादन के लिए पूर्णकालिक नियुक्तियों के महत्व को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (30 मई 2024)। सरकार ने आगे अवगत कराया कि दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

वास्तविकता यह है कि पूर्णकालिक सी ई ओ की नियुक्ति न करना एस सी एम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था। एस सी एम की शुरुआत के बाद से शीर्ष तीन पदों पर किसी भी अधिकारी की पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। यह एस सी एम परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीरता, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी एस सी एम दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, की कमी को दर्शाता है।

5.3 गुणवत्ता नियंत्रण

पी एम सी एवं डी एस सी एल की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। एस सी एम परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा तृतीय पक्ष संस्थाएँ (टी पी ए) भी नियुक्ति की गई थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अधोमानक कार्यों के दृष्टांत सामने आए, जिन्हें टी पी ए, मीडिया रिपोर्टों, नागरिक शिकायतों, उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन

[5] ए जी एम (वित्त), ए जी एम (अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन), आदि।

सहित कई चैनलों के माध्यम से उजागर किया गया, जैसा कि निम्न ***केस स्टडी-2*** एवं ***प्रस्तर 5.3.1*** में चर्चा की गई है:

केस स्टडी - 2: पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार

"पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार" परियोजना, जिसकी लागत ₹ 13.10 करोड़ थी, का उद्देश्य घंटाघर से दर्शनी गेट तक 1.2 किमी के हिस्से का सुधार करना था। इसमें, 476 मीटर मार्ग को पैदल यात्रियों के लिए बाधा मुक्त, सुरक्षित, आरामदायक एवं निरंतर चलने वाला क्षेत्र बनाने हेतु पैदल-यात्री मार्ग के रूप में विकसित किया जाना था। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को अधोमानक माना गया, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों एवं निवासियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में उजागर किया गया था। विशेष रूप से, कई स्थानों पर खराब और टूटी हुई टाइलों के मामले पाए गए।

घटिया तरीके से किए जा रहे स्मार्ट सिटी के काम

माई सिटी रिपोर्टर

डीएम से मिल व्यापारियों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर उठाए सवाल

देहरादून। दून वैली महानगर उद्योग-व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठाए है। व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में जो कार्य किए जा रहे हैं, वह घटिया तरीके से किए जा रहे हैं। महज खानापूर्ति के तहत कार्य किया जा रहा है। इससे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि पलटन बाजार में पहले से ही चार से पांच फुट के नाले बने हुए हैं। इसके बाद भी उनके आगे एक फुट की नाली बनाई जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी वजह से पानी दुकानों में घुस रहा है। कोतवाली से आगे कई दिनों से खोदाई की गई है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि पलटन बाजार में टाइल्स लगाने से सड़क का लेवल ऊपर हो गया है। साथ ही जगह-जगह टाइलें टूटी हुई हैं। आश्वासन के बाद भी अभी तक छज्जों का निर्माण भी नहीं हो पाया है। कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा कार्य केवल जनता के पैसों की बर्बादी है। लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए और इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। कहा कि अगर मांगें नहीं सुनी गई तो व्यापारी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान, अशोक वर्मा, विजय बग्गा, सुशील अग्रवाल, पंकज दीदान, शेखर फुलारा, हरीश विरमानी मौजूद थे।

डिस्पेंसरी रोड पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का विरोध

देहरादून। स्मार्ट सिटी विभाग की ओर से डिस्पेंसरी रोड पर गड्ढे बनाकर उनमें सरिए का बीम बनाकर छोड़ दिया है। इसके बाद यहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही डिस्पेंसरी रोड पर जाम की स्थिति रहती है। अब खंभे लगाने से और अधिक जाम लगेगा। व्यापार मंडल के संरक्षक सुशील अग्रवाल ने कहा कि खंभों के लगने के बाद यहां अतिक्रमण भी बढ़ेगा। कहा कि कार्यों के करने से पहले स्मार्ट सिटी की ओर से व्यापारियों की कोई राय नहीं ली जा रही है। केवल अनावश्यक कार्य कर जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। मा.सि.रि.

डी एस सी एल ने कई पत्रों के माध्यम से ठेकेदार को गुणवत्ता संबंधी समस्याओं जैसे कि पेवर ब्लॉक टाइलों में क्षति और गड्ढे तथा मैनहोल चैम्बर का सड़क की सतह के साथ संरेखित न होना आदि से अवगत कराया, तथा आवश्यक सुधार करने का आग्रह किया। ठेकेदार ने बताया (फरवरी 2023) कि हाइड्रोलिक बोलार्ड के बिना, वाहनों की आवाजाही पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित नहीं थी, जिससे टाइलों का क्षरण एवं टूटना हुआ। यह प्रकरण डी एस सी एल के संज्ञान में भी था। इसके अतिरिक्त, पलटन बाजार, देहरादून के व्यापारियों ने काम की निम्न गुणवत्ता के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई (सितंबर 2022) थी। जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के निर्देशानुसार एक संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई जांच (अगस्त 2023) में परियोजना के क्रियान्वयन में विभिन्न

कमियां पाई गई। लेखापरीक्षा द्वारा डी एस सी एल के प्रतिनिधियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण (23 दिसंबर 2023) के दौरान, भी वही दृश्य कमियां जैसे असमतल सतह, गड्ढे, टूटी हुई टाइलें, सड़क स्तर से ऊपर मैनहोल चैंबर और मैनहोल चैम्बरों के टूटे हुए किनारे आदि देखे, जिन्हें संयुक्त जाँच समिति द्वारा पहले उजागर किया गया था।

शासन ने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया, यद्यपि, प्रबंधन ने अवगत कराया (जनवरी 2024) कि पी एम सी ने ठेकेदार के देयकों से ₹ 15.45 लाख की कटौती की सिफारिश की थी (अक्टूबर 2023), जिसे ठेकेदार की रोकी गई राशि से वसूल किया जाएगा।

5.3.1 स्मार्ट रोड

परियोजना के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण के निम्नलिखित प्रकरण पाये गए:

i) टी पी ए[6] द्वारा 'स्मार्ट रोड परियोजना' के क्रियान्वयन में कुछ अनियमितताओं को इंगित किया गया था। बी एवं आर द्वारा इन कमियों को दूर करने में विफल रहने पर, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने ठेकेदार द्वारा किए गए अधोमानक कार्य के कारण बी एवं आर से ₹ 55.59 लाख की वसूली का निर्देश (जून 2022) दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी एस सी एल ने उक्त धनराशि की न तो वसूली की और न ही बी एवं आर से समायोजन के लिए तैयार किए गए (मई 2023) संयुक्त माप के विवरण में शामिल किया।

ii) डी एस सी एल ने बी एवं आर द्वारा किए गए दोषपूर्ण सीवर कार्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया (नवंबर 2023), क्योंकि बी एवं आर ने मैनहोल को ठीक से पुनर्स्थापित किए बिना पाइपों को बदल दिया था। इसके परिणामस्वरूप घरेलू कनेक्शन चोक हो गए एवं सीवर चैंबर से ओवरफ्लो हो गया तथा डी एस सी एल को यू जे एस के माध्यम से इस प्रकरण का समाधान करने के लिए ₹ 53.50 लाख की लागत का अतिरिक्त कार्य कराना पड़ा। इसलिए, उपरोक्त व्यय की क्षतिपूर्ति

[6] मै. क्वालिटी ऑस्ट्रिया सेंट्रल एशिया (प्राइवेट) लिमिटेड।

के लिए संयुक्त माप के विवरण में ₹ 53.50 लाख की कटौती शामिल की गई थी। हालाँकि, बी एवं आर उपरोक्त कटौती से सहमत नहीं था। फलस्वरूप, डी एस सी एल ने बी एवं आर को एक पत्र प्रेषित किया (नवंबर 2023) जिसमें यू जे एस द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया गया था।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान शासन ने अवगत कराया कि इस प्रकरण को समझौता ज्ञापन के अंतिम निपटारे के दौरान बी एवं आर के साथ सुलझाया जाएगा।

वास्तविकता यह है कि जून 2024 तक बी एवं आर से वसूली के लिए ₹ 1.09 करोड़ की राशि लंबित थी।

5.4 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ संगठनों के भीतर महत्वपूर्ण ढाँचे हैं, जिन्हें परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने एवं कानूनों, विनियमों एवं नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। जब ये प्रणालियाँ कमज़ोर होती हैं या अपर्याप्त रूप से लागू की जाती हैं, तो वे संगठन को महत्वपूर्ण जोखिमों में डालती हैं। लेखापरीक्षा ने डी एस सी एल के भीतर कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण के निम्नलिखित प्रकरणों पर प्रकाश डाला, जो अभिशासन, निगरानी एवं परिचालन प्रथाओं में प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है:

- **अनियमित भुगतान**: उचित प्राधिकार या स्थापित वित्तीय प्रोटोकॉल का पालन किए बिना किए गए भुगतान, कठोर जाँच एवं नियंत्रण में कमी को दर्शाते हैं, जिससे निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है, जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.1 एवं 3.1.2.6 (द)*** में चर्चा की गई है।

- **अयोग्य आई टी विशेषज्ञों की तैनाती:** अपेक्षित योग्यताएं पूरी न करने वाले कार्मिकों को नियुक्त करने से आई टी सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता से समझौता होता है, जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.2*** में चर्चा की गई है।

- **असत्यापित भुगतान**: असत्यापित लेन-देन के प्रकरण सत्यापन प्रक्रियाओं में अभाव एवं कठोर निगरानी तंत्र की कमी को इंगित करते हैं, जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.3*** में चर्चा की गई है।

- **अमान्य भुगतान**: अयोग्य व्ययों या अनधिकृत दावों के लिए किए गए भुगतान संगठनात्मक नीतियों और दिशानिर्देशों के साथ खराब अनुपालन को दर्शाते हैं, जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.4*** में चर्चा की गई है।

- **सहायक दस्तावेजों के बिना प्रतिपूर्ति**: उचित बीजक या दस्तावेज के बिना प्रतिपूर्ति को मंजूरी देना अपर्याप्त समीक्षा प्रक्रियाओं को इंगित करता है एवं वित्तीय अनियमितताओं का द्वार खोलता है जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.5 एवं 3.1.2.6 (स)*** में चर्चा की गई है।

- **पी एम सी को अनुचित लाभ**: पी एम सी को अनुचित लाभ प्रदान करना संभावित हितों के टकराव, अनुबंधों के कुप्रबंधन या अनुबंध संबंधी निरीक्षण की कमी का संकेत देता है, जैसा कि ***प्रस्तर 3.1.2.6 (अ) एवं 3.1.3*** में चर्चा की गई है।

- **अलाभकारी/ निरर्थक व्यय**: संसाधनों का अकुशल उपयोग या अनुत्पादक गतिविधियों पर व्यय उचित योजना, निगरानी और लागत नियंत्रण उपायों की कमी को दर्शाता है जैसा कि ***प्रस्तर 2.4.1.6, 2.4.5.2 एवं 2.4.7.2 एवं 3.1.2.6 (ब)*** में चर्चा की गई है।

- **विलम्ब के लिए अर्थदण्ड लगाने में विफलता**: परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड न लगाने से जवाबदेही कम होती है, गैर-निष्पादन को बढ़ावा मिलता है, और ऐसी परियोजनाओं से अपेक्षित महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभ में विलम्ब

हो सकता है। परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के लिए दण्ड न लगाने के प्रकरणों पर ***प्रस्तर 3.3*** में चर्चा की गई है।

- **प्रमुख पदों पर अनुबंध पर मानव-शक्ति की तैनाती**: प्रमुख पदों पर अनुबंधित या प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को रखने से अकुशलता या हितों का टकराव हो सकता है, विशेषतः यदि इन व्यक्तियों में संगठन के प्रति प्राधिकार, विशेषज्ञता या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी हो। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर ***प्रस्तर 5.2.1*** में चर्चा की गई है।

ये निष्कर्ष डी एस सी एल में कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उजागर करते हैं, तथा इसके प्रशासन एवं परिचालन ढाँचे में व्यापक बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

5.5 अभिलेख प्रस्तुत न करना

अभिलेखों का प्रभावी ढंग से रख-रखाव संगठनात्मक दक्षता, उत्तरदायित्व एवं अनुपालन में योगदान देता है। अभिलेख प्रस्तुत न करने से सी ए जी के संवैधानिक अधिदेश का प्रयोग अत्याधिक सीमित हो जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही में कमी आ सकती है। लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद, डी एस सी एल, एस सी पी बनाने से संबंधित बुनियादी अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा। फलस्वरूप, लेखापरीक्षा नगर-वासियों एवं अन्य हितधारकों के साथ किए गए परामर्श, परियोजना चयन मानदण्ड एवं एस सी पी के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रस्ताव जैसी गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच करने में असमर्थ रहा।

समापन गोष्ठी (21 जून 2024) के दौरान, शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि डी एस सी एल, एम डी डी ए, नगर निगम या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अभिलेख प्राप्त करने के बाद लेखापरीक्षा को प्रदान करेगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को अब तक (अक्टूबर 2024) इसकी स्थिति के संबंध में भी सूचित नहीं किया गया था।

5.6 अनुशंसाएँ

1. *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी एस सी एल के अधिप्राप्ति एवं वित्त जैसे संवेदनशील सम्भागों में प्रमुख पदों को संविदा कार्मिकों के बजाय प्रतिनियुक्ति के आधार पर सरकारी कर्मचारियों से भरा जाए।*
2. *राज्य सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अधोमानक गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।*
3. *राज्य सरकार को विधियों, विनियमों एवं नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।*

देहरादून **(संजीव कुमार)**

दिनांक: 07 नवम्बर 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 12 नवम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर-1.7 & 2.1; पृष्ठ 05 & 11)

31 मार्च 2023 तक परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परिकल्पित उद्देश्य	क्षेत्र	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्था का नाम	अनुबंध/एम ओ यू की तिथि	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	मार्च 2023 तक का व्यय (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की स्थिति/ तिथि
1	दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर	एक सहयोगात्मक ढाँचा, जहां परिवहन, पुलिस, मौसम विज्ञान, यातायात आदि जैसे विभिन्न क्रियात्मक विभागों से प्राप्त इनपुट को एक ही मंच पर समाहित और विश्लेषित किया जा सके, को स्थापित करना।	पैन सिटी	08.03.2019	307.83	डी एस सी एल	22.07.2019	21.05.2020	15.03.2022	302.68	नहीं
2	इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग	नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों को केंद्रीकृत करना।	ए बी डी क्षेत्र	16.07.2019	204.46	सी पी डब्ल्यू डी	01.10.2019	01.11.2021	प्रगति पर	18.85	नहीं
3	स्मार्ट रोड	स्मार्ट रोड की परिकल्पना उपयुक्त सड़क अवसंरचना और सहायक आई टी घटकों के संयोजन के रूप में की गई थी, जो वाहन उपयोगकर्ताओं, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को आराम से चलने में सहायता करेगी।	ए बी डी क्षेत्र	08.03.2019	190.54	बी एंड आर एवं पी डब्ल्यू डी	12.07.2019	01.07.2021	प्रगति पर	119.29	नहीं
4	सिटी इनवेस्टमेंट टु इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सिटीस)	परियोजना में स्कूलों के आसपास विशिष्ट क्रियाकलापों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है।	पैन सिटी	18.06.2022	58.50	पी डब्ल्यू डी	नवम्बर 2022	अगस्त 2023	प्रगति पर	1.16	नहीं
5	इलैक्ट्रिक बस	प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए एक नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करना तथा परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के उपयोग के समग्र कार्यक्रम को बढ़ावा देना।	पैन सिटी	24.06.2019	41.56	डी एस सी एल	04.03.2020	03.09.2020	04.12.2022	41.57	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परिकल्पित उद्देश्य	क्षेत्र	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्था का नाम	अनुबंध/एम ओ यू की तिथि	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	मार्च 2023 तक का व्यय (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की स्थिति/ तिथि
6	वॉटर सप्लाई अगमेंटेसन एवं स्मार्ट मीटर्स	जल का दुरुपयोग रोकने के लिए ए बी डी क्षेत्र के जोन-4बी में जलापूर्ति पाइपलाइनों को बदलना एवं पुनर्गठित करना तथा स्मार्ट मीटर लगाना।	ए बी डी क्षेत्र	16.07.2019	32.59	डी एस सी एल	16.12.2019	16.12.2020	प्रगति पर	24.25	नहीं
7	इंटीग्रेटेड सीवेरेज वर्क	मुख्य सीवर नेटवर्क, जो अपनी डिजाइन अवधि से अधिक की अवधि पूर्ण चुका है को प्रतिस्थापित करना, जिसमें आउटफॉल प्वाइंट तक की कनेक्टिविटी भी शामिल है।	ए बी डी क्षेत्र	26.09.2019	28.41	बी एंड आर एवं यू जे एन	10.12.2019	01.12.2020	प्रगति पर	9.14	नहीं
8	स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट (स्काडा)	जल हानि, भंडारण जलाशयों से जल का अनियमित वितरण और अकुशल विद्युत मोटर, पम्पिंग मशीनरी और अन्य उपकरणों से संबंधित समस्या का समाधान करना।	पैन सिटी	16.07.2019	53.40	डी एस सी एल	18.09.2020	17.09.2021	31.03.2023	19.13	नहीं
9	स्मार्ट वेस्ट वेहिकल	डोर टु डोर कचरा एकत्र करने के लिए स्मार्ट अपशिष्ट वाहन और स्मार्ट बीन की खरीद।	पैन सिटी	24.06.2019	21.28	एन एन डी एवं यू जे एस	-	-		12.82	हाँ मई 2023
10	परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार	खंडित स्थानों को पैदल यात्री और गतिशील परिवर्तनकारी क्षेत्र में बदलना।	ए बी डी क्षेत्र	16.07.2019	20.87	डी एस सी एल एवं पी डब्ल्यू डी	30.10.2019	30.10.2020	07.02.2023	9.73	नहीं
11	इंटीग्रेटेड ड्रैनेज वर्क	व्यवस्थित और एकीकृत जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा ए बी डी क्षेत्र को बाढ़ से बचना	ए बी डी क्षेत्र	26.09.2019	16.27	बी एंड आर एवं सिंचाई विभाग	10.12.2019	01.12.2020	प्रगति पर	8.82	नहीं
12	पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार	क्लॉक टावर (घंटाघर) से दर्शनी गेट तक 1.2 किमी लंबे मार्ग के हिस्से का सुधार करना। इसमें, 476 मीटर मार्ग को पैदल-यात्री मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गयी थी, जिसमें दोनों तरफ 2.5-मीटर पैदल यात्री एवं गोल्फ कार्ट व	ए बी डी क्षेत्र	16.07.2019	13.10	डी एस सी एल	10.12.2019	10.12.2020	10.12.2022	7.09	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परिकल्पित उद्देश्य	क्षेत्र	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्था का नाम	अनुबंध/एम ओ यू की तिथि	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	मार्च 2023 तक का व्यय (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की स्थिति/ तिथि
		सीमित समय के लिए वाहनों की आवाजाही हेतु पाँच मीटर केंद्रीय मार्ग बनाया जाना था। पाँच मीटर केंद्रीय कैरिजवे को इंटरलॉक पेवर ब्लॉक से वाहनों की प्रतिबंधित आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोनों तरफ औसतन 2.5 मीटर की चौड़ाई का फुटपाथ सड़क की सतह के समांतर बनाना था।									
13	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	विविध तकनीकों अर्थात ई-कंटेन्ट और इंटरैक्टिव तकनीकों आदि के माध्यम से छात्रों/उपयोगकर्ताओं के सीखने के परिणामों को समृद्ध करना।	ए बी डी क्षेत्र	01.10.2019	12.33	यू पी एन	20.09.2019	15.03.2021	31.01.2023	5.75	हाँ जनवरी 2023
14	स्मार्ट स्कूल	स्कूलों को वर्चुअल क्लासेस/लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल कंटेंट/ई-लाइब्रेरी आदि जैसी स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना।	ए बी डी क्षेत्र	08.03.2019	6.05	डी एस सी एल	30.05.2019	29.02.2020	01.11.2020	5.91	नहीं
15	पलटन बाज़ार के अग्रभाग का जीर्णोद्धार	स्थानीय डिजाइन के आधार पर भवन के अग्रभाग को नियमित करके तथा उचित साइनेज प्रणाली द्वारा सममित रूप प्रदान करना।	ए बी डी क्षेत्र	15.06.2022	4.79	डी एस सी एल	14.11.2022	13.05.2023	प्रगति पर	1.35	नहीं
16	वॉटर ए टी एम	सभी को हर समय पर्याप्त मात्रा में और न्यूनतम दूरी के भीतर सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना तथा ए बी डी क्षेत्र में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।	पैन सिटी	19.11.2018	1.98	डी एस सी एल	20.02.2019	19.08.2019	23.09.2021	--	नहीं
17	स्मार्ट शौचालय	देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता एवं सफाई की आवश्यकता को पूरा करना।	पैन सिटी	19.11.2018	1.73	डी एस सी एल	07.03.2019	06.09.2019	03.09.2022	1.74	नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परिकल्पित उद्देश्य	क्षेत्र	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्था का नाम	अनुबंध/एम ओ यू की तिथि	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	मार्च 2023 तक का व्यय (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण की स्थिति/ तिथि
18	क्रेच बिल्डिंग	माता-पिता के व्यस्त रहने की स्थिति में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, खेल और सुरक्षा के अधिकारों पर ध्यान देना तथा माताओं में अपने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में विश्वास पैदा करना।	ए बी डी क्षेत्र	16.07.2019	0.90	पी डब्ल्यू डी	22.07.2021	23.04.2022	04.01.2023	0.88	हाँ जनवरी 2023
19	डिजिटाईजेसन ऑफ कलेक्ट्रेट एवं सी डी ओ ऑफिस	कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं स्कैनर की खरीद करना।	ए बी डी क्षेत्र	08.09.2020	0.61	कलेक्ट्रेट	21.09.2020	21.10.2020	26.10.2020	0.56	हाँ
20	स्मारक ध्वज	नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना।	ए बी डी क्षेत्र	13.07.2020	0.10	डी एस सी एल	19.05.2020	19.08.2020	19.12.2020	0.09	नहीं
21	पी पी पी[1] मोड पर स्मार्ट पोल	स्मार्ट पोल के माध्यम से शहर में कई सेवाएँ जैसे वाई-फाई, वार्म एल ई डी ल्यूमिनरीज, सी सी टी वी कैमरा, दूरसंचार सेवाएँ एवं पर्यावरण निगरानी सेंसर प्रदान करना।	पैन सिटी	19.08.2019	लागू नहीं	पी पी पी	14.01.2020	13.01.2021	प्रगति पर	लागू नहीं	नहीं
22	सिटिज़न इंगेजमेंट/आउटरीच प्रोजेक्ट	वर्चुअल संपर्क, संवाद और चर्चा के माध्यम से देहरादून में नागरिक सहभागिता प्रदान करना	ए बी डी क्षेत्र	13.07.2020	1.00	डी एस सी एल	-	-	-	0.58	-

[1] इस परियोजना को पी पी पी परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई थी; इसलिए इसके लिए कोई लागत स्वीकृत नहीं की गई।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3, 2.4.2, 2.4.5.1, 2.4.6, 2.4.8 & 2.4.9; पृष्ठ 14, 25, 31, 33, 37 & 39)

स्मार्ट घटकों का परियोजनावार विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटक	दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
1	दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर	ट्रैफ़िक लाइट्स	स्थापित	एंड डिवाइसिस की परिचालन उपलब्धता (निगरानी कैमरों को छोड़कर) 28 से 73 *प्रतिशत* तक थी
		सर्विलांस कैमरे	स्थापित	
		रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन	स्थापित	
		ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर	स्थापित	
		स्मार्ट ट्रैफ़िक सेंसर (ए एंड बी)	स्थापित	
		स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (एस वी डी)	स्थापित	
		वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड	स्थापित	
		इमर्जेंसी कॉल बॉक्स (ई सी बी)	स्थापित	
		पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम	स्थापित	
		पर्यावरणीय सेंसर	स्थापित	
2	इलैक्ट्रिक बस	परिवहन के लिए पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग	सक्षम	क्रियाशील
3	परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	कार्यान्वित	क्रियाशील
4	स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट (स्काडा)	फ्लो मीटर	स्थापित	क्रियाशील
		प्रैशर ट्रांसमीटर्स	स्थापित	क्रियाशील
		औटोमेटेड क्लोरीनेटर	स्थापित	क्रियाशील
		वाल्व एक्चुएटर्स	स्थापित	क्रियाशील
		क्वालिटी मॉनिटर	स्थापित	क्रियाशील
		लेवेल सेंसर	स्थापित	क्रियाशील
5	वॉटर ए टी एम	क्वायेन ओपेरेटेड वॉटर डिस्पेंसिंग सिस्टम	कार्यान्वित	क्रियाशील
6	स्मार्ट वेस्ट वेहिकल	सीवर कम जेटिंग मशीन	कार्यान्वित	क्रियाशील
		जेटिंग गार्बिंग और रॉडिंग मशीन	कार्यान्वित	क्रियाशील
		सुपर सक्कर मशीन विद डंप टैंक	कार्यान्वित	क्रियाशील
		ड्रेन क्लीनिंग मशीन	कार्यान्वित	क्रियाशील
		रोड स्वीपिंग मशीन	कार्यान्वित	क्रियाशील

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटक	दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
		ई-कार्ट्स	कार्यान्वित	अक्रियाशील
7	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	ई-कन्टेन्ट	स्थापित नहीं	
		इंटेलिजेन्स डोर	स्थापित नहीं	
		वाई-फाई	स्थापित	क्रियाशील
		सी सी टी वी	स्थापित	क्रियाशील
		आर एफ आई डी टेग्स/सिस्टम	स्थापित	आंशिक क्रियाशील
		एन्टी-थैफ्ट चेक	स्थापित	क्रियाशील
		कम्प्यूटर	स्थापित	क्रियाशील
		स्मार्ट स्क्रीन	स्थापित	क्रियाशील
		बायो-मेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली	स्थापित	लाइसेंस-की के अभाव में अक्रियाशील
8	स्मार्ट शौचालय	सेंसर आधारित टैप	कार्यान्वित	आंशिक क्रियाशील
		ऑटो फ्लश यूरिनल्स सिस्टम	कार्यान्वित	आंशिक क्रियाशील
		एल ई डी इंडिकेसन्स	निष्पादित नहीं किया	
		वॉइस गाईडेन्स	निष्पादित नहीं किया	
		डिस्प्ले बोर्ड्स	निष्पादित नहीं किया	
		जी पी आर एस कनेक्टिवीटी	निष्पादित नहीं किया	
		एलेक्ट्रिकल इन्वर्टर	निष्पादित नहीं किया	
		रूफ टॉप सोलर	निष्पादित नहीं किया	
9	वॉटर सप्लाई अगमेंटेसन एवं स्मार्ट मीटर्स	राइजिंग मेन्स और डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का प्रतिस्थापन और नलकूप की स्थापना	कार्यान्वित	
		स्मार्ट मीटर की स्थापना	आंशिक रूप से स्थापित	कार्य प्रगति पर
10	स्मार्ट पोल	वाई-फाई	स्थापित नहीं	
		वार्म एल ई डी स्ट्रीट लाईट	स्थापित नहीं	
		आइ पी बेस्ड पी टी जेड कैमरा (सी सी टी वी)	स्थापित नहीं	
		पर्यावरण निगरानी सेंसर	स्थापित नहीं	
		डिजिटल बिलबोर्ड	स्थापित नहीं	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटक	दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
		दूरसंचार सेवायें	आंशिक	
11	स्मार्ट स्कूल	इंटरैक्टिव बोर्ड्स	स्थापित	निधि एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण अक्रियाशील
		कम्प्यूटर लैब	स्थापित	
		प्रोजेक्टर्स	स्थापित	
		ई-कन्टेन्ट	स्थापित	
		सी सी टी वी	स्थापित	
		बायो-मेट्रिक्स उपस्थिति	स्थापित	
12	स्मार्ट रोड	यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ कैरिजवे	अपर्याप्त रूप से निष्पादित	
		डेडिकेटेड पैदल यात्री मार्ग	अपर्याप्त रूप से निष्पादित	
		इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	निष्पादित नहीं किया	
		पेड़ेस्ट्राइन क्रॉसिंग इन टेबल टॉप टाइप क्रॉसिंग	निष्पादित नहीं किया	
		सेंसर के साथ स्मार्ट एल ई डी लाइटिंग	निष्पादित नहीं किया	
		सेंसर के साथ नामित पार्किंग स्थल	निष्पादित नहीं किया	
		स्मार्ट बस स्टॉप	पूर्ण	
		मल्टी यूटिलिटी डक्ट/डक्ट बैंक	पूर्ण	
13	सिटी इनवेस्टमेंट टु इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सिटीस)	सी सी टी वी कैमरा	प्रगति में	कार्य प्रगति पर
		सीमांकित स्कूल बस/वैन पार्किंग		
		बोलार्ड		
		स्पीड कामिंग मेजर्स		
		पाथवे एवं पेवमेंट		
14	पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार	मल्टी यूटिलिटी डक्ट	निष्पादित	
		दोनों तरफ 2.5 मीटर पैदल यात्री पथ एवं गोल्फ कार्ट के लिए 5 मीटर का सेंट्रल स्पाइन तथा सीमित समय के लिए वाहनों की आवाजाही	प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वित नहीं	
		रिट्रेकटेबल हाइड्रोलिक बोलार्ड	स्थापित नहीं	
		बेंचेज़	स्थापित नहीं	
		ई-कार्ट सहित चार्जिंग स्टेशनों	निष्पादित नहीं किया	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटक	दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
		कियोस्क गार्डन	निष्पादित नहीं किया	
		बागवानी का कार्य	निष्पादित नहीं किया	
		मॉड्यूलर एफ आर पी टॉयलेट	निष्पादित नहीं किया	
		सी सी टी वी कैमरा	स्थापित नहीं	
		स्मार्ट पोल	स्थापित नहीं	
15	इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग	एन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भवन	कार्य प्रगति में	
16	डिजिटाईजेसन ऑफ कलेक्ट्रेट एवं सी डी ओ ऑफिस	कम्प्यूटर	स्थापित	
		प्रिंटर	स्थापित	
		स्कैनर	स्थापित	
17	पलटन बाज़ार के अग्रभाग का जीर्णोद्धार	स्थानीय डिजाइन के आधार पर इमारतों के अग्रभाग और उचित साइनेज सिस्टम का नियमितीकरण	निष्पादित	
18	इंटीग्रेटेड ड्रैनेज वर्क	व्यवस्थित एवं एकीकृत जल निकासी प्रणाली की स्थापना	प्रगति में	
19	इंटीग्रेटेड सीवेरेज वर्क	मुख्य सीवर नेटवर्क का प्रतिस्थापन एवं ए बी डी क्षेत्र के बाहर स्थित आउटफॉल पॉइंट तक कनेक्टिविटी	प्रगति में	
20	सिटिज़न इंगेजमेंट/ आउटरीच प्रोजेक्ट	देहरादून में वर्चुअल इंटरेक्शन, डायलॉग एवं डिस्कशन के माध्यम से नागरिक सहभागिता	किया गया	
21	क्रेच बिल्डिंग	गतिविधि सह दोपहर का भोजन/भोजन का स्थान	बनाया गया	
		खेल क्षेत्र	बनाया गया	
		अध्ययन कक्ष	बनाया गया	
		शयन कक्ष	बनाया गया	
		डे-केयर/क्रेच कार्यालय	बनाया गया	
		रसोई-घर	बनाया गया	
22	स्मारक ध्वज	30.5 मीटर ऊंचे स्मारक राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना	स्थापित	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर-2.4.1; पृष्ठ 16)

डी आई सी सी सी परियोजना पर किया गया कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (12/2023 तक)	कुल धनराशि
1	कैपेक्स (मैसर्स एच पी ई)	62.96	81.30	76.66	0.00	2.20	**223.12**
2	ओपेक्स (मैसर्स एच पी ई)	0.00	0.00	0.00	4.56	10.11	**14.67**
योग		***62.96***	***81.30***	***76.66***	***4.56***	***12.31***	***237.79***
डी आई सी सी सी परियोजना से संबंधित अन्य ब्यय							
3	मैसर्स एच पी ई मानवशक्ति-डी आई सी सी सी	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	**0.34**
4	विद्युत	0.00	0.23	0.36	0.66	0.28	**1.53**
5	टेलीफोन	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	**0.06**
6	बैंडविड्थ (बी एस एन एल)	0.00	0.00	5.62	8.28	2.86	**16.76**
7	तृतीय पक्ष लेखा परीक्षक (मै. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0.00	1.73	0.00	0.23	**1.96**
8	ज़ेबरा क्रॉसिंग	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	**0.02**
योग		***0.00***	***0.24***	***8.06***	***8.98***	***3.39***	***20.67***
महायोग		***62.96***	***81.54***	***84.72***	***13.54***	***15.70***	***258.46***

स्रोत: डी एस सी एल द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर-2.4.1.7; पृष्ठ 23)

स्मार्ट रोड के 16 यातायात जंक्शनों पर आई टी उपकरणों को हटाने एवं पुनः स्थापित करने की अनुमानित लागत

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	स्थान	हटाने की अनुमानित लागत	पुनः स्थापना के लिए अनुमानित लागत
1	सर्वे चौक	97,687	13,85,750
2	नैनि बेकरी	33,375	6,39,625
3	द्वारिका चौक	29,500	6,90,375
4	यमुना कॉलोनी	11,875	4,28,125
5	बहल चौक	0	4,45,125
6	आराघर चौक	33,812	8,41,875
7	ग्लोब चौक	0	3,33,375
8	सी एम आई चौक के निकट	42,125	6,70,187
9	रेस कोर्स चौक	20,000	2,10,500
10	सिटी हार्ट सेंटर, ई सी रोड	40,250	3,01,000
11	दिलाराम चौक	10,875	1,89,437
12	चकराता रोड टैगोर विला	18,750	66,375
13	मोहिनी रोड कट ई सी रोड	19,000	68,125
14	बिंदाल चौक	0	1,97,375
15	किशन नगर चौक	0	84,375
16	घंटाघर	0	1,20,250
योग		***3,57,249***	***66,71,874***
महायोग			***70,29,123***

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर-2.4.4; पृष्ठ 28)

माह जुलाई 2023 के दौरान ई-बसों में प्रत्येक फेरे में सवारियों की औसत संख्या

(धनराशि ₹ में)

मार्ग का नाम	फेरों की संख्या	किराया	माह के दौरान अर्जित राजस्व	प्रतिदिन अर्जित राजस्व	प्रत्येक फेरे में अर्जित राजस्व	प्रति फेरा सवारियों की संख्या (यात्रियों की संख्या)
ए	बी	सी	डी	ई =डी/31	एफ़ =ई/बी	जी =एफ/सी
आई एस बी टी - एयरपोर्ट	38	200	6,37,325	20,558.87	541.02	2.71 (3)
आई एस बी टी - राजपुर	68	30[2]	8,42,085	27,164.03	399.47	13.32 (13)
आई एस बी टी - सहस्त्रधारा	46	35[3]	6,39,430	20,626.77	448.41	12.81 (13)
आई एस बी टी - रायपुर मालदेवता	49	50[4]	9,27,510	29,919.68	610.61	12.21 (12)
आई एस बी टी - सहसपुर (लंघा रोड)	46	50	9,39,705	30,313.06	658.98	13.18 (13)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर-2.4.5.2; पृष्ठ 32)

स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत उपयोग न की गई सामग्री का विवरण

क्र. सं.	मदें	पी आई यू, पी डब्ल्यू डी को हस्तांतरित		उपभोग की गई मात्रा		शेष मात्रा	
		मात्रा	लागत *(₹ में)*	मात्रा	लागत *(₹ में)*	मात्रा	लागत *(₹ में)*
1	2	3	4	5	6 (4/3*5)	7(3-5)	8(4/3*7)
1	मेनहोल सेक्शन	91	45,09,581	4	198223	87	43,11,358
2	1 एम लोड बियरिंग सेक्शन	111	38,94,818	27	947388	84	29,47,430
3	1.60 एम नॉन लोड बियरिंग सेक्शन	585	2,60,49,545	20	890583	565	2,51,58,962
शेष मदों की कुल लागत							*3,24,17,750*

[2] किराया परिचालन किमी 13 से किमी 17 तक पर आधारित है।

[3] किराया परिचालन किमी 17 से किमी 21 तक पर आधारित है।

[4] किराया परिचालन किमी 30 से किमी 35 तक पर आधारित है।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.2.1; पृष्ठ 65)

स्मार्ट रोड के संरेखण में ओवरहेड अवरोधों का विवरण

क्र. सं.	अवरोध	विभाग का नाम	यूटिलिटी की संख्या			
			राजपुर रोड	चकराता रोड	ई सी रोड	हरिद्वार रोड
1	बिजली के खंभे	यू पी सी एल	84	138	191	63
2	होर्डिंग एवं बस शेल्टर	नगर निगम	30	39	14	0
3	पेड़	वन	44	27	30	15
4	ट्रांसफार्मर	यू पी सी एल	25	16	20	10
योग			***183***	***220***	***255***	***88***

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर-3.3; पृष्ठ 67)

अर्थदण्ड अधिरोपित करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	परियोजना का नाम	दिसंबर 2023 तक समयाधिक्य (माह में)	अर्थदण्ड का प्रावधान	अधिरोपित अर्थदण्ड की स्थिति
1	स्मार्ट रोड	30	हाँ	अर्थदण्ड नहीं लगाया गया क्योंकि डी एस सी एल, बी एंड आर को बाधा मुक्त कार्य-स्थल उपलब्ध कराने में असफल रहा।
2	सिटीस	21	हाँ	अधिरोपित नहीं किया गया
3	इलैक्ट्रिक बस	26	हाँ	अधिरोपित नहीं किया गया
4	वॉटर सप्लाई अगमेंटेसन एवं स्मार्ट मीटर्स	36	हाँ	अधिरोपित नहीं किया गया
5	परेड ग्राउंड का जीर्णोद्धार	38	हाँ	आंशिक रूप से अधिरोपित किया गया[5]
6	मॉडर्न दून लाइब्रेरी	19	हाँ	अधिरोपित किया गया परंतु वसूल नहीं किया गया
7	पेडस्ट्रायाजेसन ऑफ पलटन बाज़ार	24	हाँ	अधिरोपित किया गया परंतु आंशिकरूप से वसूल किया गया
8	वॉटर ए टी एम	24	हाँ	अधिरोपित नहीं किया गया

[5] केवल कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड लगाया गया था; तथापि, अधूरे कार्य के लागत के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था, जैसा कि केस स्टडी-1 में विस्तृत है।

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: प्रस्तर-3.5; पृष्ठ 72)

स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत लागत वृद्धि का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=8 x 7
फुटपाथ व के सी ड्रेन								
1	सादा सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 नाममात्र मिश्रण को नींव में क्रशड किए हुए पत्थर के अग्रेगेड 40 मिमी नाममात्र आकार के साथ यांत्रिक रूप से मिश्रित किया जाना, नींव में रखा जाना एवं 14 दिनों के लिए क्युरिंग सहित कंपन द्वारा सघन किया जाता है।	घन मीटर	41.00	4,109.50	5,036.70	927.20	2,722.67	25,24,459.62
2	बाहरी फर्शों जैसे फुटपाथ, प्रांगण, मल्टी मॉडल स्थानों आदि के लिए सभी रंगों एवं शेडों में 300 x 300 x 9.8 मिमी आकार की स्पर्शनीय टाइल (मानकों के अनुसार दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए) उपलब्ध कराना एवं बिछाना, जिसमें जल अवशोषण 0.5% से कम हो व जो अनुमोदित निर्माण के IS:15622 के अनुरूप हो, तथा जिसे ग्राउटिंग सहित सभी आकारों व पैटर्न में सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) के 20 मिमी मोटे तल पर बिछाया गया हो।	वर्ग मीटर	12,073.00	1,450.45	1,933.75	483.30	4,042.20	19,53,595.26
पेवमेंट कार्य								
3	विनिर्देश के अनुसार गीले मिक्स मैकडैम ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट प्रदान करना, बिछाना, फैलाना एवं संघनित करना, जिसमें ओ एम सी में यांत्रिक मिक्स प्लांट में पानी के साथ सामग्री को पूर्व-मिश्रित करना, मिश्रित सामग्री को टिपर द्वारा साइट पर ले जाना, अच्छी तरह से तैयार सतह पर सब-बेस /बेस कोर्स में पेवर के साथ समान परतों में	घन मीटर	10,522.00	2,593.10	3,203.10	610.00	9,036.90	55,12,509.00

[6] राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, ई सी रोड एवं चकराता रोड।

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
	बिछाना एवं वांछित घनत्व प्राप्त करने के लिए कंपन रोलर के साथ संघनित करना शामिल है।							
4	ग्रेनुलर बेस की तैयार सतह पर बिटुमेन इमल्शन के साथ प्राइमर कोट प्रदान करना एवं लगाना, जिसमें सड़क की सतह को साफ करना एवं यांत्रिक साधनों का उपयोग करके 0.60 किग्रा/वर्ग मीटर की दर से प्राइमर का छिड़काव करना शामिल है।	वर्ग मीटर	1,03,944.00	22.80	32.30	9.50	71,460.85	6,78,878.08
5	100-120 टी पी एच बैच प्रकार एच एम पी के साथ सघन बिटुमिनस मैकडैम प्रदान करना एवं बिछाना, निर्दिष्ट ग्रेडिंग के क्रशड अग्रिगेट्स का उपयोग करके 75 टन प्रति घंटे का औसत उत्पादन करना, मिश्रण और भराव के कुल मिश्रण के वजन के 4.0 से 4.5% की दर से बिटुमिनस बाइंडर के साथ पूर्वमिश्रित, कार्य स्थल पर गर्म मिश्रण का परिवहन, आवश्यक ग्रेड, स्तर और संरेखण के लिए सैंसर नियंत्रण के साथ एक हाइड्रोस्टेटिक पेवर फ़िनिशर के साथ बिछाना, मोर्थ विनिर्देश खंड संख्या 507 के अनुसार सभी मामलों में पूर्ण रूप से वांछित संघनन प्राप्त करने के लिए चिकने पहिएदार, कंपन और तंडेम रोलर्स के साथ रोलिंग करना। ग्रेडिंग I (40 मिमी नोमीनल आकार)	घन मीटर	10,395.00	7,241.20	9,688.50	2,447.30	7,789.55	1,90,63,365.72
6	यांत्रिक झाड़ू से साफ की गई तैयार बिटुमिनस/ ग्रेनलर सतह पर 0.20 किग्रा प्रति वर्गमीटर की दर से इमल्शन प्रेशर वितरक का उपयोग करके बिटुमिनस इमल्शन के साथ टैक कोट प्रदान करना एवं लगाना।	वर्ग मीटर	1,31,576.00	8.00	10.70	2.70	2,41,050.98	6,50,837.65
7	100-120 टी पी एच बैच प्रकार के हॉट मिक्स प्लांट के साथ बिटुमिनस कंक्रीट प्रदान करना और बिछाना, निर्दिष्ट ग्रेडिंग के कुचले हुए समुच्चयों का उपयोग करके 75 टन प्रति घंटे का औसत उत्पादन करना, मिश्रण और भराव के 5.4 से 5.6% की दर से बिटुमिनस बाइंडर के साथ पूर्वमिश्रित, कार्य स्थल पर हॉट मिक्स का परिवहन,	घन मीटर	4,747.00	8,283.40	11,254.90	2,971.50	5,350.08	1,58,97,762.72

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
	आवश्यक ग्रेड, स्तर और संरेखण के लिए सेंसर नियंत्रण के साथ एक हाइड्रोस्टेटिक पेवर फिनिशर के साथ बिछाना, सभी मामलों में पूर्ण रूप से मोर्थ विनिर्देश खंड संख्या 509 के अनुसार वांछित संघनन प्राप्त करने के लिए चिकने पहिएदार, कंपन और तंडेम रोलर्स के साथ रोलिंग करना। ग्रेडिंग-II							
जंक्शन सुधार, सड़क पेंटिंग एवं सड़क संकेत								
8	तालिका 500-29 में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मैस्टिक कुकर का उपयोग करके तैयार किया गया पेविंग ग्रेड बिटुमेन के साथ 25 मिमी मोटी मैस्टिक डामर वियरिंग कोर्स को प्रदान करना एवं बिछाना और सतह को साफ करने के बाद आवश्यक स्तर व ढलान पर बिछाया गया, दोनों दिशाओं में केंद्र से केंद्र तक लगभग 10 सेमी की दूरी पर 13.2 मिमी नाममात्र आकार के बिटुमेन प्रीकोटेड बारीक दाने वाले सख्त पत्थर के टुकड़े के साथ 0.005 घन मीटर प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से एंटीस्किड सतह प्रदान करना और सतह में दबाया शामिल है जब सतह का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, मैस्टिक सतह पर 1 मिमी से 4 मिमी तक फैला हुआ होता है, सभी खंड 515 के अनुसार पूर्ण करना।	वर्ग मीटर	37,109.00	501.30	688.00	186.70	20,850.00	38,92,695.00
9	ट्रस एवं वरटिकल सपोर्ट	टन	20.00	80,163.70	96,819.20	16,655.50	144.00	23,98,392.00
10	मानक धातु डेलीनेटर उपलब्ध कराना एवं लगाना।	संख्या	13,965.00	512.90	1,225.20	712.30	1,200.00	8,54,760.00
विद्युत कार्य								
11	बाहरी प्रकाश फीडर स्तंभ: उपयुक्त आकार (600चौ x1200उ x450ग-सी सी एम एस से कम नहीं) के बाहरी दीवार / फर्श पर लगे क्यूबिकल प्रकार के सी सी एम एस फीडर स्तंभ का डिज़ाइन, निर्माण, आपूर्ति, फिक्सिंग, परीक्षण और कमीशनिंग, जो 2.0 मिमी (14 एस डबल्यू जी) हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड जी आई शीट स्टील से बना	जॉब		1,20,000.00	1,43,016.30	23,016.30	12.00	2,76,195.60

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
	हो, जिसके ऊपर कैनोपी हो, लॉकिंग व्यवस्था के साथ दोहरा दरवाजा (आई पी-54), अनुमोदित शेड के इपॉक्सी पेंट से पाउडर लेपित, 900 लंबे पैरों के साथ एम एस कोण 50 x 6 फ्रेम पर विधिवत फिक्स किया गया हो, जिसमें से 450 सीमेंट कंक्रीट + बी 17 1:2:4 (1 सीमेंट: 2 रेत: 4 पत्थर अग्रेगेट 20 मिमी) में विधिवत ग्राउट किए गए हों और क्यूबिकल पैनल के अंदर निम्नलिखित उपकरण/ सहायक उपकरण लगे हों आई/सी कनेक्शन, एल्यूमीनियम थिम्बल्स के साथ इंटर कनेक्शन, दो नग अर्थ स्टड के साथ अर्थिङ्ग।							
12	निम्नलिखित आकार के डी डब्ल्यू सी एच डी पी ई पाइप की आपूर्ति और बिछाने का कार्य आई एस आई मार्क के साथ सॉकेट, बेंड, कपलर आदि सभी सहायक उपकरणों के साथ, जो आई एस 14930, भाग II के अनुरूप हों, फिटिंग और कटिंग, ज्वाइंटिंग आदि के साथ पूर्ण। जमीन में सीधे (जमीन के स्तर से 75 सेमी नीचे) खुदाई और ट्रेंच को फिर से भरने सहित, लेकिन रेत कुशनिंग और सुरक्षात्मक आवरण आदि को छोड़कर, आवश्यकतानुसार पूरा करना। 63 मिमी व्यास (ओ डी-63 मिमी और आई डी-51 मिमी नाममात्र)।	मीटर	5,750.00	135.00	209.00	74.00	14,251.00	10,54,574.00
जलापूर्ति कार्य								
13	आई एस :8329/2000 के अनुरूप डी आई पाइप. सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराना, साइट स्टोर से कार्य स्थल तक ले जाना, सही संरेखण के साथ ट्रेंचेज़ में उतारना, पूर्ण लंबाई के एस एंड एस सेंट्रीफ्यूगली कास्ट (स्पन) डक्टाइल आयरन पाइप बिछाना और जोड़ना, जिसमें आई एस:5382-1985 के अनुरूप 'ई पी डी एम' रबर गास्केट की आपूर्ति तथा पूर्ण पाइप रेखीय का परीक्षण शामिल है। डी आई पाइप एस एंड एस के-7:							
	100 मिमी व्यास पाइप	मीटर	3,597.00	900.00	1,150.00	250.00	1,827.00	4,56,750.00

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
	150 मिमी व्यास पाइप	मीटर	1,065.00	1,270.00	1,620.00	350.00	969.00	3,39,150.00
	250 मिमी व्यास पाइप	मीटर	307.00	2,170.00	2,630.00	460.00	276.00	1,26,960.00
14	आई एस: 9523-2001 के अनुसार पुश-ऑन ज्वाइंटिंग के लिए उपयुक्त वर्ग के-12 के डी आई स्पेशल प्रदान करना एवं बिछाना, 600 मिमी व्यास तक।	प्रति कुंतल	71.11	14,040.00	22,620.00	8,580.00	170.34	14,61,517.20
15	मल्टीजेट ए एम आर घरेलू वॉटर मीटर की आपूर्ति, फिक्सिंग और स्थापना करना, जो आर एफ आधारित स्वचालित मीटर रीडिंग सुविधा से पूर्व-सुसज्जित हो, नट, बोल्ट और आवश्यक सहायक उपकरण के साथ आई एस 779:1994 / अन्य आई एस ओ 4064 मानक की पुष्टि करता हो, 5 साल की वारंटी के साथ। तकनीकी विनिर्देश के अनुसार डी एन 15 मिमी।	संख्या	828.00	5,800.00	7,200.00	1,400.00	630.00	8,82,000.00
16	मौजूदा घर कनेक्शन को बहाल करने के लिए आवश्यक सभी श्रम, सामग्री की आपूर्ति, जो खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकती है एवं साथ ही सभी मौजूदा कनेक्शन को मौजूदा जलापूर्ति प्रणाली से नई जलापूर्ति प्रणाली में स्थानांतरित करना, इकाई अनुमान के अनुसार और प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा। 15 मिमी आकार के पानी के कनेक्शन।	संख्या	828.00	2,501.95	3,153.20	651.25	630.00	4,10,287.50
ड्रैनेज कार्य								
17	उपलब्ध उत्खनित मिट्टी (चट्टान को छोड़कर) को ट्रेंचेज़, प्लीन्थ, नींव के किनारों आदि में 20 सेमी से अधिक गहराई तक परतों में भरना, प्रत्येक जमा परत को दबाना और पानी देकर मजबूत करना, 50 मीटर तक ले जाना और 1.5 मीटर तक उठाना।	घन मीटर	13,519.00	125.25	219.65	94.40	6,146.40	5,80,220.16
18	यांत्रिक परिवहन द्वारा मिट्टी हटाना, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग एवं 10 किमी दूरी तक एकत्र करना शामिल है।	घन मीटर	25,624.00	203.42	277.83	74.41	12,804.80	9,52,805.17

क्र. सं.	कार्य/मद का विवरण	इकाई	सभी चार सड़कों के लिए पुरानी डी पी आर के अनुसार मात्रा[6]	पुरानी डी पी आर के अनुसार यूनिट दर	नई डी पी आर के अनुसार इकाई दर	दरों में अंतर	सभी चार सड़कों के लिए नई डी पी आ र के अनुसार मात्रा	लागत में वृद्धि
19	ड्राइंग और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार खुली नींव में सादा सीमेंट कंक्रीट (पी सी सी ग्रेड एम 15) पूर्ण करना।	घन मीटर	4,239.00	4,754.00	5,788.30	1,034.30	1,505.01	15,56,631.84
20	अनुमोदित डिजाइन मिश्रण के अनुसार सीमेंट सामग्री का उपयोग करते हुए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए मशीन बैच्ड और मशीन मिश्रित डिजाइन मिश्रण एम-25 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध कराना एवं बिछाना, जिसमें बिछाने के स्थान पर कंक्रीट को पंप करना शामिल है, लेकिन सेंट्रिंग, शटरिंग, फिनिशिंग और सुदृढ़ीकरण की लागत को शामिल नहीं किया गया है, आई एस: 9103 के अनुसार इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देशानुसार कंक्रीट की गति बढ़ाने, उसे धीमा करने, मजबूती और स्थायित्व को प्रभावित किए बिना कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अनुशंसित अनुपात में मिश्रण शामिल है।	घन मीटर	7,360.32	6,515.95	7,997.30	1,481.35	6,193.65	91,74,963.43
21	ड्राइंग एवं तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार नींव सुदृढीकरण में अन-कोटेड एच वाई एस डी बार की आपूर्ति, फिटिंग और स्थापना।	टन	1,918.00	60,763.80	84,702.50	23,938.70	708.86	1,69,69,186.88
	योग							***8,76,68,496.81***
	जी एस टी 18 प्रतिशत							***1,57,80,329.43***
	महायोग							***10,34,48,826.24***

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: प्रस्तर-4.1; पृष्ठ 74)

केंद्रान्श एवं समतुल्य राज्यान्श अवमुक्त करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य को केंद्रान्श अवमुक्त करने की तिथि	केंद्र द्वारा अवमुक्त धनराशि	राज्य द्वारा एस पी वी को केंद्रान्श अवमुक्त करने की तिथि	राज्य द्वारा एस पी वी को अवमुक्त केंद्रान्श	केंद्रान्श अवमुक्त करने में विलम्ब (दिनों में)	राज्य द्वारा एस पी वी को समतुल्य राज्यान्श अवमुक्त करने की तिथि	एस पी वी को जारी समतुल्य राज्यान्श की धनराशि	समतुल्य राज्यान्श अवमुक्त करने में विलम्ब
01.09.2015	2.00	17.05.2016	0.67	252	13.02.2019	2.00	1254
-	-	23.05.2016	1.33	258	-	-	-
30.03.2018	18.00	18.05.2018	18.00	42	19.03.2018	3.00	अग्रिम भुगतान
					11.06.2018	15.00	66
27.06.2018	2.00	13.02.2019	2.00	224	28.03.2019	2.00	267
20.08.2018	34.00	13.02.2019	34.00	170	28.03.2019	34.00	213
21.12.2018	4.00	21.05.2019	4.00	144	01.10.2019	4.00	277
31.07.2019	70.00	16.10.2019	70.00	70	11.12.2019	70.00	126
03.10.2019	66.00	11.02.2020	35.00	124	12.04.2021	66.00	550
		07.10.2020	31.00	363			
19.10.2020	5.00	11.11.2020	5.00	16	08.10.2020	3.00	अग्रिम भुगतान
					11.11.2020	2.00	16
29.10.2020	46.50	04.02.2021	46.50	91	12.04.2021	12.75	158
					14.10.2021	33.75	343
27.06.2022	46.50	25.07.2022	46.50	21	06.12.2022	46.50	155
30.06.2022	2.50	25.07.2022	2.50	18	30.09.2021	2.50	अग्रिम भुगतान
08.12.2022	49.00	17.01.2023	49.00	33	17.01.2023	46.00	33
					20.03.2023	3.00	95
17.02.2023	49.00	16.03.2023	46.50	20	17.05.2023	46.50	82
		15.05.2023	2.50	80	15.05.2023	2.50	80

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: प्रस्तर-4.5, पृष्ठ 79)

मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज का विवरण

(धनराशि ₹ में)

दिनाँक	दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम	वसूल किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम	शेष	दिन	ब्याज की धनराशि
16.01.2020	3,64,00,000	0	3,64,00,000	265	26,42,739.73
07.10.2020		69,83,724	2,94,16,276	169	13,62,013.88
25.03.2021		18,41,088	2,75,75,188	114	8,61,252.45
17.07.2021		27,61,658	2,48,13,530	241	16,38,372.80
15.03.2022		21,26,385	2,26,87,145	367	22,81,145.81
17.03.2023		1,42,31,158	84,55,987	69	1,59,852.90
25.05.2023		12,18,821	72,37,166	84	1,66,553.96
17.08.2023		45,86,370	26,50,796	-	-
योग		***3,37,49,204***			***91,11,931.53***
		वसूल किया गया			***10,00,000.00***
		वसूली के लिए शेष			***81,11.931.53***

शब्दावली

शब्दावली

क्र. सं.	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
1.	ए एंड ओ ई	प्रशासन एवं कार्यालय व्यय
2.	ए बी डी	क्षेत्र-आधारित विकास
3.	ए सी ई ओ	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4.	ए जी एम	सहायक महाप्रबंधक
5.	ए क्यू एम एस	वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन
6.	ए एम आर	स्वचालित मीटर रीडिंग
7.	बी एंड आर	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
8.	बी ओ क्यू	बिल ऑफ क्वान्टिटी
9.	सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
10.	सी ए क्यू एम एस	निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन
11.	सी डी ओ	मुख्य विकास अधिकारी
12.	सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकार
13.	सिटिस	सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन
14.	सी पी एस यू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
15.	सी पी डबल्यू डी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
16.	सी एस एस	केंद्र प्रायोजित योजना
17.	सी वी	बायोडाटा
18.	डी आई सी सी सी	दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
19.	डी पी आर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
20.	डी आर सी	विवाद समाधान समिति
21.	डी एस सी एल	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड
22.	एफ़ सी	वित्त नियंत्रक
23.	जी एफ़ आर	सामान्य वित्तीय नियम
24.	जी एम	महाप्रबंधक
25.	जी पी एस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
26.	ग्रीन बिल्डिंग	इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग
27.	जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
28.	एच पी ई	हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29.	एच पी एस सी	उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति
30.	आई ए	कार्यदायी संस्था
31.	आई ए एस	भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्र. सं.	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
32.	आई सी टी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
33.	आई डी टी एफ़	अंतर-विभागीय टास्क फोर्स
34.	आई एस बी टी	अंतरराज्यीय बस टर्मिनल
35.	आई टी डी ए	सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी
36.	आई टी एम एस	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
37.	एम डी डी ए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
38.	एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
39.	एम एस आई	मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर
40.	एम यू डी	मल्टी यूटिलिटी डक्ट
41.	एन ओ सी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
42.	एन पी सी सी	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड
43.	ओ एंड एम	संचालन एवं रखरखाव
44.	ओ एफ़ सी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
45.	पी सी एस	प्रादेशीक सिविल सेवाएँ
46.	पी आई यू	परियोजना कार्यान्वयन इकाई
47.	पी एम सी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
48.	पी पी पी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
49.	पी डबल्यू डी	लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
50.	क्यू आर	क्विक रिस्पॉन्स
51.	आर सी	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
52.	आर एफ़ आई डी	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
53.	स्काडा	सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एवं डाटा एक्विजिशन
54.	एस सी पी	स्मार्ट सिटी प्रस्ताव
55.	एस सी एम	स्मार्ट सिटीज़ मिशन
56.	एस एफ़ एस	राज्य वित्त सेवा
57.	एस पी वी	विशेष प्रयोजन साधन
58.	एस एन ए	एकल नोडल खाता
59.	एस डबल्यू एम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
60.	एस डबल्यू वी	स्मार्ट वेस्ट व्हीकल
61.	टी पी ए	तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक
62.	यू डी डी	शहरी विकास विभाग
63.	यू जे एन	उत्तराखण्ड जल निगम

क्र. सं.	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
64.	यू जे एस	उत्तराखण्ड जल संस्थान
65.	उ प्र नि बो	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
66.	यू एल बी	शहरी स्थानीय निकाय
67.	यू पी सी एल	उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
68.	यूरेडा	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
69.	यू टी सी	उत्तराखण्ड परिवहन निगम
70.	वी एम डी	वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi